दश माला, खंड 22, अंक 5

सोमवार, 4 मार्च, 2002

13 फाल्गुन, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 23/9/[illegible]

(खण्ड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डॉ. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)

अंक 5, सोमवार, 4 मार्च, 2002/13 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय **कॉलम**

निधन सम्बन्धी उल्लेख.. 1-3

प्रश्नों के लिखित उत्तर 3-328

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60.. 3-34

अतारांकित प्रश्न संख्या 389 से 618... 35-328

[किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 4 मार्च, 2002/13 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यन्त दु:ख के साथ सभा को यह सूचना देनी है कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। काल के क्रूर हाथों ने 3 मार्च, 2002 को प्रात: 7 बजकर 45 मिनट पर आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कैकालूर में उन्हें हमसे छीन लिया।

श्री बालयोगी का जन्म 1 अक्तूबर, 1951 को आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में येदुरलेंका में हुआ था। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की तथा इसी विश्वविद्यालय से कला निष्णातक और कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

वह एक उत्साही और समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने 1987 से 1991 तक पूर्वी गोदावरी जिले में जिला प्रजा परिषद के चेयरमैन के पद पर कार्य किया। 1991 में वह अमालापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् वह आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य बने और वह 1996 से 1998 तक राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रहे। वह 1998 में बारहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए तथा सर्वसम्मति से लोक सभा के अध्यक्ष चुने गये। वह 1999 में पुन: वर्तमान तेरहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए और दूसरी बार लोक सभा के अध्यक्ष चुने गये।

वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध होती है कि तेरहवीं लोक सभा के चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कुल हुए मतदान में उन्हें 75 प्रतिशत से भी अधिक मत प्राप्त हुए थे।

अत्यन्त सहज और विनम्र व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ-साथ वह बहुत शालीन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे तथा लोक सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर तो वह और भी विनम्र बन गये थे।

सभा की कार्यवाही के संचालन में उनकी कार्यशैली में व्यावहारिक दृष्टिकोण, पूर्ण निष्पक्षता और सभा के भीतर और बाहर सभी दलों के साथ समान व्यवहार परिलक्षित होता था तथा संविधान का शाब्दिक अर्थों में ही नहीं, अपितु इसकी अन्तर्निहित भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की उनकी सतत एवं उत्कट इच्छा का भी परिचय मिलता था। वह दलगत और प्रतिस्पर्धापूर्ण राजनीति से दूर रहे। वह सभा में गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति काफी सजग थे। उन्होंने सांसदों और विधायकों के लिए एक ऐसी आचार संहिता बनाने की दिशा में पहल की, जिसमें संहिता भंग करने पर स्वत: दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। उन्हें इस संदर्भ में राज्यों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों तथा शासन प्रमुखों सहित देश के सभी संबंधित व्यक्तियों का समर्थन मिला।

वह सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों में सत्य-निष्ठा और उच्च स्तर बनाए रखने के भी पक्के समर्थक थे तथा उन्होंने आचार संबंधी समिति को सक्रिय बनाने के लिए कदम उठाया।

उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य व शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे मानव विकास के मुद्दों पर अधिकाधिक बल दिया। उनका ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सर्वांगीण विकास में दृढ़ विश्वास था। गोदावरी नदी पर यनम और कोटीपल्ली में दो बड़े पुलों का निर्माण कराना उनका सपना था, ताकि इससे हजारों ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

संसदीय कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद उन्होंने समाज के कमजोर और दलित वर्गों की समस्याओं को नहीं भुलाया और वह उनके मामलों में पूरी दिलचस्पी लेते थे। सन् 1988 में अपनी इराक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ एक निजी बैठक में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर उन्होंने कुवैत में कार्य कर रहे केरल के दो मछुआरों को छुड़वाया, जिन्हें इराक की समुद्री सीमा में गलती से प्रवेश किए जाने के कारण इराक सरकार द्वारा बंधक बना लिया गया था।

श्री बालयोगी का असामयिक निधन न केवल उनके परिवार के लोगों के लिए अपितु आन्ध्र प्रदेश के अमालापुरम के लोगों के लिए और देश के सभी लोगों के लिए अत्यन्त दु:ख की बात है। श्री बालयोगी की तीन पुत्रियां और एक पुत्र हैं।

इस दु:खद दुर्घटना में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के अलावा उनके अतिरिक्त निजी सचिव श्री के.एस. राजू और दुर्घटनाग्रस्त हेलीकाप्टर के पायलट श्री जी.वी. मेनन की भी मृत्यु हो गई।

हम अपने इस सम्माननीय मित्र एवम् सहयोगी तथा दुर्घटना में मारे गए अन्य दो व्यक्तियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

आज हुई नेताओं की बैठक में जैसाकि निर्णय लिया गया, अध्यक्षपीठ से किये गये इस उल्लेख में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं और समूची सभा की भावनायें समाहित हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदनायें व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्य-निष्पादन

***41. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्ष 2002 की नियंत्रक और महालेखाकार (सीएजी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपना काम-काज प्रभावी ढंग से नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण को नियंत्रित करने में इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार नियंत्रक और महालेखाकार की मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट तथा प्रैस रिपोर्ट से भी परिचित है। नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य-निष्पादन सहित प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और जल प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अन्तर को इंगित करती है।

(ग) और (घ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण को विभिन्न निवारक, प्रोत्साहनात्मक और प्रशमन उपायों के माध्यम से नियंत्रित करने में सक्षम हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाए गए कदमों से विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण में फलतः कमी आई है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को पुनः चालू करना

***42. श्री अनन्त नायक :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) को पुनः चालू करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको पुनः कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

उत्सर्जन मानदंडों संबंधी माशेलकर पेनल की रिपोर्ट

***43. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्सर्जन मानदंडों संबंधी माशेलकर पेनल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेनल की रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पेनल की रिपोर्ट से दिल्ली की सड़कों पर वाहन यातायात के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों का किस सीमा तक पालन होने की संभावना है; और

(च) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दिल्ली एवं अन्य शहरों/कस्बों में विभिन्न वाहन उत्सर्जन पर्यावरण मानदंडों के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

1. आटो फ्यूल पॉलिसी, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए लक्षित वाहन उत्सर्जन मानकों पर आधारित होनी चाहिए जिसमें ऐसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों और ईंधन के प्रयोग की अनुमति दी जाए जो उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हों।

2. विकसित देशों में या अन्यत्र केवल मानकों को पूरा करने के लिए ही आवश्यक वाहनजनित उत्सर्जन मानकों और आटो ईंधन गुणता का निर्धारण किया जाता है जिसमें लोगों, मोटर वाहनों के निर्माताओं, स्वामियों और प्रचालकों को वाहन के प्रकारों और ईंधन का चयन करने के बारे में छूट दी जाती है। उसी नीति को भारत के लिए अंगीकृत किया जाए।

3. वाहन जनित उत्सर्जन मानकों और आटो ईंधन गुणता के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित रोडमैप का अनुसरण किया जाए :–

(i) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के चार प्रमुख नगरों में लागू भारत स्टेज II मानकों को बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद के तीन अन्य बड़े नगरों में भी यथाशीघ्र परन्तु अधिक से अधिक 2003 के अन्त तक लागू किया जाए।

(ii) 1 अप्रैल, 2005 से भारत स्टेज II मानक पूरे देश में लागू किए जाएं।

(iii) समिति द्वारा सभी श्रेणियों के वाहनों (दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर) के लिए यूरो-III के समकक्ष उत्सर्जन मानकों को 1 अप्रैल, 2005 से सात बड़े शहरों में लागू किया जाना चाहिए।

4. केवल निम्न उत्सर्जन वाले वाहन और उनके अनुरूप ईंधन ही वे कारक नहीं हैं जिनका वायु गुणता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। निजी क्षेत्र के उपयोग में लाए जा रहे वाहनों का विस्तृत निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली, मौजूदा वाहनों में उत्सर्जन कम करने वाले उपकरण लगाना, यातायात प्रबंधन बाई पासों का निर्माण आदि जैसे अन्य किफायती उपायों को भी लागू किया जाए।

5. समुन्नत और अतिरिक्त उत्सर्जन जांच सुविधाओं और नए वाहनों के लिए उत्सर्जन वारंटी प्रणालियों की निगरानी और जाँच की सुविधाएं स्थापित की जाएं।

6. नए उत्सर्जन मानदण्डों को लागू करने के लिए उपयुक्त गुणता वाले ईंधन और वाहनों का उत्पादन करने हेतु पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अवमूल्यन, सुलभ ऋण आदि से सम्बद्ध मामलों में तेल और आटो उद्योग को वरीयता दिए जाने की आवश्यकता है।

7. पेट्रोल और डीजल के अतिरिक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) भी आटो ईंधनों के रूप में प्रयुक्त किए जाने हेतु अनुज्ञेय हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने पेट्रोल के साथ एथानॉल मिश्रित करने का निर्णय किया है। ग्राहकों को ईंधन और वाहन प्रौद्योगिकी के चुनाव का विकल्प देते हुए सी.एन.जी., एल.पी.जी. और अन्य वैकल्पिक ईंधनों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ईंधन और वाहन प्रौद्योगिकी का कोई अन्य सम्मिश्रण, जो निर्धारित उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करता हो, स्वीकार्य होना चाहिए।

8. आटो ईंधनों पर लागू राजकोषीय के तहत वर्तमान में लागू विकृत मूल्य निर्धारण (प्राइसिंग) के स्थान पर विभिन्न ईंधनों का किफायती मूल्य निर्धारित करने के निर्देश दिए जाने चाहिएं। इससे दीर्घकालिक नियोजन और गुणता-उत्पादों की आपूर्ति में मदद मिलेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्शल समिति का गठन न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी की सिफारिश करने और इसे क्रियान्वित करने हेतु एक रोड मैप तैयार करने के लिए किया गया था।

(च) समिति की सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों और तेल कम्पनियों को कार्यान्वयन हेतु सूचित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त समिति की अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2002 के समाप्त होने से पहले अपेक्षित है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तूर बोर्ड का गठन

***44. श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड की तरह तूर बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कर्नाटक सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड की तरह तूर बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) गत वर्ष कर्नाटक सरकार द्वारा इस संबंध में अनुरोध किया गया था। आदानों की आपूर्ति, उत्पादन ऋण प्रदान

करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एवं इस मूल्य पर उत्पाद की खरीद करना, खरीदे गए उत्पाद का प्रसंस्करण एवं अरहर उत्पादन के बारे में अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियां प्रस्तावित तूर बोर्ड के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव किया गया था। प्रस्ताव की जांच के उपरान्त अलग से तूर बोर्ड की स्थापना करना उचित नहीं पाया गया, क्योंकि तूर बोर्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी गतिविधियां तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के विभिन्न उप मिशनों (उप मिशन-I, उप मिशन-II, उप मिशन-III तथा उप मिशन-IV) में कवर कर ली गई हैं।

उप मिशन-I के अन्तर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तूर सहित दलहन की कई किस्में निर्गत की हैं। तूर प्रसंस्करण संबंधी कार्य उप मिशन-II में तथा आदानों की आपूर्ति उप मिशन-III में कवर की गई है। भारत सरकार द्वारा तूर (अरहर) सहित दलहन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मौसम से पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए तूर (अरहर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे गिर जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), जो विपणन सहायता प्रचालन हेतु केन्द्रीय नोडल अभिकरण है, खरीद की कार्रवाई शुरू कर देता है। इसके अलावा भारत सरकार ने भोपाल में दलहन विकास निदेशालय की स्थापना की है, जो कर्नाटक सहित 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग कर रहा है।

तूर सहित दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - दलहन विकास परियोजना कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत तूर सहित दलहन उत्पादकों को राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न घटकों जैसे बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, उन्नत कृषि उपस्करों के वितरण, छिड़काव यंत्रों, राइजोबियम कल्चर/पी.एस.बी. सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु किसानों के खेतों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन एवं राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रखण्ड प्रदर्शन एवं समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन किए जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा

***45. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 40 करोड़ के कुल श्रमिक वर्ग में से केवल 8 प्रतिशत को ही सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत कब तक लाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) देश के लगभग 40 करोड़ श्रम बल के करीब 8 प्रतिशत को वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, मृत्यु के समय एकमुश्त लाभ, चिकित्सा लाभ, अपंगता लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के दायरे में रखा गया है। ये कर्मकार मुख्यत: संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

तथापि, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की एक बड़ी संख्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम के अधीन उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं। पहचान किए गए समूहों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा स्कीम, जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने भी स्कीमें शुरू की हैं जिनमें असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों को कुछ सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। देश में 50 चुनिंदा जिलों के लगभग 10 लाख कृषि कर्मकारों को 3 वर्ष की अवधि के अन्दर शामिल करने के लिए जुलाई, 2001 से सरकार ने कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 शुरू की है। कुछ चुनिन्दा समूहों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, परिवार और प्रसूति लाभों वाला एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की बड़ी संख्या और इनके बहुत अधिक बिखराव को देखते हुए इन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें काफी समय लगेगा और प्रचुर संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी। सरकार, उन पहचान किये जाने योग्य समूहों जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं, को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

श्रम कानूनों के यौक्तिकीकरण के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग से असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों के लिए सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कानून का सुझाव देने के लिए भी कहा गया है। आयोग से कहा गया है कि वह अपनी सिफारिशों का ढांचा तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपायों की कारगरता में सुधार लाए जाने के प्रश्न को भी ध्यान में रखे।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग में संभावनाएं

***46. श्री रामेश्वर डूडी : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पर्यटन उद्योग में देश के सब से बड़े उद्योग के रूप में विकसित होने की संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् (डब्ल्यू टी टी सी) ने अगस्त, 2001 में इंडिया इनिसिएटिव स्टेटस पेपर जारी किया था जिसमें भारत में यात्रा एवं पर्यटन के माध्यम से उपलब्ध अवसर एवं समृद्धि का उल्लेख किया गया है जैसा कि यहां अपार प्राकृतिक सम्पदा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वर्ग तथा उच्च स्तरीय उद्यमिता के अवसर विद्यमान हैं।

(ख) निम्नलिखित सहित कुछ और उपाय कार्य प्रगति पर हैं :–

1. पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्रियाकलाप के रूप में प्रतिष्ठापित एवं अनुरक्षित करना।

2. पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि करना।

3. भारत के विद्यमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें विस्तार;

4. विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन;

5. सतत् एवं प्रभावी विपणन योजना तथा कार्यक्रम का विकास;

6. ग्रामीण एवं लघु क्षेत्र के पर्यटन पर विशेष बल; और

7. सामाजिक मुद्दों, नागरिक प्रशासन से जुड़े मुद्दों और बेहतर शासन तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की ओर ध्यान देना।

पर्यटन स्थलों का विकास

***47. श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात और राजस्थान सरकारों सहित राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके देश में पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करने के लिए 262.19 करोड़ रूपए राशि की 1110 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1998-99	345	85.65
1999-2000	422	97.94
2000-2001	343	78.60

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान, गुजरात और राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 159.51 करोड़ रुपये राशि की 551 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्थान में 4.55 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाएं और गुजरात में 5.11 करोड़ रुपये राशि की 19 परियोजनाएं पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए स्वीकृत की गई थीं।

श्रम सुधार

***48. श्री मानसिंह पटेल :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए मौजूदा श्रम कानूनों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए श्रम सुधार लागू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या श्रम सुधारों संबंधी मंत्रियों के समूह ने श्रम कानूनों में अनेक परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(झ) क्या दूसरे श्रम आयोग ने सरकार को अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) श्रम सुधारों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा अथवा अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि उन्हें मौजूदा परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये रखा जा सके। उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, विदेशी निवेश एवं रोजगार सृजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रावधानों को अद्यतन बनाये जाने की दृष्टि से, विशेष रूप से 1991 के प्रारम्भ में शुरू किये गये आर्थिक सुधारों के पश्चात् श्रम कानूनों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है और तदनुसार कदम उठाये गये हैं।

(ङ) और (च) श्रम सुधार संबंधी मंत्रियों के एक दल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 से संबंधित संशोधन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् संसद के चालू बजट सत्र में इस आशय के विधेयक पुन:स्थापित किए जाने की संभावना है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन प्राय: श्रम कानूनों में संशोधनों का विरोध करते आये हैं जब तक उन्हें यह एहसास न हो जाए कि ये श्रमजीवी वर्ग के हित में हैं। अत: इनमें संशोधन करते समय, सरकार कर्मकारों के न्यायसंगत हितों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

(झ) जी नहीं।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

(ट) श्रम कानूनों में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। अत: श्रम सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए कोई सीमा-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

खतरनाक अपशिष्टों का आयात

***49. श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामजी मांझी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्ष और चालू वर्ष के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों की अनदेशी करते हुए खतरनाक पीवीसी, जिंक ऐश, जिंक अपशिष्ट/स्क्रैप, सीसा अपशिष्ट, सीसा ऐश/स्क्रैप बैटरियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के पदार्थों के आयात के पीछे क्या औचित्य है और इनके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इसके लिए कुछ अधिकारी जिम्मेवार पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात परिसंकटमय पदार्थ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के नियम 11 से 13 के अन्तर्गत किया जाता है तथा 2000 के संशोधन को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 1989 तथा 2000 के संशोधनों के अन्तर्गत, परिसंकटमय अपशिष्ट का आयात डम्पिंग और निपटान के लिए नहीं किया जा सकता है। तथापि, जिंक ऐश, जिंक अपशिष्ट और स्क्रैप जैसे अपशिष्टों को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल विधि से रिसाइक्लिंग एवं पुन: प्रसंस्करण के लिए आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों में लेड अपशिष्ट, लेड ऐश और स्क्रैप बैटरियों के आयात की अनुमति नहीं दी है। धात्विक अपरिक्षेपी रूप में धातु एवं धातु एलाय तथा धातु स्क्रैप बासल कन्वेंशन के अंतर्गत आयात/निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं और इस प्रकार 1997 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रिसाइक्लिंग/पुन: प्रसंस्करण के लिए मंत्रालय द्वारा प्राप्त आयात के मामलों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मंत्रालय ने अब तक जिन आयातों के लिए सिफारिश की है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय ने अपशिष्ट सन्निहित या परिसंकटमय अवयवों से संदूषित अपशिष्टों नामत: आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, साइनाइड, पारा, पोलीक्लोरिनेटिड बायोफिनाइल (पी सी बी), पेस्टिसाइड्स और इसी तरह के अपशिष्टों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भी प्रतिबंध लगाया है। पोली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी), वाणिज्य

मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष में पी वी सी अपशिष्टों के आयात के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल 1998 से जनवरी 2002 के बीच विदेश व्यापार महानिदेशालय को लाइसेंस के लिए संस्तुत आयात आवेदन

क्र.सं.	फर्म का नाम	प्रतिवर्ष सामग्री और मात्रा(एमटी)	जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स तिरूपति केमिकल्स, नई दिल्ली	जिंक एश/स्कीमिंग्स-3600 एमटी	6 अगस्त, 1998
2.	मैसर्स सिरोसमेट (टी) लि., उदयपुर	ब्रास ड्रौस-11425 एमटी	6 अगस्त, 1998
3.	मैसर्स रोज जिंक लि., मुंबई	जिंक एश एण्ड स्कीमिंग्स-14000 एमटी	6 अगस्त, 1998
4.	मैसर्स महेन्द्रा सिन्टर्ड लि., पुणे	कॉपर ऑक्साइड मिल-स्केल-100 एमटी कॉपर ऑक्साइड मिल-स्केल-200 एमटी	26 जून, 1998
5.	मैसर्स इन्डो - डच मैटलो चिमीगुई लि., मुंबई	स्टील मिल डस्ट-20,000 एमटी	2 नवम्बर, 1998
6.	मैसर्स सनराइज जिंक लि., गोवा	जिंक एश एण्ड स्कीमिंग्स-3000 एमटी	7 दिसम्बर, 1998
7.	मैसर्स स्विल लि., कलकत्ता प्लान्ट जाहगंदिया और नासिक	अवशेष जिनमें मुख्य शामिल है कॉपर-10,000 एमटी कॉपर केवल स्क्रैप- 10,000 एमटी कॉपर केवल स्क्रैप 'डीआरयूआईडी'-1,500 एमटी	24 फरवरी, 1999
8.	मैसर्स भूमि सुधार कैमिकल इन्डस्ट्रीज, हरियाणा	जिंक एश एण्ड स्कीमिंग्स-4000 एमटी	14 मई, 1999
9.	मैसर्स फर्टीकेम (इण्डिया) लि., चण्डीगढ़	जिंक एश एण्ड स्कीमिंग्स-3000 एमटी	14 मई, 1999
10.	मैसर्स नार्दन इण्डिया केमिकल इन्डस्ट्रीज, चण्डीगढ़	जिंक एश एण्ड स्कीमिंग्स-3000 एमटी	14 मई, 1999
11.	मैसर्स सनराइज जिंक लि., गोवा	जिंक एश एण्ड स्कीमिंग्स-7500 एमटी	17 अगस्त, 1999
12.	मैसर्स हाइड्रोमेट लि., चेन्नई	ब्रास ड्रौस-4800 एमटी क्यू ड्रौस-6300 एमटी	17 अगस्त, 1999
13.	मैसर्स हिमगिरी मेटल प्राइवेट लि., मुजफ्फरनगर	जिंक एश-1800 एमटी	17 अगस्त, 1999
14.	गोलकोंडा इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेज लि., सिकन्दराबाद	जेली फील्ड कॉपर केबल्स-2750 एमटी	17 अगस्त, 1999
15.	एन.डी. मेट्लस, दमन	कॉपर ड्रुइड-5000 एमटी कॉपर ड्रौस-3000 एमटी जिंक डाइ कास्ट स्क्रैप-स्क्रॉल-3500 एमटी	3 अप्रैल, 2001

कृषि संबंधी एम.एस. स्वामीनाथन समिति

***50. श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी एम.एस. स्वामीनाथन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने हाल के वर्षों में श्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कोई "कृषि संबंधी समिति" गठित नहीं की है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

***51. डा. जयन्त रंगपी :**
श्री एस. अजय कुमार :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भूमिगत कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में अलग-अलग कितने श्रमिक मारे गए और घायल हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं में घायल खनिकों और मारे गए खनिकों के परिवारों को दिए गए मुआवजा, राहत राशि आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और अन्य देशों में ऐसी दुर्घटनाओं की दर कितनी दर्ज की गई;

(घ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उक्त खनिकों की सुरक्षा का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	सांघातिकताएं			गंभीर चोटें		
	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	जोड़	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	जोड़
1999	69	18	87	300	81	381
2000	58	21	79	414	69	483
2001	78	21	99	361	92	453
2002*	9	1		10	6	

* सी.आई.एल. के आंकड़े जनवरी, 2002 के हैं तथा एस.सी.सी.एल. के आंकड़े 20.2.2002 तक के हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. की भूमिगत खानों में हुई दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत अदा किया गया मुआवजा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	मुआवजा (रुपये में)		
	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	जोड़
1999	1,07,76,480	31,05,208	1,38,81,688
2000	92,94,314	34,10,388	1,27,04,702
2001	1,21,68,630	30,33,383	1,52,02,013
2002 (जनवरी तक)	9,64,523	-	9,64,523

इसके अतिरिक्त मृत श्रमिक के आश्रितों को निम्नलिखित राहतें दी जाती हैं :–

– मृत श्रमिक के एक आश्रित को कंपनी में रोजगार दिया जाता है अथवा यदि रोजगार के लिए कोई पात्र व्यक्ति नहीं होता तो मासिक मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है।

– दाह-संस्कार का खर्चा दिया जाता है।

– कंपनी के नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि दी जाती है।

– जीवन बीमा योजना के अनुसार मिलने वाले लाभ दिए जाते हैं।

– परोपकारी निधि से मिलने वाले लाभ दिए जाते हैं।

सी.आई.एल. की खानों में पिछले तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के कारण गंभीर चोटों के लिए श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत अदा किया गया मुआवजा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	सी.आई.एल. में गंभीर चोटों के लिए दिया गया कुल मुआवजा (रुपयों में)
1999	42,70,461
2000	38,85,328
2001	18,23,914

(ग) भारत तथा दूसरे देशों की खानों में नियोजित 3,00,000 श्रमपाली पर सांघातिकता दर नीचे दी गई है :–

वर्ष	आस्ट्रेलिया	फ्रांस	भारत	सी.आई.एल.	जापान	यू.एस.ए.	जर्मनी	चेक गणराज्य
1996	0.39	0.51	0.28	0.24	0.00	0.41	0.31	0.26
1997	0.24	0.20	0.31	0.25	0.63	0.31	0.25	0.47
1998	0.39	उ.नहीं	0.29	0.24	0.00	0.31	0.05	0.27
1999	0.31	0.00	0.27	0.25	उ.नहीं	0.40	उ.नहीं	0.27
2000	उ.नहीं	0.32	0.29	0.25	उ.नहीं	उ.नहीं	उ.नहीं	0.30

(घ) और (ङ) कोयला खान श्रमिकों की सुरक्षा क़े मुद्दे की निम्नलिखित निकायों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है :–

– कोयला तथा खान मंत्री जी की अध्यक्षता वाली कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति जिसमें श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, खान प्रबंधन, कोयला तथा खान मंत्रालय के प्रतिनिधि, श्रम मंत्रालय तथा डी.जी.एम.एस. के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये बैठकें 6-6 महीने में होती हैं।

– श्रम मंत्रालय/डी.जी.एम.एस. द्वारा खानों में सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन जिसमें श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, खान प्रबंधन के प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थाओं/अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि और कोयला तथा खान मंत्रालय के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये बैठकें प्रत्येक तीन अथवा चार वर्षों में आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लि. में इस मुद्दे की कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड द्वारा 6-6 महीने में समीक्षा की जाती है जिसमें श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, खान प्रबंधन, कोयला तथा खान मंत्रालय के प्रतिनिधि और श्रम मंत्रालय (डी.जी.एम.एस.) के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

***52. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2002-2003 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) पर 9.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर वर्ष-प्रति-वर्ष 12 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 22.1.2002 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2002-03 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के संबंध में ब्याज दर की घोषणा के मुद्दे पर विचार किया और इस संबंध में आगे विचार किये जाने तक ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत जारी रखने की सिफारिश की है। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की मार्च, 2002 के दौरान पुन: बैठक किए जाने का कार्यक्रम है जिसमें ब्याज की दर के बारे में सरकार का दृष्टिकोण उनके समक्ष रखा जाएगा। वर्ष 1999-2000 में ब्याज की दर 12 प्रतिशत थी जो 2000-01 में घटकर 11 प्रतिशत और 2001-02 में 9.5 प्रतिशत रह गई।

आरक्षित वनों में गांजे की खेती

*53. श्री सुरेश कुरूप : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में आरक्षित वनों के बहुत बड़े क्षेत्रफल का उपयोग गांजा उगाने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या इस समस्या पर रोक लगाने के लिए एक अंतर्राज्जीय संयुक्त कार्य योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जहाँ पिछले तीन वर्षों के दौरान गांजे की जब्तियां की गई हैं उन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आरक्षित वनों के भीतर अवैध रूप से पैदा की गई गांजे की खेती के संबंध में उसकी मात्रा और जब्तियों के संबंध में विशिष्ट आंकड़ों को नहीं रखता। तमिलनाडु और केरल राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 के दौरान वन क्षेत्र के भीतर गांजा खेती के अंतर्गत क्षेत्र निम्न प्रकार है :-

तमिलनाडु	19,127 है.
केरल	50 है.

अन्य राज्यों द्वारा उपर्युक्त अवधि में आरक्षित वनों में गांजे की किसी तरह की खेती के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(ग) वन विभाग, केरल ने सहायक वन संरक्षक के प्रभार के अंतर्गत गांजा-रोधी दस्ते की स्थापना की है ताकि इसकी अवैध खेती पर रोक लग सके और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसे अपराधियों के खिलाफ वन अधिकारियों को कार्रवाई करने की शक्ति नारकोटिक्स ड्रग्स और साइक्रोरिफिक एक्ट, 1985 के अधीन प्रदत्त की गई है। तमिलनाडु में वन क्षेत्रों की निगरानी मोबाइल दस्तों द्वारा की जाती है और वन क्षेत्रों में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले व्यक्तियों का पता लगने पर कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नारकोटिक्स विंग के साथ भी संपर्क बनाए रखा जाता है। राज्य सरकारें वन क्षेत्रों में उगाए गए गांजे के पौधों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करती है।

(घ) और (ङ) दक्षिण राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों की समिति को अंतर्राज्य संयुक्त कार्रवाई योजना को इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस पर कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

*54. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार, इनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के बारे में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हाँ। वर्ष 2001-2002 के दौरान 187.74 मिलियन टन अनाज की नियामक आवश्यकता के मुकाबले उत्पादन 196.02 मिलियन टन होने का अनन्तिम अनुमान है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अनाज का राज्य-वार उत्पादन आकलन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र की प्रगति में सुधार करने की दृष्टि से, सरकार ने विभिन्न नई पहलों की शुरूआत की है जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों का संवर्धन, नई प्रौद्योगिकियों के विकास तथा संवर्धन पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के उपाय, भण्डारण/शीतागार क्षमता बढ़ाने हेतु ऋण संबद्ध राजसहायता स्कीम, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, मंडी सूचना नेटवर्क तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अलावा, सरकार किसानों को मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी देती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मंडी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन, सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा खरीद और व्यापार पद्धतियों का उपयोग किया जाना शामिल है। इन सबके अलावा, राज्यों को सहायता प्रदान कराने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत योजनापूरक दृष्टिकोण के बदले वृहत प्रबंधन विधि को शुरू किया गया है। कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता के लिए 27 स्कीमों को समेकित करके वृहत प्रबंधन स्कीम बना दिया गया है। इससे राज्यों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर होने के कारण उनके द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों की विषय वस्तुओं में अतिव्याप्ति से बचने और कृषि के चहुंमुखी विकास का लक्ष्य निर्धारित करने में नम्यता मिलती है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान कुल अनाज के उत्पादन का राज्यवार अंतिम आकलन

(000' टन)

राज्य	1999-2000	2000-2001 (अनंतिम)
आन्ध्र प्रदेश	12896.0	13675.4
अरूणाचल प्रदेश	205.3	196.5
असम	3978	4104.2
बिहार	13640.7	11428.4
झारखण्ड		1915.0
गोवा	210.8	146.5
गुजरात	3646.2	3490.2
हरियाणा	12987.0	13178.0
हिमाचल प्रदेश	1429.5	1441.1
जम्मू और कश्मीर	1314.4	1100.4
कर्नाटक	9010.6	9979.0
केरल	774.2	754.7
मध्य प्रदेश	17491.6	6846.6
छत्तीसगढ़		3432.0
महाराष्ट्र	10494.8	8440.7
मणिपुर	375.7	377.6
मेघालय	204.1	199.5
मिजोरम	98.3	120.1
नागालैंड	197.0	263.6
उड़ीसा	5357.7	4772.1
पंजाब	25156.0	25280.0
राजस्थान	9793.2	9308.0
सिक्किम	97	98.0
तमिलनाडु	8598.0	8577.8
त्रिपुरा	509.1	517.2
उत्तर प्रदेश	43050.8	40151.2
उत्तरांचल		1704.6
पश्चिम बंगाल	14704.1	13595.7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.4	30.0
दादर व नगर हवेली	25.9	21.9
दमन और दीव	5.6	3.2
दिल्ली	42.8	39.8
पांडिचेरी	60.4	61.6
अखिल भारत	196383.2	185250.6

कृषि उत्पादों के उदार आयात का प्रभाव

***55. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के उदार आयात के कारण भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि उत्पादों के आयात की चुनौती का प्रभावशाली तरीके से सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारतीय कृषि पर कृषि उत्पादों के उदारीकृत आयात के प्रभाव के बारे में कोई व्यापक अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, खाद्य तेलों पर उदारीकृत आयात के सम्भावित प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कुछ त्वरित क्षेत्रीय अध्ययन कराए गए हैं। ये अध्ययन विश्व व्यापार संगठन कृषि समझौते से आयात शुल्क के अंशाकन के साथ निष्कर्षों को जोड़ने, उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु विपणन समर्थन के प्रावधान और नीतियों और प्रस्तावों के निरूपण का सुझाव देते हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को कोई कठिनाई न आए, सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयात मानिटरन के लिए एक समुचित तंत्र स्थापित किया है और सरकार विश्व व्यापार संगठन में संबद्ध विभिन्न उपायों जिनमें बंधित स्तर के भीतर अनुप्रयुक्त टैरिफ का समुचित निर्धारण एवं कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत एंटी डम्पिंग तथा उसके बराबर शुल्क लगाना एवं सुरक्षात्मक कार्रवाई करना शामिल है, के माध्यम से स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

इन उपायों के अंग के रूप में, वर्ष 2001-02 के दौरान, खाद्य तेलों (अपरिष्कृत तथा परिष्कृत दोनों), चाय, कॉफी, खोपरा एवं नारियल तथा कुछ अन्य कृषि जिन्सों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। इस समय दुग्ध पाउडर तथा मांस एवं मुर्गे पर क्रमशः 60% तथा 100% की दर से बढ़ा हुआ आयात शुल्क प्रभारित किया जाता है।

जलकृषि उद्योग

***56. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जलकृषि (एक्वाकल्चर) उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में ऐसे कितने उद्योग काम कर रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) देश में कोई जलकृषि उद्योग नहीं है। जलकृषि एक फार्मिंग गतिविधि है जिसे सरकार तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार के जरिए झींगा किसानों को ताजा जल जलकृषि तथा एकीकृत तटवर्ती जलकृषि विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए समर्थन दे रही है। इस उद्देश्य के लिए 428 **मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां (एफएफडीए) तथा 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (बीएफडीए) स्थापित की गई हैं। सभी एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण - I में दिया गया है।**

(घ) जलकृषि उद्योग स्थापित करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा फार्मों को स्थापित करने के लिए जनवरी, 2002 तक तटवर्ती राज्यों की राज्य स्तरीय समितियों/संघ राज्य क्षेत्रों से जलकृषि प्राधिकरण को प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) तथा खारा जल कृषिक विकास एजेंसियों (बी एफ डी ए) का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफ एफ डी ए की संख्या	बी एफ डी ए की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	22	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	-
3.	असम	23	-
4.	बिहार	49	-
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	21	3
7.	हरियाणा	18	-
8.	हिमाचल प्रदेश	2	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	-
10.	कर्नाटक	18	2
11.	केरल	14	7
12.	मध्य प्रदेश	45	-
13.	महाराष्ट्र	29	4
14.	मणिपुर	8	-
15.	मेघालय	2	-
16.	मिजोरम	5	-
17.	नागालैंड	8	-
18.	उड़ीसा	30	7
19.	पंजाब	17	-
20.	राजस्थान	15	-
21.	सिक्किम	1	-
22.	तमिलनाडु	17	5
23.	त्रिपुरा	4	-
24.	उत्तर प्रदेश	56	-
25.	पश्चिम बंगाल	18	3
26.	पांडिचेरी	1	-
27.	अंडमान एवं निको.द्वी.स.	-	1
कुल		428	39

विवरण-II

जलकृषि प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समितियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	644
2.	उड़ीसा	1609
3.	केरल	410
4.	गुजरात	193
5.	कर्नाटक	191
6.	महाराष्ट्र	107
7.	आंध्र प्रदेश	264
8.	तमिलनाडु	234
9.	गोवा	49
10.	पांडिचेरी	15
	कुल	3716

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम

***57. श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) ने भारत सरकार के विशेष अनुरोध पर आगामी दो वर्षों के दौरान देश में रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा देश में रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने में किस सीमा तक मदद देने के लिए सहमत हुई है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारत सरकार के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक रोजगार क्षेत्र मिशन ने कौशल विकास तथा विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रबंधन पर भारत में चल रही गतिविधियों पर एक विहंगम दृष्टि डालने के लिए 30.7.2001 से 3.8.2001 के दौरान भारत का दौरा किया। विचार-विमर्श के दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को यह सुझाव दिया गया कि उन्हें कुछ क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करके उपयुक्त प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा की मौलिक अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करनी चाहिए और अन्य क्षेत्रों में इसकी पुनरावृत्ति हेतु एक माडल के विकास के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने पहले से हो रहे कौशल, विकास, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संभाव्यता, कौशल मांग एवं पंजाब के मुक्तसर और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिलों में रोजगार सेवा अभियानों पर अध्ययन आरंभ किए हैं। इनके पूर्ण हो जाने पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ श्रम मंत्रालय के परामर्श से आगे की जाने वाली कार्रवाई का निर्णय करेंगे।

[हिन्दी]

कोयले के आयात पर प्रतिबंध

***58. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**
श्री अम्बरीश :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला खनन के लिए कोई नई तकनीक अपनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान कितने टन कोयले का आयात किया गया;

(घ) कोयले की उन विभिन्न श्रेणियों (ग्रेडस) का ब्यौरा क्या है जिनका आयात किया जा रहा है;

(ङ) क्या इन श्रेणियों का कोयला देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(च) यदि हां, तो इनके आयात के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार देश के कोयला उद्योग को बचाने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) अपनाई जा रही नई तकनीकों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) ओपनकास्ट खानों में कोयले के चुनिंदा खनन के लिए सरफेस माइनरों का नियोजन करना।

(ii) इन-पिट क्रशिंग तथा सम्प्रेषण तकनोलोजी।

(iii) भूमिगत खान में कोयला काटने, लदान करने तथा मुहाने पर परिवहन के लिए सतत खनिक तथा शटल कार का नियोजन करना।

(iv) कोयला तथा ओवरबर्डन दोनों के लिए इन-प्रिट क्रशिंग और सम्प्रेषण तकनोलोजी।

(ग) और (घ) कोयले का आयात "ओपन जनरल लाइसेंस" के अंतर्गत किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में आयातित कोयले के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोकिंग कोयला	नॉन-कोकिंग	कोयला कोक
1998-99	10.02	6.51	1.57
1999-00	10.99	8.71	2.41
2000-01	11.06	9.87	2.42

(ङ) और (च) उपभोक्ताओं द्वारा कोयला तथा कोक का आयात निम्न कारणों से किया जा रहा है :–

(i) स्वदेश में अपेक्षित मात्रा तथा गुणवत्ता वाले कोयले की अनुपलब्धता/अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धता।

(ii) स्वदेशी कोयले के साथ सम्मिश्रण के लिए।

(iii) वाणिज्यिक शर्तों सहित लागत देखते हुए।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

(झ) आयातित कोयले में अधिकतर कोकिंग कोल तथा कम राख वाला नॉन-कोकिंग कोल होता है। चूंकि ऐसे कोयले का देशीय तौर पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है इसलिए आयात से घरेलू कोयला उद्योग को बहुत अधिक खतरा नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तनों पर शुल्कमुक्त व्यापार का निजीकरण

***59. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) ने भारतीय विमानपत्तनों पर शुल्कमुक्त व्यापार में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विमानपत्तनों पर शुल्कमुक्त व्यापार को निजी हाथों में दिया जाना है;

(ग) आई टी डी सी द्वारा जारी निविदाओं के प्रत्युत्तर में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार को इन व्यापारिक प्रस्तावों से कितना लाभ होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने दिल्ली, मुम्बई और चैन्नई तीनों क्षेत्रों में बढ़ी हुई सभी शुल्क मुक्त दुकानों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शुल्क मुक्त प्रचालकों से सहयोग करके तर्कसंगत और रिटेल सहायता के लिए व्यापक निविदा के माध्यम से तकनीकी बोलियां आमंत्रित की थीं।

(ग) निविदा के उत्तर में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) के विचार से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरी कामगार रोजगार कार्यक्रम और शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए निधियां

***60. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में शहरी कामगार रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) और शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनसे राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के घटक शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत 2001-2002 (31.01.2002 तक) के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत केन्द्रीय निधियों के आबंटन को दर्शाती विवरणी

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	250.30	81.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	-	-
4.	बिहार	-	-
5.	छत्तीसगढ़	29.68	37.26
6.	गोवा	-	-
7.	गुजरात	119.75	46.92
8.	हरियाणा	18.93	7.97
9.	हिमाचल प्रदेश	3.48	0.50
10.	जम्मू एवं कश्मीर	12.81	-
11.	झारखंड	13.29	34.27
12.	कर्नाटक	144.49	166.27
13.	केरल	198.83	-
14.	मध्य प्रदेश	159.24	77.28
15.	महाराष्ट्र	-	-

1	2	3	4
16.	मणिपुर	-	-
17.	मेघालय	-	-
18.	मिजोरम	5.62	39.90
19.	नागालैण्ड	10.78	0.22
20.	उड़ीसा	-	300.00
21.	पंजाब	-	-
22.	राजस्थान	32.64	-
23.	सिक्किम	2.82	4.04
24.	तमिलनाडु	111.64	87.68
25.	त्रिपुरा	16.39	30.98
26.	उत्तरांचल	5.95	11.93
27.	उत्तर प्रदेश	490.54	242.53
28.	पश्चिम बंगाल	192.82	101.04
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-
30.	चंडीगढ़	-	-
31.	दादर व नगर हवेली	-	629.00
32.	दमन व दीव	-	-
33.	दिल्ली	-	-
34.	पांडिचेरी	191.00	-
	योग	2011.00	1899.00

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 (31.01.2002 तक) के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत वस्तुपरक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत माइक्रो-उपक्रम स्थापित करने के लिए सहाय्यित लाभभोगियों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत सृजित कार्य के मानव दिवसों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2542	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	1443	0.130

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत माइक्रो-उपक्रम स्थापित करने के लिए सहाय्यित लाभभोगियों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत सृजित कार्य के मानव दिवसों की संख्या
4.	बिहार	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	0.850
6.	गोवा	154	-
7.	गुजरात	3303	-
8.	हरियाणा	2766	0.320
9.	हिमाचल प्रदेश	285	0.330
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2229	-
11.	झारखंड	-	-
12.	कर्नाटक	6826	2.380
13.	केरल	8742	0.250
14.	मध्य प्रदेश	14256	0.900
15.	महाराष्ट्र	8286	-
16.	मणिपुर	-	-
17.	मेघालय	-	-
18.	मिजोरम	10	-
19.	नागालैंड	459	-
20.	उड़ीसा	9671	0.190
21.	पंजाब	1271	0.300
22.	राजस्थान	5303	0.560
23.	सिक्किम	72	0.190
24.	तमिलनाडु	1093	3.200
25.	त्रिपुरा	2778	0.410
26.	उत्तरांचल	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	25398	1.780
28.	पश्चिम बंगाल	-	0.400
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19	-
30.	चंडीगढ़	46	-
31.	दादर व नगर हवेली	-	-
32.	दमन व दीव	23	-
33.	दिल्ली	277	-
34.	पांडिचेरी	290	-
योग		97542	12.190

[अनुवाद]

कपास उत्पादन में बढ़ोत्तरी

389. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कपास का उत्पादन प्रति हेक्टेअर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में कपास की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से देश में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है जिसमें 4 उप-मिशन हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे उप-मिशन-I को अनुसंधान पर जोर देते हुए संभावित किस्मों/संकरों के विकास, उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के विकास का अधिकार प्राप्त है, जबकि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे उप-मिशन-II का उद्देश्य उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण, समेकित कीट प्रबंध एवं कृषकों/विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता के माध्यम से कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके अलावा, किसानों को रियायती दरों पर आदान भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कपास की अनेक उन्नत किस्में/संकर किस्में विकसित करके वाणिज्यिक स्तर पर खेती हेतु निर्गत की गई हैं। इनके अलावा, कपास में कीट प्रबंध के लिए समेकित कीट प्रबंध मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कपास की खेती से संबंधित विधियों का एक पैकेज विकसित किया है जिसका प्रचार-प्रसार कृषक समुदाय में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, कुछ राज्यों में कीटों और रोगों के हमले के कारण इसकी पैदावार अब भी औसत स्तर पर ही बनी हुई है।

भर्ती एजेन्टों द्वारा धोखाधड़ी

390. श्री टी. गोविन्दन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के भर्ती एजेन्टों की धोखाधड़ी के कारण कुवैत में लगभग 1000 भारतीय असहाय स्थिति में पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कुवैत में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि कुछ भारतीय भर्ती एजेंटों द्वारा "पर्यटन वीसा" पर लगभग एक हजार व्यक्ति कुवैत भेजे गए थे। यह सूचना प्राप्त होने पर सभी संबंधित एजेंटों से इन व्यक्तियों को तत्काल वापस भेजने का प्रबंध करने के लिए कहा गया था। अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के मामले में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया था। कुछ पंजीकृत भर्ती एजेंट इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए प्राथमिक तौर पर उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए थे और बाद में निरस्त कर दिए गए तथा छब्बीस लाख रुपये की बैंक गारंटी की राशि जब्त कर ली गयी। कुवैत में भारतीय दूतावास से भी इन व्यक्तियों के वापसी हवाई यात्रा टिकट खरीदने का अनुरोध किया गया था जिसमें व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति जब्त की गई बैंक गारंटियों से की जाएगी। कुवैत में भारतीय दूतावास से मिली सूचना के अनुसार 17.02.2002 की स्थिति के अनुसार वापस आने के लिए केवल 168 व्यक्ति शेष बचे हैं जिसके लिए दूतावास द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल के जैन मंदिर से चुरायी गई मूर्तियां

391. श्री बीर सिंह महतो : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जैन मंदिरों से ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की जैन मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इसका परिणाम क्या रहा है; और

(घ) सरकार ने इन मंदिरों में मूर्तियों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पुरूलिया संसदीय चुनाव-क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान जैन मूर्ति की चोरी की कोई घटना नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकीय पार्क

392. श्री एम.के. सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर असम में किसी पारिस्थितिकीय पार्क की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सहायता और योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में और पारिस्थितिकीय पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख)और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी निवेशकों द्वारा खनन सर्वेक्षण

393. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी निवेशकों को 120 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ाने भरने वाले विमानों के द्वारा विमानवाहित भूभौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इससे खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खनन सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र में भूमिका बढ़ाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पायलेट एवं को-पायलेट के न्यूनतम उड़ान अनुभव, भार प्रतिबंध आदि जैसी आवश्यक शर्तों के अधीन कम ऊंचाई की उड़ान की अनुमति दी जाती है। नागर विमानन महानिदेशालय ने, हाल ही में, 120 मीटर से कम ऊंचाई की उड़ान द्वारा हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने के लिए अनेक निजी निवेशकों को अनुमति दी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-काष्ठ वन उत्पादों का प्रबंधन

394. श्री ए.सी. जोस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार आदिवासीय वन सुरक्षा समिति द्वारा गैर-काष्ठ वन उत्पादों के टिकाऊ प्रबंधन से संबंधित परियोजना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) आदिवासीय वन सुरक्षा समिति के माध्यम से गैर-काष्ठ वन उत्पाद के टिकाऊ प्रबंधन के संबंध में केरल सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का विकास

395. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों में मत्स्य पालन के विकास के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए जिलावार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इन राज्यों में मत्स्य पालन के विकास में जिलावार कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लेह में एयर फील्ड का चालू किया जाना

396. श्री के.पी. सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड लेह में चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका प्रयोग एयरफोर्स द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) लेह में स्थित हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा एक सिविल एन्कलेव का रख-रखाव किया जाता है। यह हवाई अड्डा कई वर्षों से प्रचालन में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जानवरों के लिए चारे और दवा की कमी

397. श्री सुबोध राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां जानवरों के लिए चारे और दवाओं की कमी है; और

(ख) सरकार ने इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाए किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जो राज्य चारे की कमी से पीड़ित हैं उनके नाम हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। राज्यों में दवाइयों की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(ख) भारत सरकार समूचे देश में आहार और चारे के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित करती है :

1. केन्द्रीय चारा विकास संगठन में चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए देश के विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में स्थित सात क्षेत्रीय केन्द्र, एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर शामिल हैं। ये फार्म चारा बीज और केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के काम में लगे हैं जिसके तहत चारा और चारा बीज उत्पादन के लिए चारा किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से चारा किटों की मुफ सप्लाई की जाती है।

2. "आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, भारत सरकार चारा औ चारा बीज उत्पादन के लिए राज्य सरकारों को 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक धनराशि जारी करती है।

[हिन्दी]

सूरत स्थित माडगल्ला एयरपोर्ट का पुनरुद्धार

398. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूरत स्थित माडगल्ला एयरपोर्ट की निजी क्षेत्र को देकर उसके पुनरुद्धार और विकास का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) रिकार्ड के अनुसार, सूरत में माडगल्ला में कोई हवाई अड्डा नहीं है तथापि, सूरत में डूमास में एक हवाई अड्डा है जो कि गुजरात राज्य सरकार का है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिक

399. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आने वाले कुल श्रमिक कितने हैं और कुल श्रम-शक्ति की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत और अधिक श्रमिकों को लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को न लाए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) :

(क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, झारखंड में 74,650 र्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत परिधि में थे।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना का नए क्षेत्रों में ्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख का प्रशासन राज्य सरकार की सांविधिक म्मेदारी है। इसलिए, नए क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के र्यान्वयन की प्रगति, योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्तियों तथा नके परिवारों के सदस्यों को चिकित्सा देखरेख प्रदान करने के लिए न्य सरकार द्वारा वृहत चिकित्सा व्यवस्था के सृजन की गति पर निर्भर ।

अनुवाद]

क्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा अपंजीकृत ठेकेदारों को कार्य दिया जाना

400. श्री अधीर चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) क्या मक्का अनुसंधान निदेशालय, दिल्ली ने विहित नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ अपंजीकृत ठेकेदारों को ठेका का कार्य देया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान ठेका कार्य पाने वाले ठेकेदारों की पंजीकरण संख्या और दिए गए ठेके के कार्य का विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मक्का अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके ये ठेकेदार ठेके पर लगाए गए श्रमिकों की मजदूरी से वेतन में पक्षपातपूर्ण ढंग से कुछ राशि की कटौती करते हैं और उन्हें मासिक वेतन पर्ची नहीं दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) :

(क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों से निदेशालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य को ठेके पर देता आ रहा है। श्रम मंत्रालय, दिल्ली द्वारा समय-समय पर श्री लक्ष्मी प्रसाद के हक में मंजूर किए गए लाइसेंसों का विवरण निम्नानुसार है :-

लाइसेंस संख्या और तिथि

(i) ए एल सी-1/46 (20)/98 दिनांक 4-12-98

(ii) ए एल सी-1/46 (22)/2000 दिनांक 5-10-2000

(iii) ए एल सी-1/46 (1)/2000 दिनांक 15-1-2002

(घ) निदेशालय द्वारा ठेकेदार को भुगतान उनके द्वारा मजदूरों को दिए गए पारिश्रमिक से संबंधित बिल प्रस्तुत करने पर किया जाता है। अभी तक ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।

(ङ) लागू नहीं होता।

फलों का उत्पादन

401. श्री अबुल हसनत खां : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फलों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में अन्य विकासशील देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में फलों का आयात और निर्यात हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फलों के उत्पादन संबंधी उपलब्ध सूचना निम्नवत है :-

वर्ष	उत्पादन (मि.टन)
1997-98	43.26
1998-99	44.04
1999-2000	45.50

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति फल उपलब्धता लगभग 85 ग्राम प्रतिदिन आंकी गयी है। बहरहाल, अन्य विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति फल उपलब्धता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये और निर्यात किये गये फलों और गिरियों का विवरण निम्नवत है :–

वर्ष निर्यात आयात

(मात्रा 000 टन में, रु. करोड़ में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1998-99	107.08	257.67	उपलब्ध नहीं	670.39
1999-2000	122.68	300.37	उपलब्ध नहीं	590.84
2000-01	146.74	377.03	उपलब्ध नहीं	803.99

अरूणाचल प्रदेश में भारतीय जैव विविधता संस्थान की स्थापना

402. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में भारतीय जैव विविधता संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

403. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) अपने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे मामलों में प्रदान किए गए रोजगार की संख्या क्या है;

(ग) क्या कैंसर से पीड़ित किसी कर्मचारी ने अपने आश्रित को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राधिकारियों से सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने अपनी नीति के अनुसार कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर पहले ही नियुक्तियां की थीं। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान किए गए ऐसे रोजगारों का विवरण नीचे दिया गया है–

वर्ष	मामलों की संख्या
1997	13
1998	27
1999	20
2000	01
2001	शून्य

(ग) और (घ)जी, हां। होटल कनिष्क, नई दिल्ली में रूम अटैन्डैन्ट के रूप में कार्य कर रही महिला कर्मचारी के पति ने अपनी पत्नी, जो कैंसर से पीड़ित हैं, के स्थान पर अपने बेटे को रोजगार देने के लिए प्रबंधन से सम्पर्क किया था। तथापि, इस अनुरोध को नहीं माना गया क्योंकि यह निगम की अनुकम्पा आधार पर रोजगार नीति की सीमा में नहीं आता।

कृषि पर राजसहायता

404. श्री महबूब जहेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि पर दी जा रही राजसहायता को धीरे-धीरे घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ, अमरीका और जापान द्वारा अपने यहां कृषि क्षेत्र में 40 प्रतिशत से 66 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विकसित राष्ट्र अपने कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में पाटने में सफल होंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों में स्वदेशी समर्थन की दो श्रेणियों की व्यवस्था है, अर्थात् एक ओर व्यापार पर शून्य अथवा न्यूनतम विकृतिपूर्ण प्रभाव और दूसरी ओर व्यापार विकृतिकारक समर्थन। छूट न देने वाले सभी स्वदेशी समर्थन कटौती (रिडक्शन)

कायदे के अधीन हैं। तथापि, समझौते के अल्पतम न करने वाले (डिमिनिमस) प्रावधानों के अनुसार किसी वर्ष में, जिसमें उत्पाद विशिष्ट समर्थन का कुल मूल्य विकासशील देशों में कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक न हो, व्यापार विकृतिकारक समर्थन (अर्थात् मंडी समर्थन मूल्य, प्रत्यक्ष उत्पादन, राजसहायता अथवा आदान राजसहायता) में कमी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गैर-उत्पाद विशिष्ट समर्थन, जो कुल कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से कम है, पर भी विकासशील देशों के लिए कटौती से छूट है। विकसित देशों के लिए 5% की छूट है।

(ख) विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ, सं.रा. अमेरिका और जापान द्वारा प्रस्तुत अधिसूचनाओं के अनुसार उत्पादन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में अपने कृषि क्षेत्र को दिए गए स्वदेशी समर्थन और अपने कुल कृषि निर्यातों के प्रतिशत के रूप में निर्यात राजसहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयात मानिटरन के लिए एक समुचित तंत्र स्थापित किया है और सरकार विश्व व्यापार संगठन से संबद्ध विभिन्न उपायों जिनमें बँधित स्तर के भीतर अनुप्रयुक्त टैरिफ का समुचित निर्धारण एवं कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों, जिसकी विभिन्न विश्व व्यापार संगठन के समझौते में व्यवस्था की गई है, के अंतर्गत एंटी डम्पिंग तथा उसके बराबर शुल्क लगाना शामिल है, के माध्यम से स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

विवरण

क्र.सं.	देश/देशों का समूह	विपणन/वित्तीय वर्ष	कृषि उत्पादन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्वदेशी सहयोग	कुल कृषि निर्यातों के प्रतिशत के रूप में निर्यात राजसहायता
1.	यूरोपीय संघ	1997-98	48.03%	8.6%
2.	जापान	1998	39.15%	0
3.	सं.रा. अमेरिका	1997	28.59%	0.179%

[हिन्दी]

झारखण्ड में यात्री निवास का निर्माण

405. श्री राम टहल चौधरी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड में इस समय कहां-कहां यात्री निवास स्थित हैं;

(ख) राज्य में यात्री निवास के निर्माण हेतु झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) झारखण्ड में किसी यात्री निवास का निर्माण केन्द्रीय वित्तीय सहायता से नहीं हुआ है। तथापि, देवघर में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से एक यात्रिका का निर्माण हुआ है, जो अब झारखण्ड में है। जमशेदपुर, राजरप्पा और रिखिया में पर्यटक परिसरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श करके प्राथमिकता के लिए निर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 299.00 लाख रुपए राशि के केन्द्रीय वित्तीय सहायता से झारखण्ड के 5 स्थानों पर पर्यटक परिसर के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है। तथापि, राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

अतिरिक्त जल वाले राज्य

406. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त जल वाले राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अतिरिक्त जल को जल की कमी का सामना कर रहे राज्यों के साथ बांटने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजय चक्रवर्ती): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1980 में, जिसे उस समय सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली बहुत सी प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़कर एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के संभावित हस्तांतरण के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों का पता लगाये जाने की योजना है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल संतुलन और व्यावहारिकता अध्ययनों को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) की स्थापना एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत महानदी, गोदावरी, केन, पारबती एवं काली सिंध जैसे नदी बेसिनों और तापी, पार, आरंग, अम्बिका, पुर्ना, दमनगंगा, पंबा, अचनकोविल, नेत्रावती एवं बेदती जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत कोसी, सारदा, घाघरा, गंडक, गंगा (चुनार में) और मानस, एई, संकोश, रैदाक, टोरसा एवं जलढ़ाका (ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों) जैसी नदियों को अधिशेष जल वाली नदी बेसिनों के रूप में अभिज्ञात किया है। कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, वैप्पार, यमुना और सोन जैसी जल की कमी वाले बेसिनों में इन अधिशेष जल वाली बेसिनों का जल हस्तांतरण करने के लिए 30 अंतर-संपर्क बनाने की योजना है।

[हिन्दी]

पशु अनुंसधान केन्द्र

407. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की उच्चस्तरीय नस्ल विकसित करने के लिए देश में कार्यरत पशु अनुसंधान केन्द्र का स्थान-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पशु पालकों को प्रोत्साहित करने एवं प्रशिक्षित करने हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में विभिन्न प्रजातियों के पशु पालकों की संख्या को देखते हुए यह कार्यक्रम अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और दिसम्बर, 2001 तक राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सौंपी गई योजनाओं और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में मवेशियों की बढ़िया नस्लें विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काम कर रहे मवेशी अनुसंधान केन्द्रों की अवस्थिति का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) उपर्युक्त अनुसंधान केन्द्रों में मवेशियों की विभिन्न नस्लों को सुधारने के लिए अनुसंधान तकनीकों को विकसित करने का कार्य हो रहा है। यह अनुसंधान निजी पशुपालकों के लिए भी लाभकारी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा मवेशियों से सम्बन्धित परियोजना निदेशालय, मेरठ में पशु-पालकों को प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान और प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिलहाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मवेशी सुधार अनुसंधान कार्यक्रमों का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार से मवेशी सुधार से सम्बन्धित कोई अनुसंधान योजना और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

मवेशी अनुसंधान केन्द्रों की राज्यवार अवस्थिति

उत्तर प्रदेश :

- मवेशी परियोजना निदेशालय, मेरठ
- मिलिट्री फार्म, मेरठ
- भारतीय पशु चिकित्सा, अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

पंजाब :

- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

हरियाणा :

– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल

– हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

राजस्थान :

– राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, चन्दन, जैसलमेर

आंध्र प्रदेश :

– आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लोम

गुजरात :

– गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़

महाराष्ट्र :

– भारतीय कृषि उद्योग फाउन्डेशन, उर्लिकन्चन

केरल :

– केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुति

कर्नाटक :

– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर

पश्चिम बंगाल :

– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कल्याणी

राज्यों में कर्मचारियों को अतिथि गृह की सुविधा

408. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए अतिथि गृहों की राज्य-वार उपलब्धता क्या है;

(ख) क्या यह सुविधा पर्वतीय/गैर-पर्वतीय पर्यटक स्थलों सहित सभी राज्यों में उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार के नियंत्रण में केन्द्रीय कर्मचारियों, स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए कोई अतिथि गृह नहीं है।

[अनुवाद]

होटलों के विनिवेश में निधि का दुरुपयोग

409. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय को अखिल भारतीय पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में विनिवेश के दरुपयोग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि इस संदर्भ में पर्यटन मंत्रालय को इस आशय की सूचना मिली थी कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के विनिवेश की प्रक्रिया में धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है जैसाकि अखिल भारतीय आई टी डी सी कर्मचारी संघ ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है।

(ग) विनिवेश से जुड़े मुद्दों का कार्य विनिवेश मंत्रालय द्वारा देखे जाने के कारण इस संबंध में प्रभारी मंत्री (विनिवेश) द्वारा उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया है।

तिलहनों और दालों के मामले में प्रौद्योगिकी मिशन

410. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों और दालों के मामले में कोई प्रौद्योगिकी मिशन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी मिशन को बनाए जाने के समय से इसके क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) तिलहनों और दालों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा शुरू किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश को तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 1986 में तिलहन

प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया था। बाद में वर्ष 1990 में दलहन को इस मिशन के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 1992-93 में आयल पॉम को और वर्ष 1995-96 में मक्का को इस मिशन के अन्तर्गत लाया गया।

प्रौद्योगिकी मिशन में 4 मिनी मिशन हैं और मिनी मिशनों के कार्यकलाप इस प्रकार हैं :-

मिनी मिशन-I	फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित है।
मिनी मिशन-II	कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी से संबंधित है।
मिनी मिशन-III	किसानों को आदान और सेवा समर्थन से संबंधित है।
मिनी मिशन-IV	मूल्य समर्थन, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित है।

(ग) मिनी मिशन-I के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नौवीं योजनावधि के दौरान तिलहन मे अधिक उपज देने वाली लगभग 90 किस्मों और दलहन में लगभग 60 किस्मों को विकसित किया है और निर्मुक्त किया है।

मिनी मिशन-II के अन्तर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आयल पॉम के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, तीक्ष्ण सरसों के तेल के लिए एक्सपेलर, चावल की भूसी की अच्छी क्वालिटी के तेल के लिए शुद्धीकरण प्रौद्योगिकी, दलहन प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मिनी दाल मिलों के विकास किये हैं और हलर राईस मिलों का शेलर राईस मिलों में उन्नयन करने का काम किया है।

देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिनी मिशन-III के अधीन प्रौद्योगिकी मिशन ने तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक दो स्कीमें शुरू की हैं। आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल नामक 28 राज्यों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली नामक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के अधीन बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, उन्नत कृषि उपकरणों और स्प्रिंकलर सैटों, राईबोजियम-कल्चर, पी.एस.बी. और सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के वितरण के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। किसानों के बीच उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शन किये जाते हैं। इसके अलावा राज्य कृषि विभाग के जरिये ब्लॉक और समन्वित कृमि प्रबंध प्रदर्शन किए जाते हैं।

आयल पॉम विकास कार्यक्रम के अधीन किसानों को पौध रोपण सामग्री, खेती की लागत, ड्रिप सिंचाई प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार प्रदर्शन, डीजल पम्पसेट और बंजर भूमि के विकास के लिए सहायता दी जाती है।

मिनी मिशन-IV के अन्तर्गत, नैफेड ने पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मूल्य समर्थन कार्य के अन्तर्गत 16 लाख मीटरी टन तिलहन की खरीद की है।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना

411. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु ठोस योजनाएं बनाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इन पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार और वर्ष-वार कितना उत्पादन बढ़ने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य वर्ष 2002-07 की अवधि के लिए 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का संकेतात्मक लक्ष्य प्राप्त करना है। दसवीं योजना के लिए कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-वार विकास दर और निधियों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मदर डेयरी और इसकी फल और सब्जी परियोजना

412. श्री सईदुज्जमा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मदर डेयरी और इसकी फलों और सब्जी के बूथों की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) ने पूरे शहर में बूथों के निर्माण और परिचालन के लिए सस्ते मूल्य पर भूमि प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मदर डेयरी ने उत्पादों, जिनका विपणन उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को सही मूल्यों पर किया जाना था के उत्पादन के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने संबंधी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मदर डेयरी अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैक किए गये नये नमकीन उत्पादों को ला रही है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) अधिनियम के अक्षरक्षः अनुपालन और डब्ल्यू.एच.पी. प्रायोजित ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मदर डेयरी की नई प्रवृत्तियों पर ध्यान देने और तदनुरूप इसे परामर्श देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मदर डेयरी तथा फल और सब्जी परियोजना को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन ग्रामीण उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क उपलब्ध कराना था।

(ख) मदर डेयरी को भूमि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पट्टे के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। मदर डेयरी बूथों का निर्माण अपनी लागत पर करती है।

(ग) मदर डेयरी की दिल्ली और इसके आस-पास फल और सब्जी की 268 दुकानें तथा दूध की 645 दुकानें हैं।

(घ) जैसा कि उक्त (क) में बताया गया है, मदर डेयरी ने अपना मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन हासिल कर लिया है।

(ङ) मदर डेयरी समूचा दूध सहकारिताओं से तथा फल और सब्जी मुख्यतः उत्पादकों तथा उत्पादक संगठनों से खरीदती है तथा इसे दिल्ली और इसके आस-पास अपने बूथों से उचित कीमत पर बेचती है।

(च) मदर डेयरी ने पैक किए गए नमकीन उत्पादों को शुरू किया है।

(छ) मदर डेयरी की व्यापारिक गतिविधियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

(ज) उक्त (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

413. श्री हरिभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से गुजरात के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन किसानों का भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में बीमा दावों के लिए वर्ष-वार कितना भुगतान किया गया है;

(घ) बकाया देय धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया धनराशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। गुजरात के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को पिछले दो वर्षों से कोई भुगतान देय नहीं है। केवल रबी 2000-01 के दावों तथा खरीफ 2000 के अतिरिक्त दावों की थोड़ी-सी राशि का भुगतान किया जाना है।

(ख) कार्यान्वयन अभिकरण को रबी 2000-2001 के दावों तथा खरीफ 2000 के अतिरिक्त दावों के लिए राज्य का हिस्सा अभी निर्मुक्त किया जाना है। इसके बाद, कुल दावों की राशि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किसानों को निर्मुक्त की जाएगी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में बीमे का वर्ष-वार भुगतान निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	वर्ष	दावे की राशि (रुपये लाख में)
1.	1992-93	87.50
2.	1993-94	16253.08
3.	1994-95	450.87
4.	1995-96	8422.01
5.	1996-97	389.40

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई स्वीकार्य दावे लम्बित नहीं हैं।

(ङ) कार्यान्वयन अभिकरण को धनराशि निर्मुक्त होते ही लम्बित दावों का भुगतान कर दिया जाएगा।

कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

414. श्री राजो सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में स्थापित कृषि सेवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों के क्या कार्य हैं; और

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान शामिल किये गये इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) इस मंत्रालय के किसी भी कार्यक्रम के तहत देश/बिहार में ऐसे कोई केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बिहार में कोसी (सहरसा), बांका, मधुबनी, बेगुसराय, भभुवा, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, भोजपुर, जमुई, वैशाली, पटना तथा मुजफ्फरपुर में 14 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की पिछले दो वर्षों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के लिए बिहार में कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य-निष्पादन

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष	प्रशिक्षित किए गए किसानों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए विस्तार कर्मियों की संख्या	अग्रणी प्रदर्शनों की संख्या
2000-2001	15584	1448	1389
2001-2002	20916	3329	1304
कुल	36500	4777	2693

विस्तार क्रियाकलाप

वर्ष	तैयार किया गया विस्तार साहित्य	फील्ड/दिवस/किसान गोष्ठी	आयोजित किए गए किसान मेले	टी.वी./रेडियो वार्ता/वीडियो	समाचार पत्र कवरेज	बीज उत्पादन (क्विंटल)
2000-2001	80	35	7	69	18	1994
2001-2002	57	90	14	86	30	1385
कुल	137	125	21	155	48	3379

[अनुवाद]

केरल में अथीरापल्ली जल विद्युत परियोजना को मंजूरी

415. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अथीरापल्ली जल विद्युत परियोजना को शीघ्रता से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की मंजूरी में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) 20 जनवरी, 1998 को अथीरापल्ली जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। केरल के उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17.10.2001 के आदेश में केरल राज्य विद्युत बोर्ड को जन सुनवाई करने तथा केन्द्र सरकार को जन सुनवाई की रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के संबंध में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। जन-सुनवाई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कोल इंडिया लिमिटेड में यंत्रचालित खनन

416. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों के अधीन यंत्रचालित खानों की अनुषंगी कंपनी-वार संख्या कितनी है जिन्होंने यंत्रचालित खान प्रणाली को अपनाया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खानों में एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर यंत्रचालित खनन को शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोल इंडिया लि. में भूमिगत खानों की कंपनी-वार संख्या, जहां यंत्रीकृत खनन प्रचालन किए जा रहे हैं, नीचे दी गई है :–

कंपनी	इंटरमीडिएट टैक्नोलॉजी (एसडीएल/एलएचडी)	परम्परागत यंत्रीकृत लांगवाल	विद्युत सपोर्ट वाले लांगवाल	सी.आई.एल. में यंत्रीकृत भूमिगत खानों की कुल संख्या
ईसीएल	25	1	1	27
बीसीसीएल	32	1	1	34
सीसीएल	8	-	-	8
एनसीएल (सभी ओ.सी. खानें)	-	-	-	-
डब्ल्यूसीएल	37	-	-	37
एसईसीएल	60	-	3	63
एमसीएल	6	-	-	6
एनईसी	-	-	-	-
जोड़ सीआईएल	168	2	5	175

सीआईएल की सभी ओपनकास्ट (179 खानें जिसमें मिश्रित खानें भी शामिल हैं) यंत्रीकृत हैं।

(ख) से (घ) सीआईएल में आरंभ की जा रही सभी नई परियोजनाओं – भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों में यंत्रीकरण की परिकल्पना की गई है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित चालू भूमिगत खानों में भी यंत्रीकरण करने का प्रस्ताव है।

यंत्रीकरण	खानें	संभावित समय
लांगवाल विद्युत	चुर्चा (एसईसीएल)	2003-04 तक
सपोर्ट वाले	मोरपार (डब्ल्यूसीएल)	2004-05 तक
सतत खनिक	चिरीमिरी (एसईसीएल)	2001-02 तक
	विंध्या (एसईसीएल)	
	पिनौरा (एसईसीएल)	
	टांडसी (डब्ल्यूसीएल)	
एस. एण्ड टी. के अंतर्गत शार्टवाल माइनिंग	बलरामपुर (एसईसीएल)	2002-03 तक

इंटरमीडिएट टैक्नोलॉजी (एसडीएच/एलएचडी)	मैनुअल लोडिंग को प्रतिस्थापित करते हुए इसे मौजूदा भूमिगत खानों में में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है जिससे इस टैक्नोलॉजी से त्पादन के मौजूदा स्तर लगभग 24 मिलियन टन को बढ़ाकर 2006-07 तक 31.3 मिलियन टन किया जा सके।

विद्यमान प्रतिकूल भू-खनन स्थितियों जैसे सीधी ढलान, मोटाई में विभिन्नता केपेबिलिटी आदि के कारण मौजूदा सभी भूमिगत खानों में यंत्रीकरण करना व्यवहार्य नहीं है।

चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का उत्पादन

417. श्री अरुण कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं योजनावधि की तुलना में दसवीं योजनावधि में चावल, गेहूँ और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या विस्तृत उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): वृहद प्रबंध पद्धति स्कीम के अन्तर्गत, नौवीं योजना के दौरान चावल/गेहूं/मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम से संबंधित अनेक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन्हें दसवीं योजनावधि के दौरान भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, चावल और अन्य फसलों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए पूर्वी भारत में "खेतों पर जल प्रबंध" नामक एक नई स्कीम शुरू की जा रही है। इसे भी दसवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। दसवीं योजनावधि के दौरान संकर चावल उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सरकारी विभागों में फिजूलखर्ची

418. श्री अमर राय प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फिजूलखर्ची को कम करने हेतु कोई कदम उठाया है और कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जहां इसके विभिन्न विभागों में फिजूलखर्ची अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनमें कितनी फिजूलखर्ची की गई है; और

(ग) ऐसी फिजूलखर्ची को कम करने/रोकने हेतु अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय ने व्यय को कम करने तथा इस पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं जिससे व्यय को प्रतिबंधित किया जा सकता है :-

(*i*) वित्त मंत्रालय/मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मिव्ययिता/किफायती उपायों के संबंध में जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

(ii) दसवीं योजना में जारी करने के पहले शून्य आधारित बजट की दृष्टि से मंत्रालय में चल रही सभी स्कीमों की जाँच की जा रही है।

(iii) विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग के संबंध में नियमित रूप से मानीटरी की जा रही है तथा तत्पश्चात् मानीटरी रिपोर्ट के आधार पर राशि जारी की जा रही है।

कृषि उत्पादन का अनिवार्य प्रयोग

419. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1987 में खाद्यान्नों और चीनी की पैकिंग के लिए पटसन की बोरी के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कपास, ईख इत्यादि जैसे अन्य कृषि उत्पादों के लिए इसी प्रकार का प्रयोग अनिवार्य करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 का अधिनियमन तब किया गया जब पटसन पैकेजिंग सामग्री के स्थान पर बाजार में सिंथेटिक जैसी इससे सस्ती सामग्री का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण पटसन की खेती और उद्योग प्रभावित हुए। इस अधिनियम में कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों और उनसे संबंधित मामलों के हित में कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान है। सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अंतर्गत पटसन पैकेजिंग सामग्री के साथ विभिन्न वस्तुओं की पैकेजिंग हेतु व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी करती है। दिनांक 1.9.2001 के का.आ. सं. 853 (ई) द्वारा अद्यतन आदेश जारी किया गया है जिसमें खाद्यान्न और चीनी का 100% पैकेजिंग पटसन के थैलों में किया जाना है। यह आदेश 30.6.2002 तक वैध है। फिलहाल, कपास, गन्ना जैसे अन्य कृषि उत्पादों हेतु इसी आधार पर पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

घरेलू विमान-मार्गों पर सेवारत निजी विमान कंपनियां

420. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी निजी विमान कंपनियां घरेलू विमान मार्गों पर परिचालन में हैं;

(ख) इन विमान कंपनियों और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किए गए व्यवसाय का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी विमान कंपनियों के आने के कारण विमान यातायात में वृद्धि का अनुमानित आंकड़ा निकाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) इस समय घरेलू मार्गों पर से प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइनें और 38 प्राइवेट नॉन-शेड्यूल्ड एयरलाइनें प्रचालनरत हैं।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स तथा प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान वहन किए गए यात्रियों का अनुपात निम्नानुसार है :

	इंडियन एयरलाइंस	*प्राइवेट एयरलाइंस*
वर्ष 2000	49 प्रतिशत	51 प्रतिशत
वर्ष 2001	49 प्रतिशत	51 प्रतिशत

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति में घरेलू यात्री वहन में 5-7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

'मेन आफ आर्टस' के लिए पेंशन

421. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय 'मेन आफ आर्टस' के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में केन्द्रीय और राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के जिले-वार नाम और पते क्या हैं;

(ख) ऐसे पेंशन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और ऐसे पेंशन को प्राप्त करने के लिए क्या औपचारिकतायें आवश्यक हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में अधिक व्यक्तियों को ऐसे पेंशन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम के अंतर्गत आज तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली तथा महाराष्ट्र के लाभार्थियों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) निर्धारित किए गए मानदण्ड इस प्रकार हैं :–

I. स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए व्यक्ति ने कला और संस्कृति आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो। पारम्परिक विद्वान जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है, किसी प्रकार का प्रकाशन कार्य न किए जाने पर भी सहायता पाने के पात्र होंगे।

II. आवेदक की निजी आय (जिसमें उसके पति/पत्नी की आय भी शामिल है) 2000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

III. आवेदक की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (यह शर्त आश्रितों के मामले में लागू नहीं होती)।

प्रक्रियागत अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं :–

I. आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें तथा अपने आवेदन पत्र को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संस्कृति विभाग को भेजें।

II. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों में आवेदकों के वित्तीय साधनों तथा प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान की जाने वाली सहायता तथा सहायता प्राप्त करने वालों का नाम धन की उपलब्धता के आधार पर संस्कृति विभाग, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निश्चित किया जाता है।

III. विशेषज्ञ समिति के निर्णय/सिफारिशें संस्कृति विभाग के प्रभारी मंत्री के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस स्कीम का प्रचार देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर किया गया। इस वर्ष सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें दिल्ली तथा महाराष्ट्र भी शामिल हैं, को स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठित कलाकारों के नामों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र

केन्द्रीय कोटा

क्र.सं.	नाम तथा पता
1	2
1.	अकबर अहमद सिद्दीकी तुलजापुर (वासुदेव गल्ली), डाकघर तजलापुर, जिला उस्मानाबाद-413 601
2.	अनंत बापूराव भोरकार संत नामाजी मठके निकट, पुरानी गड़ी खाना, तनहा अस्पताल के पीछे, नागपुर-440 002
3.	भांजीभाई एल पठाबकार प्लॉट सं. एफ-9, लक्ष्मी नगर, नागपुर-440 022
4.	भास्कर तुकाराम सवांत डाक दरीस्टले, ताल कनकारली जिला-सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र
5.	डाडा धाटोड रागथाताते भवन, सिताबुलदी, मोदी संख्या 3, नागपुर
6.	गरीब काले मोहगाँव (जिल्पी), हिंगना तहसील, नागपुर
7.	माणिकराव गोविन्दा दुपारे प्लॉट सं.-380, चन्दन नगर नागपुर-440 009
8.	कारोसाव आनंदराव बोकडे तांडापेठ लाल दरवाजा, नागपुर-440 017
9.	महारूद्रा धूमल मुंबई गार्डन, ई/12, संकल्पा लिबर्टी मलाड पश्चिम-400 064

1	2
10.	मधुकर आर. खदिलकर, 24, बुधवार पेठ, पानसे वाड़ा, पुणे-411 002
11.	महादेव आत्माराव भानगे ए/पी-तुलास, ताल वेंगुराल जिला-सिंधुदुर्ग-416 516
12.	माणिकराव मोतीराम खोबरागाडे प्लॉट सं. 535, चंदरनगर, उमरेर रोड, नागपुर-400 009
13.	माणिकराज जाधव बी.ए. 2136, ए-वार्ड, धोतरी गल्ली, कोल्हापुर-महाराष्ट्र
14.	मारुति तुकाराम शिब्दे, 211-सी, सिद्धेश्वरी, द्वितीय तल, दिलीप गुप्ते राओड, माहिम, मुंबई-400 016
15.	मोहन जनबाजी कल्याणकर डा. पंजाबराव देशमुख विद्यालय गाडगेनगर जिला-यवतमाल-445 001
16.	मनाजी लक्ष्मण पालव डाक-अदेली, ताल-वेंनगुला, जिला-सिंधदुर्ग-416 516
17.	रामचन्द्र किसन कुम्भहारे, चन्द्रभागा नगर, नई बस्ती, तांडापेठ, नागपुर-440 017
18.	नागनाथ रेड्डी बलान्ना शाहापुर डाक शाहापुर तालुका, डेगलूर जिला, नांदेड़-431 723
19.	नरेश हरीभाऊ निमजे, इतवारी सिटी डाक घर, खापरीपुरा, वार्ड सं. 115, नागपुर-440 002
20.	पांडुरंग नारायण वाघाई, वागडारा, डाक-गुमगाँव, तहसील-हिंगारा, जिला-नागपुर-441 114

1	2
21.	पिंटोजी हुल्लाजी रावणपल्ले, खानापुर तालुका डेगलूर, जिला- नांदेड़-431 717
22.	प्रमिला एम. डागर, 6/20, रुक्मिनी, आर.सी. मार्ग. चेम्बूर, मुम्बई-400 071
23.	श्रीधर अर्जुन मलिक, मालेवाड, तालू-सावंतवाड़ी, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र
24.	श्रीराम के. इंगले, 149, ओल्ड सुभेदार-ले-आउट, नागपुर-440 024
25.	सोनकाम्बले विश्वनाथ विठ्ठल ग्राम/डाक-कासगी, दि-ओमोरेगा, जिला-उस्मानाबाद-413 606
26.	सूर्यभान रावजी लंजवार नई सुखवारी, फुनटेन चौक, गुजरपुरा, नागपुर-400 002
27.	सरस्वती बाई सुंदरराव राणे, मार्फत मीना फाटेरपेकर, राहुल नगर, फ्लैट सं-13, ब्लॉक 'बी' प्रथम तल, कोथरूड, पुणे-411 029
28.	शांताबाई बापूराव टल्ले, राम मंदिर के पास, दहीसाथ, अमरावती, महाराष्ट्र- 444 601
29.	शंकर रामाहजी येवाले, सत्रानजीपुरा, आओज बिल्डिंग, वार्ड सं-95, डाक लक्कड़गंज, नागपुर-440 008
30.	उस्ताद शेरखाँ कुतुबीखाँ, उर्दू स्कूल के पीछे, बड़ा ताजिबाग, उमरेद रोड, नागपुर
31.	उत्तमराव एडवोकेट खाँ उर्दू मास्टर प्लॉट के सामने, वार्ड सं. 122, मॉडल मिल, चौ, नागपुर-400 002
32.	वैंकुठ शामराव सालोडकर 237, प्रकाश नगर, भानडे प्लॉट, उमरेर रोड, नगर 400 024

1	2
33.	विनायक देवराल अम्भाइकर, 108/3, विजयनगर भवन, डाडेर (पश्चिम), मुंबई-400 028
34.	महादेव बंसी डोंगरा पी.डब्ल्यू.एस. कॉलेज के शेंडनगर के पीछे, ताकानाडा, कामिथी रोड, नागपुर-440 026
35.	नानदेव लक्ष्मण कालमेघ समता हाई स्कूल के पास शेंडनगर, तेकनाका, कामिथी रोड-440 026
36.	नागप्पा दत्तात्राया आदम 187/6969, कन्नामवार नगर-2 विखोरली (पूर्व), मुम्बई-400 083
37.	सत्तार महबूब शेख, तकाली पोस्ट येवती वाया तेर तालुक तथा जिला-उस्मानाबाद
38.	टिप्पानना सादाशिव मुले सांगली वेस काईकाडी गल्ली मिराज-416 410, जिला-सांगली महाराष्ट्र
39.	भास्कर केशव सामंत डाकघर-तारानडाले, तालुका कंकावती, जिला-सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र-416 602
40.	बापुराव लक्ष्मण राण ऐट-तिवाले, डाकघर/बेलने-गोसविवाडी, तालुका-कनकावली, जिला-सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र-416 601
41.	दिंगबर बालीराम जाधव आर/ओ सुजलेगाँव, तालुक-नई गाँव जिला नांदेड़-431 709
42.	पोधये शोशानना भवन सं. 35, कक्ष सं. 1895, खेर नगर, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 051
43.	अंकुश रामचन्द्रा गोथानकर ऐट/डाक कालमथ-कम्भारवाड़ी, तालुका-कंकावली-416 602

1	2
44.	गोंविदराव नारायण गाथीबांधे, कालमेश्वर वार्ड सं. 10, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
45.	जनार्धनी भोंडे सी/ओ संजय भोंडे, अनिल देशमुख के घर के पास, कटोल बस स्टॉप के पास, जिला-नागपुर-441 302

महाराष्ट्र

राज्य कोटा

क्र.सं.	नाम तथा पता
1.	बापूराव वेरूपरकाश विबूटे ताल-मिराज, जिला-सांगली, बुधगानो-416 304
2.	चन्द्रकांत रामचन्द्रा हदकर, 1072, बॉज नंबर- 27, साई कृपा सोसायटी, प्रथम तल, डी एन नगर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-53
3.	अमोदेकर रूस्तुमबोआ अबाबुआ . वजीरगाँव डाक कहाला टी के नई गाँव जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र
4.	मारूतिराव ए. करानडे कमरा सं.-3 भवन सं.-31 भारत नगर ट्रांजिट कैम्प, नीयर टाटा कॉलोनी, (ई) बांद्रा-कुरला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई-51
5.	शहिर आनंदराव सूर्यावंशी ए/पी अंकलखोप, तालुका पालुस जिला सांगली-416 316
6.	सुमन जी धर्माधिकारी, 1-तेजस प्लॉट सं 8, सहवास सोसायटी, कारवे नगर, पुणे-411 052
7.	शालिनी नाखेकर, 305, शांग्रिली भवनयारी रोड, सत बंगला, यारसोवा अंधेरी (पश्चिम) मुंबई-61
8.	शिवराम हायराम परब ऐट डाक ओसरगाँव, ताल-कंकावली, जिला-सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र

दिल्ली

केन्द्रीय कोटा

क्र.सं.	नाम तथा पता
1	2
1.	श्री अमर सिंह 80-एच, ब्लॉक नानक प्याऊ गोपाल नगर मित्रून रोड, नजफगढ़, दिल्ली - 110 043
2.	श्री अनिल सेन गुप्ता, हरिजन सेवक संघ, आर/ओ 8/2, गाँधी आश्रम, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110 099
3.	श्रीमती अंसारी बेगम, मकान नंबर 2/1 जोगा बाई जामीया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110 025
4.	श्री छोटे लाल गौर मकान नंबर 502, नांगलोई, दिल्ली-110 041
5.	श्री दिनेश शर्मा एस-11,सी/2, साउथ पांडव नगर, दिल्ली - 110 092
6.	श्री जय गोविंद सहाय 'उन्मुक्त' सी/ओ कंवर सिंह सहरावत आर जेड-ए/30, महावीर विहार (पालम), नई दिल्ली-110 045
7.	श्रीमती कीर्ति कुमारी 361-बी, वी जी 6, पश्चिम विहार नई दिल्ली-110 063
8.	श्री किशन चंद आर्यन, 4563/169, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002
9.	श्री के. रामामूर्ति सी/ओ.के. बालारामन, नागालैंड हाउस, 29, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-110 011
10.	श्रीमती मजीदा खतून कमरा सं. सी-190, वेलकम सीलमपुर, दिल्ली-110 053
11.	श्री महाजनम श्रीराममूर्ति सी/ओ श्रीमती जयंती अय्यर, ए-218, डिफेंस कॉलोनी, 11 तल, नई दिल्ली-110 024

1	2
12.	मोहम्मद जफर हयाल लखनवी, आर/ओ 5, इमामिया हाल, पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली-110 001
13.	महमूद जन खान 125, गली काला खाँ, मस्जिद आखाली के पास, ले-3, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092
14.	श्री नरिंदर सिंह लाल, ओ-44, चंदर शेखर आजाद कॉलोनी, किशन गंज, दिल्ली-110 007
15.	श्रीमती ओमा कौल 13/497, लोदी कॉलोनी नई दिल्ली-110 003
16.	श्री पन्ना लाल मकान नं. 2346, गली जाल बाली काली मस्जिद के पीछे, सीताराम बाजार, दिल्ली-110 006
17.	श्री रामू 410-ग्राम व डाकघर-नांगलोई, साई मोहल्ला, दिल्ली-110 041
18.	श्री साहिल ब्रेलवी सी-4/81, यमुना विहार, दिल्ली-110 053
19.	श्री सालिगराम गोसाई डब्ल्यू- 25, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110 032
20.	श्रीमती सलमा खाँ बी-1/252, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110 063
21.	श्री उमरदीन कमरा नंबर 75, सैनी मोहल्ला, ग्राम नांगलोई, दिल्ली-110 041
22.	श्री वीरेन्द्र सिंह राही, 64-बी, पॉकेट-एफ, मयूर विहार फेज-II, नई दिल्ली-110 091
23.	श्रीमती विद्या देवी पाठक, 11-डी, पॉकेट-एल, शेख सराय, नई दिल्ली
24.	अशोक कौशिक 385, राइट I, विकासपुरी, नई दिल्ली-110 018

1	2
25.	ब्रिजलाल शर्मा एल- 2/83-84, शास्त्री नगर, दिल्ली-110 052
26.	बेगम खुर्शीद लतीफ, कमरा नं. 1500, प्रथम तल, मदनी मंजिल, कोटाना, सुईवालाल, दिल्ली-2
27.	चन्द्र कुमार मालिक सी/ओ सीता राम, 651, गली नं.-3, गणेश नगर, शकरपुर, नई दिल्ली-92
28.	जगदीश आर्या, 80/ए-I आई एस एच-डेन, वेस्ट आजाद नगर, दिल्ली-110 051
29.	लाल मुकर्जी, बी-12, कालिन्दी कॉलोनी, नई दिल्ली-110 065
30.	लक्ष्मी देवी 37, भारती आर्टिस्ट कालोनी, विकास मार्ग, दिल्ली-92
31.	लाल सिंह यू-78/16, कुतुब इन्कलेव पी-III (नजदीक/ सैक्टर रोड), गुड़गांव-122 001
32.	राजकुमारी 237, एल आई जी फ्लैट्स, संजय इन्कलेव, दिल्ली-33
33.	रेबा मुखर्जी बी I / सी-108, पर्यावरण परिसर, इगनू रोड, नई दिल्ली-30
34.	शान्ती एफ-35, मोती बाग-II नई दिल्ली-21
35.	श्रवण देवी एफ-75, मोती बाग, नई दिल्ली-21
36.	तिलक सिंह लाटवाल हाउस नं. 27, डा अम्बेडकर नगर, जे.जे. कॉलोनी, तिगारी, नई दिल्ली-62
37.	मालती केसर मार्फत राधिका केसर जी-94, सरिता विहार, नई दिल्ली
38.	एस एन भट्ट हलीम 1-1 कश्मीर अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली-34
39.	महमूद निजाम टी-131, हजरत निज़ामुद्दीन, निजामुद्दीन, नई दिल्ली

होटलों में पर्यटकों का आना

422. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री पी. मोहन :
श्री विकास चौधरी :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के होटलों में कितनी संख्या में पर्यटक आए;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आए विदेशी/स्वदेशी पर्यटकों की वर्ष-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सप्त तारा, पंच तारा और चार तारा होटलों में ठहरे स्वदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता कितनी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वाणिज्यिक आधार पर संचालित होटलों/आवास स्थापनाओं में वर्ष 1999 और 2000 के दौरान पर्यटकों के ठहरने की संख्या अनुमानतः क्रमशः 197 मिलियन और 216 मिलियन थी। वर्ष 2001 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले दो वर्ष के दौरान देश में विदेशी तथा घरेलू पर्यटक आगमन की अनुमानित संख्या इस प्रकार है–

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में)	घरेलू पर्यटक भ्रमण (मिलियन में)
2000	2.65	210.11
2001	2.54	अनुपलब्ध

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय (करोड़ रुपयों में)
2000	14238.00
2001	14006.45

(घ) विभिन्न श्रेणी के होटलों में घरेलू पर्यटकों/ अतिथियों का प्रतिशत इस प्रकार है:–

होटल श्रेणी	घरेलू पर्यटकों/अतिथियों का % *	
	1999-2000	2000-2001
5-सितारा (डीलक्स)	54.6	46.3
5-सितारा	55.5	63.6
4-सितारा	67.4	71.5

7-सितारा श्रेणी का कोई होटल नहीं है।

*स्रोत : भारतीय होटल और रेस्तरां परिसंघ द्वारा कराए गए भारतीय होटल उद्योग से संबंधित सर्वेक्षण 1999-2000 और 2000-2001.

काजू के लिए अनुसंधान केन्द्र

423. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास काजू के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तटीय क्षेत्रों के आसपास काजू के बीज को अधिक उत्पादक बनाने हेतु कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के काजू अनुसंधान केन्द्रों में विकसित की जा रही काजू की नई किस्में क्या हैं;

(ङ) क्या काजू संबंधी किसी नये अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर (कर्नाटक) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गोवा स्थित अनुसंधान परिसर काजू पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत 9 केन्द्र काजू पर कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र बापटला (आंध्र प्रदेश); भुवनेश्वर (उड़ीसा); चिंतामणी (कनार्टक); जगदलपुर (छत्तीसगढ़); झारग्राम (पश्चिम बंगाल); मडक्काथारा और पिल्लिकोड (केरल); वेनुगुरला (महाराष्ट्र) और वृंदाचलम (तमिलनाडु) में कार्यरत हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर ने एन आर सी सी चयन-1 और एन आर सी सी चयन-2 नामक दो किस्में जारी की हैं। इसी तरह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गोवा स्थित अनुसंधान परिसर ने गोवा-1 नामक किस्म भी जारी की है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के केन्द्रों द्वारा कुल मिलाकर काजू की 38 किस्में जारी की गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी द्वारा निरीक्षण

424. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज ने सोसाइटियों का निरीक्षण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निरीक्षण किये गए सोसाइटीज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निरीक्षणों के क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निधियां

425. श्री ए.के. मूर्ति : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के पर्यटन स्थलों/तीर्थस्थलों के विकास हेतु अधिक धनराशि आवंटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) तमिलनाडु में पर्यटक केन्द्रों/तीर्थ केन्द्रों के विकास के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान 605.00 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 32 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर धन उपलब्ध होने पर ही उन पर कार्रवाई और राशि अवमुक्त की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पारिस्थितिकीय लागत के संदर्भ में भारत की विकास दर

426. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई) के पूर्व निदेशक के अनुसार भारत में पारिस्थितिकीय लागत के संदर्भ में 5 प्रतिशत की नकारात्मक विकास दर है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निजात पाने हेतु क्या उपाए किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान (नीरी) के भूतपूर्व निदेशक ने 1997 में प्रकाशित अपने "आर्थिक वृद्धि का पर्यावरणीय मूल्यांकन : परिवर्तन की कार्यसूची" नामक शीर्षक पत्र में पर्यावरणीय कारणों से समायोजित माइनस 4.92 प्रतिशत वार्षिक दर को दर्शाया है। तथापि इस संबंध में कोई निष्कर्षात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, पर्यावरण पुनरुद्भव, पर्यावरणीय और वानिकी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, पर्यावरणीय और वानिकी अनुसंधान का संवर्धन, शिक्षा और प्रशिक्षण, पर्यावरणीय ह्रास को रोकने के लिए पर्यावरण जानकारी का प्रसार। ये कार्यक्रम पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और बचाव संबंधी विधायी और नियामक उपायों के सैट द्वारा सुसमर्थित हैं जिनमें ये शामिल हैं :–

i) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) लोक-देयता बीमा अधिनियम, 1991

v) राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1995

vi) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997

vii) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

viii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

ix) पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय कार्यनीति और नीति विवरण, 1992

x) राष्ट्रीय वन नीति, 1988

xi) प्रदूषण उपशमन संबंधी नीति विवरण, 1992

नारियल उत्पादक किसानों के लिए योजना

427. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से नारियल उत्पादक किसानों की सहायता हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास के लिए 105 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम, नौवीं योजना के दौरान सभी नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ताकि नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों ने नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का राज्यवार विवरण और उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है :–

(i) केरल

केरल सरकार ने नारियल के एरियाफाइड नियंत्रण के लिए 100.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की गई और राज्य सरकार को

नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2000-2001 के दौरान 24.25 करोड़ रुपये की वांछनीय सहायता निर्मुक्त की गई थी जिसकी उपयोग रिपोर्टें राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

वर्ष 2000-2001 के दौरान केरल सरकार ने 992.74 करोड़ रुपये के परिव्यय (501.44 करोड़ रुपये भारत सरकार के अंश के रूप में) से पांच वर्षों की अवधि हेतु दूसरी परियोजना-नारियल प्रौद्योगिकी मिशन-प्रस्तुत की है। इसकी कृषि एवं सहकारिता विभाग में जांच की गई और प्रस्ताव को संशोधित करने के अनुरोध सहित टिप्पणियां केरल सरकार को भेजी गई थीं। अब भारत सरकार नौवीं योजना के भाग के रूप में वर्ष 2001-2002 के दौरान सभी नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल प्रौद्योगिकी मिशन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गई है। नारियल प्रौद्योगिकी मिशन की स्कीम में कीट/कृमि एवं रोग प्रबंधन; प्रसंस्करण व उत्पाद विविधीकरण; और मण्डी अनुसंधान व संवर्धन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन तथा अंगीकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान की परिकल्पना की गई है। नारियल विकास बोर्ड ने पहले ही प्रारम्भिक आवश्यक कार्रवाई की शुरूआत कर दी है और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए "प्रचालनात्मक दिशा निर्देश" जारी कर दिए हैं।

(ii) कर्नाटक

राज्य के 12 अधिक प्रभावित जिलों में दीमक की समस्या को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान एक स्कीम कार्यान्वित करने हेतु 166.00 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है, इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने ब्लैक हैडेड केटरपिलर, रेड पाम वीविल और रिनोसेरस बिटल के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम के वास्ते 18.38 करोड़ रुपये का दूसरा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

दीमक नियंत्रण के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान नारियल विकास बोर्ड ने कर्नाटक सरकारक को 7.4 करोड़ रुपये जारी किए जिसके लिए राज्य सरकार से अभी उपयोगिता रिपोर्टें प्राप्त होनी हैं।

(iii) तमिलनाडु

वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 50.00 लाख रुपये की कुल लागत का समेकित कीट प्रबंध-रेड पॉम वीविल एण्ड रिनोसेरस बिटल हेतु एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

तमिलनाडु में इन कीटों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंध के तहत बोर्ड ने राज्य सरकार को 25.00 लाख रुपये जारी किए हैं।

(iv) उड़ीसा

उड़ीसा सरकार ने ब्लैक हैडेड कैटरपिलर के नियंत्रण एवं दीमक प्रबंधन के लिए 26.68 लाख रु. के वित्तीय परिव्यय से एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ब्लैक हैडेड कैटरपिलर एवं दीमक नियंत्रण हेतु बोर्ड ने समेकित कीट प्रबंध के तहत 26.68 लाख रु. की राशि जारी की है।

[हिन्दी]

क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कार्यक्रम

428. श्री रामसिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्र की भूमि क्षारीयता के कारण कृषि योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी भूमि को उर्वरक बनाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में लगभग 7.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र लवणता से प्रभावित है। देश में लवणता-प्रभावित भूमि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) एक संयुक्त केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों का दौरा किया था। सिफारिशों के आधार पर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की गई है और लवण प्रभावित भूमि के उपचार के लिए इसे योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेजा गया है।

विवरण

देश में लवण प्रभावित भूमि की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	240
2.	बिहार	4
3.	गुजरात	1042
4.	हरियाणा	526
5.	पंजाब	718
6.	कर्नाटक	404

1	2	3
7.	केरल	117
8.	मध्य प्रदेश	1242
9.	महाराष्ट्र	534
10.	उड़ीसा	404
11.	राजस्थान	1000
12.	तमिलनाडु	104
13.	उत्तर प्रदेश	1295
14.	पश्चिम बंगाल	986
कुल		7616

[अनुवाद]

ताजमहल को ध्वस्त करने की धमकी

429. श्री के. येरननायडू :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल को ध्वस्त करने संबंधी एक ई-मेल प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा खतरे की धमकी के मद्देनजर ताजमहल के चारों ओर सुरक्षा मजबूत करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय में कोई ऐसी धमकी नहीं मिली है। तथापि, इस संबंध में मीडिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, जिला प्राधिकारियों ने समुचित उपाए किए हैं।

कुतुब मीनार के आसपास अतिक्रमण

430. श्री ई. अहमद : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संरक्षित स्मारक, कुतुब मीनार परिसर के अतिक्रमण का खतरा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विधेयक

431. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई विधेयक प्रस्तावित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

432. श्री ए. कृष्णमूर्ति : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, के समग्र विकास हेतु वर्ष 1978 से विशेष संघटक योजना (एस सी पी) और टी एस पी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा आय के अर्जन से संबंधित/तैयार किये गए/ लागू की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उगाही गई;

(घ) इस संबंध में कितना लाभ तथा लक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक अधिकारिता हेतु लागू की जा रही अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की

स्थापना 1988 में की गई थी और विभिन्न योजना स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र का विकास करना है। योजना स्कीमों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों के लिए बढ़ी हुई सहायता की मात्रा का प्रावधान है। मंत्रालय की स्कीमें परियोजना विशेष हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए जा रहे फंडों की विशेष मात्रा के साथ-साथ लाभों के बारे में विवरण अलग से नहीं रखा जाता।

बैकवर्ड लिंकेज संबंधी स्कीम के तहत यह प्रावधान है कि ठेका किसानों का 20% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना चाहिए। इसी प्रकार मात्स्यिकी क्षेत्र में इंसुलेटिड बक्सों से संबंधित यह प्रावधान है कि न्यूनतम 20% लाभभोगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होने चाहिएं। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित जनसंख्या का बाहुल्य है उन क्षेत्रों में सेमिनार/विचारगोष्ठियों के वास्ते प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र जहाँ, जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य है, को प्रति वर्ष कुल आबंटन से 10% अधिक योजना सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

सीपत में एन.टी.पी.सी. परियोजना को मंजूरी

433. डा. चरणदास महंत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की विभिन्न विषयों संबंधी समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सीपत में एन.टी.पी.सी. परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी अध्ययन रिपोर्ट के ब्यौरों की जांच की और एक पृथक् रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे कब तक प्रस्तुत और क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 2000 मेगावाट सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (चरण-I) के लिए मै. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अन्तर्गत गठित तापीय वैद्युत परियोजनाओं की बहु विषयक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर परियोजना को फरवरी, 1999 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी जिसमें परियोजना के निर्माण और परिचालन के दौरान एन टी पी सी द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न निवारक उपाय निर्धारित किए गए थे।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सी.डब्ल्यू.ई.एस.) में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का आरक्षण

434. प्रो. आई.जी. सनदी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सिविल इंजीनियरिंग) समूह 'क' में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण क्रमश: 15%, 7.5% और 27% के स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा सिविल इंजीनियरिंग समूह 'क' में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों में कार्यरत (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iv) सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और ऐसे पदों में उनकी संबंधित प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान खाली हुए नए पदों की वर्षवार संख्या कितनी है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा में कनिष्ठ समय मान और वरिष्ठ समय मान के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू है। फीडर ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति में इन पदों में तथा संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर आवंटन करने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा सीधी भर्ती की जाने वाली रिक्तियों पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण इनके प्रतिनिधित्व के अपेक्षित प्रतिशत में गिरावट आई है।

(ग) सभी ग्रेडों सहित केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा के विभिन्न ग्रेडों में आज की तारीख तक स्वीकृत पदों की कुल संख्या 723 है।

(घ) कनिष्ठ और वरिष्ठ समय मान सेवा पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) कनिष्ठ और वरिष्ठ समय मान सेवा पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

ग्रेड/पदों की संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		सामान्य श्रेणी	
	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	ग्रेड में पदों की तुलना में प्रतिशत	कार्यरत अधि-कारियों की संख्या	ग्रेड में पदों की तुलना में प्रतिशत	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	ग्रेड में पदों की तुलना में प्रतिशत	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	ग्रेड में पदों की तुलना में प्रतिशत
वरिष्ठ समय मान—256 पद	37	14.45	08	3.12	लागू	नहीं*	196	76.56
कनिष्ठ समय मान—274 पद	29	10.58	06	2.18	18	6.56	163	59.49

*अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केवल सीधी भर्ती में आरक्षण लागू है। वरिष्ठ समय मान के पदों को केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

विवरण-II

	विद्यमान रिक्तियाँ					भरी हुई रिक्तियाँ				
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियाँ										
वरिष्ठ समयमान	08	11	02	00	01	प्रशासनिक कारणों से रिक्तियां भरी नहीं जा सकीं				
कनिष्ठ समयमान	08	10	07	03	08	प्रशासनिक कारणों से रिक्तियां भरी नहीं जा सकीं				
सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां										
कनिष्ठ समयमान										
अनु.जा.	00	06	07	03	02	00	05	04	03	नामांकन अभी प्राप्त होना है।
अनु.जन.जा.	01	05	02	01	02	01	02	01	00	
अन्य पि. वर्ग	08	00	12	06	06	03	00	06	04	
सा. श्रेणी	14	13	22	11	11	10	08	18	10	
कुल	23	24	43	21	21	14	17	29	17	

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अस्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया जाना

435- श्री आर.एल. जालप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार कृष्णा नदी के अतिशय जल को काम में लाने के लिए कई अस्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृष्णा नदी जल मामले में बचावत अवार्ड में घोषित 'बी' स्कीम को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने बचावत अवार्ड की 'बी' स्कीम के अन्तर्गत कृष्णा नदी के अतिशय जल के बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण बनाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने दीर्घावधि जल उपलब्धता की व्यवस्था किए बिना ही कृष्णा बेसिन में परियोजनाएं आरंभ कर दी हैं जबकि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना एक पूर्वदिक्षा है।

(ख) और (ग) कृष्णा जल विवाद अधिकरण का निर्णय 31 मई, 1976 को अधिसूचित कर दिया गया था। स्कीम 'बी' कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय का भाग नहीं है इसलिए इसे अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

436. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों और सांविधिक निकायों के प्रमुखों/मुख्य कार्यकारियों/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, निदेशकों और प्रबंध बोर्ड के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले लोगों को पर्याप्त संख्या में पदस्थापित/नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों में उक्त पदों पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने लोगों को पदस्थापित/नियुक्त किया गया; और

(घ) इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं और उक्त अवधि के दौरान हुई कुल नियुक्तियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मंत्रालय (पर्यटन विभाग) के अधीन एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम–भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है तथा इस मंत्रालय के अधीन कोई सांविधिक निकाय नहीं है। इस समय प्रमुख कार्यकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक तथा आधिकारिक/गैर-आधिकारिक सदस्यों के पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रबंधन बोर्ड में प्रमुख कार्यकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक तथा आधिकारिक। गैर-आधिकारिक पदों पर नियुक्त/तैनात व्यक्तियों की कुल संख्या की तुलना में इन्हीं तीन वर्षों के दौरान नियुक्त/तैनात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत इस प्रकार है :–

वर्ष	कुल सं.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1999-2000	16	1 अनुसूचित जनजाति	6% (लगभग)
2000-2001	11	शून्य	-
2001-2002	05	शून्य	-

मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न

437. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा वहां के कर्मचारियों को उत्पीड़ित किए जाने और इस प्रकार उत्पीड़न के शिकार होने वाले कर्मचारियों की ओर हाल-फिलहाल ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को हल करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) मारूति उद्योग कर्मचारी संघ ने विभिन्न मंचों के समक्ष कामगारों को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया है।

विगत में कम्पनी के कामगारों ने संघ के आदेश पर एक आंदोलन का आश्रय लिया था और उसके बाद नियमित रूप से औजारबंद हड़ताल की थी जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलायी गयी और एक लिखित समझौता हुआ। इसके बाद प्रबंधन और कर्मकारों के बीच दिनांक 08.01.2001 का एक समझौता ज्ञापन जारी किया गया। समझौते की शर्तों में आंदोलन वापस लेना, संघ द्वारा प्रबंधन को पूर्ण सहयोग देना, उत्पादकता निष्पादन की स्वीकृति और लाभ सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना शामिल थे।

अशक्त-अनुकूल ऐतिहासिक स्मारक

438. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने अशक्त अनुकूल ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) क्या सरकार के पास और अशक्त अनुकूल ऐतिहासिक स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास रेल रियायती टिकटों की तर्ज पर अशक्तों को नि:शुल्क प्रवेश टिकट उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 25 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में अशक्तों के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) अशक्तों को अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 104 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहचान की गई है।

(घ) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

439. डा. एन. वेंकटस्वामी :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री शिवाजी माने :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में कृषि उत्पादन में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ दीर्घावधिक वृद्धि का रुख देखा गया है।

देश में कृषि उत्पादन वर्षा होने के समय, इसकी सीमा एवं प्रसार से काफी हद तक प्रभावित होता है, क्योंकि निवल बुवाई क्षेत्र का लगभग 62% सिंचाई हेतु वर्षा पर आश्रित है।

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के राज्यवार अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने कृषि क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए विभिन्न नए कार्यक्रम शुरू किए हैं–जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रोत्साहन पर ध्यान देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु उपाय, कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उपाय, भण्डारण/शीत भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण, सम्बद्ध राजसहायता स्कीम, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि आसूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अलावा, सरकार मूल्य नीति के माध्यम से किसानों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीमें, सार्वजनिक अभिकरणों के माध्यम से खरीद तथा व्यापार को एक साधन के रूप में उपयोग करना शामिल है। इनके अलावा, राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2000 से परम्परागत स्कीम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर वृहद् प्रबंध पद्धति अपनाई है। कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद एवं सहायता करने के लिए 27 स्कीमों को एक वृहद् प्रबंध स्कीम में मिला दिया गया है। इससे राज्यों को अपनी स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें आने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना सुविधाजनक रहेगा, विभिन्न स्कीमों की विषय-वस्तु में दोहराव से बचा जा सकेगा और कृषि के चतुर्दिक विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के राज्यवार अन्तिम अनुमान

(000 मी. टन)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	14905.0	13696.2	14534.7
अरूणाचल प्रदेश	187.9	210.2	202.7
असम	3434.0	4042.0	4166.5
बिहार	13625.9	14387.6	12055.1
झारखण्ड	*	*	2011.0
गोवा	164.4	219.8	153.9
गुजरात	5566.7	4051.8	3639.9
हरियाणा	12123.2	13063.2	13251.5
हिमाचल प्रदेश	1490.7	1444.3	1455.5
जम्मू व कश्मीर	1519.6	1328.5	1121.4
कर्नाटक	9996.6	9859.3	10949.0
केरल	754.5	793.3	772.8
मध्य प्रदेश	19501.2	21272.1	8930.4
छत्तीसगढ़	@	@	9652.1
महाराष्ट्र	12752.8	12700.9	10076.4
मणिपुर	392.3	375.7	377.6
मेघालय	187.8	208.7	203.0
मिजोरम	135.0	105.6	124.0
नागालैण्ड	282.0	210.5	277.0
उड़ीसा	5793.1	5622.5	4984.8
पंजाब	22906.9	25201.4	25323.6
राजस्थान	12944.5	10684.1	10035.8
सिक्किम	90.7	103.1	103.2
तमिलनाडु	9418.7	8968.8	8903.4
त्रिपुरा	499.4	513.5	523.1
उत्तर प्रदेश	40417.2	45849.6	42320.1
उत्तरांचल	#	#	1726.4
पश्चिम बंगाल	14367.2	14915.6	13834.5
अ. एवं नि. द्वीप समूह	26.7	28.7	30.9
दा. एवं ना. हवेली	23.0	30.4	25.9
दमन एवं दीव	4.3	42.9	40.0
दिल्ली	40.3	6.9	4.3
पाण्डिचेरी	55.3	64.3	65.6
अखिल भारत	203606.9	209801.5	195915.9

* बिहार में शामिल

@ मध्य प्रदेश में शामिल

उत्तर प्रदेश में शामिल

सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कम्पनियों का राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया

440. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री अनंत गुढे :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्डों पर सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कम्पनियों का कुल कितना बिल बकाया है;

(ख) इनमें विवादित बिल कितने हैं और ये कब से विवादित हैं; और

(ग) बकाया राशि की वसूली और इन विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) पर कोल इंडिया लि. की बकाया राशि का ब्यौरा और उनके अवधि-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बकाया राशि को वसूल करने और विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान संबंधित राज्यों के केन्द्रीय योजना सहायता (सी.पी.ए.) से जनवरी, 2002 तक 946 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई है।

(2) एस.ई.बी. के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करके विवादास्पद बकाया राशि का निपटारा।

(3) डा. एम.एस. अहलूवालिया के अधीन विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर कोयले की बिक्री की बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

(4) सरकार द्वारा नियुक्त अम्पायरों के माध्यम से विवादास्पद बकाया राशि का निपटारा। कुल 11 मामले, जिनमें 685 करोड़ रुपए अन्तरग्रस्त हैं, समाधान के लिए अम्पायरों को भेज दिए गए हैं।

(5) सीआईएल की सहायक कंपनियों और एसईबी/विद्युत उपयोगकर्ताओं जैसे पंजाब इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, कर्नाटक पावर कारपोरेशनं लि., राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, कोलकाता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन के बीच कोयले की आपूर्ति करारों के माध्यम से।

विवरण

31.1.2002 की स्थिति के अनुसार एस.ई.बी. से विवादित और अविवादित कोयला बिक्री की बकाया राशि का समय अवधि-वार विश्लेषण।

अनंतिम (करोड़ रु. में)

	31.1.02 को देय		जोड़	विवादित देय		अविवादित देय	
विद्युत राज्यों के नाम	विवादित	अविवादित		छः माह से कम	छः माह से अधिक	छः माह से कम	छः माह से अधिक
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	24.69	221.67	246.36	0	24.69	21.74	199.93
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	0	5.24	5.24	0	0	5.59	-0.35
उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड	12.76	371.35	384.11	4.57	8.19	33.46	337.89
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	194.82	76.48	271.30	0.19	194.63	55.53	20.95
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	278.66	156.93	435.59	21.24	257.42	145.00	11.93
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	0.04	20.89	20.93	0	0.04	-2.03	22.92
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	12.05	59.56	71.61	0	12.05	58.07	1.49
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	579.61	120.52	700.13	17.97	561.94	31.13	89.39

विद्युत राज्यों के नाम	31.1.02 को देय		जोड़	विवादित देय		अविवादित देय	
	विवादित	अविवादित		छः माह से कम	छः माह से अधिक	छः माह से कम	छः माह से अधिक
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	217.20	871.68	1088.88	32.59	184.61	154.58	717.10
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	0	27.48	27.48	0	0	27.48	0
गुजरात विद्युत बोर्ड	9.61	687.43	697.04	0	9.61	365.22	322.21
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	8.52	2.91	11.43	0	8.52	0.74	2.17
पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	60.11	785.16	845.27	0.92	59.19	373.51	411.65
आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	4.44	31.02	35.46	0	4.44	31.58	-0.56
असम राज्य विद्युत बोर्ड	0	-1.25	-1.25	0	0	0	-1.25
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	0	8.68	8.68	0	0	8.68	0
दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1.86	236.40	238.26	0.09	1.77	43.87	192.53
जोड़	1404.37	3682.15	5086.52	77.57	1326.80	1354.15	2328.00

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन

441. श्री वाई.जी. महाजन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन पर कितना धन खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पर्यटन को वृद्धि के मुख्य क्षेत्र, विकास और रोजगार सृजन के रूप में विकसित तथा संवर्धित करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

जल की कमी

442. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य में खड़ी हुई फसलों को बचाने के लिए, जोकि जल की कमी के कारण विनाश के कगार पर है, प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए हाल ही में उनसे मिला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) तमिलनाडु से आया एक सर्वदलीय शिष्टमंडल दिनांक 11.9.2001 को माननीय प्रधान मंत्री से मिला तथा

उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उस शिष्टमंडल ने खड़ी "कुरूवाई" फसल को बचाने के लिए अक्तूबर के अंत तक प्रतिदिन 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जल जारी करने को सुनिश्चित करने के वास्ते प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

(ग) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कावेरी नदी प्राधिकरण की एक बैठक 10 अक्तूबर, 2001 को बुलाई गई थी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक दोनों राज्यों में बेसिन के सूखे की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण ने विशेष रूप से तमिलनाडु के कावेरी बेसिन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक सरकार को अधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार मेत्तूर में अंत:प्रवाह को सुनिश्चित करने का निदेश दिगा है। इस प्राधिकरण ने जल की इस कमी को यथानुपात आधार पर हिस्सेदारी के लिए एक स्वीकार्य तथा समतुल्य प्रक्रिया तैयार करने का भी निर्णय लिया है एवं तदनुसार बेसिन राज्यों से अपने विशिष्ट सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ताकि प्राधिकरण उस पर विचार कर सके।

[हिन्द]

दुधारू पशुधन का विकास

443. श्री पी.आर. खूंटे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दुधारू पशुधन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना नामक केन्द्रीय प्रयोजित योजना को गोपशु तथा भैंस दोनों में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से प्रजनन आदानों की उपलब्धता में मूलभूत सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। योजना का बल प्रजनन आदानों को द्वार तक पहुंचाना तथा स्वदेशी नस्लों के अनुवांशिक सुधार पर है। योजना में 73 प्रतिशत प्रजनन योग्य गोपशु तथा भैंस संख्या को कवर करने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा केरल परियोजना में भाग ले रहे हैं तथा शेष राज्यों के भी भाग लेने की संभावना है।

(ग) उत्तर के भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में के.सी. नहर का आधुनिकीकरण

444. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए के.सी. नहर के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से के.सी. नहर के आधुनिकीकरण के लिए सहायता मांगे जाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, के.सी. नहर को जे.बी.आई.सी., जापान से सहायता मिल रही है। केन्द्र सरकार द्वारा उन बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है, जो निर्माण की उन्नत अवस्था में है और जिन्हें अन्य बाह्य तथा घरेलू अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अब तक आंध्र प्रदेश की 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 53.92 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

खेती योग्य भूमि हेतु कार्ययोजना

445. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की खेती योग्य भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कितनी प्रतिशत सिंचित भूमि है जहां खेती का काम हो रहा है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने प्रतिशत सिंचित भूमि बढ़ी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) भारत सरकार ने देश में 139.9 मिलियन हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता का आकलन किया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं का अन्वेषण, आयोजना, क्रियान्वयन एवं उनके अनुरक्षण संबंधी कार्य का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। इन सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था भी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है जिसे वे अपनी योजना निधियों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार पूरा करते हैं। सिंचाई क्षमता का सृजन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए राज्यों द्वारा निधियों के आवंटन के अनुसार राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ (अर्थात् 1997-98) में 142.02 मिलियन हेक्टेयर के कुल बुवाई क्षेत्र की तुलना में 54.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मुहैया करायी गयी थी जो 38.2 प्रतिशत बैठता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान लगभग 10.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की संभावना है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

446. डा. बलिराम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और सांविधिक निकायों के प्रमुखों/मुख्य कार्यकारियों/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और प्रबंध बोर्ड के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले लोगों को पर्याप्त संख्या में पदस्थापित/नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों में उक्त पदों पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने लोगों को नियुक्त/पदस्थापित किया गया; और

(घ) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं और उक्त अवधि के दौरान हुई कुल नियुक्तियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और सांविधिक निकाय नहीं है। धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र नामक एक स्वायत्त निकाय है जोकि तमिलनाडु समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत समिति के रूप में पंजीकृत है। इस स्वायत्त निकाय में प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारियों/निदेशक (सरकारी/गैर-सरकारी) की नियुक्ति में कोई आरक्षण नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन में गिरावट

447. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आने वाले वर्षों में इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान गेहूं एवं चावल का उत्पादन निम्न विवरणानुसार काफी कम रहा:–

चावल एवं गेहूं का उत्पादन

(मिलियन मी. टन)

फसल	1999-2000	2000-2001	1999-2000 की तुलना में 2000-01 में कमी का प्रतिशत
गेहूं	76.37	68.76	9.96%
चावल	89.68	84.87	5.36%

तथापि, गेहूं तथा चावल, दोनों के उत्पादन में दीर्घावधिक वृद्धि का रुख देखा गया है।

(ग) सरकार ने कृषि क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए विभिन्न नए कार्यक्रम शुरू किए हैं–जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रोत्साहन पर ध्यान देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु उपाय, कृषि आसूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अलावा, सरकार मूल्य नीति के माध्यम से किसानों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसमें सार्वजनिक अभिकरणों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का कार्यान्वयन शामिल है। इनके अलावा, राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2000 से परम्परागत स्कीम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर वृहद् प्रबंध पद्धति अपनाई है। कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में

मदद एवं सहायता करने के लिए 27 स्कीमों को एक वृहद् प्रबंध स्कीम में मिला दिया गया है। इससे राज्यों को अपनी स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें आने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना सुविधाजनक रहेगा, विभिन्न स्कीमों की विषय–वस्तु में दोहराव से बचा जा सकेगा और कृषि के चतुर्दिक विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

448. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्यान्नों के उत्पादन और भंडारण से प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) फिलहाल, न्यूनतम समर्थन तंत्र को विघटित करने के लिए सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नीमच हवाई अड्डे का विकास

449. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के स्थानीय लोग और वहां के विमानन क्लब ने राज्य के नीमच हवाई अड्डे के विकास की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार इसके विस्तार पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) नीमच स्थित हवाई अड्डा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का है और इसका विकास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फ्लाइंग क्लब गतिविधियों के लिए किया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[अनुवाद]

सिंचाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्वाइंटस

450. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखा प्रभावित किसानों को सिंचाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्वाइन्ट्स (एल आई) को अपनाने और इन्हें काम में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एआईबीपी वित्तपोषण से विशेषकर सूखा प्रवण जिलों की लगभग 5000 एकड़ की भूमि में सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्वाइन्ट्स हेतु धनराशि मुहैया कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण लिफ्ट सिंचाई स्कीमों सहित वृहद, मध्यम और लघु स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और रख–रखाव का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है।

(ख) और (ग) उड़ीसा के के.बी.के. जिलों की 23 लघु सिंचाई स्कीमों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान 34.72 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई।

[हिन्दी]

बिलासपुर हवाई अड्डे का उन्नयन

451. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हवाई पट्टी का उन्नयन करने और वहां से यात्री विमान सेवा शुरू कराने हेतु अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 48 सीटों वाले यात्री विमानों को चलाकर मझौले शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) बिलासपुर में हवाई पट्टी के स्तरोन्नयन के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यातायात की संख्या में कमी के कारण, किसी भी विमान कम्पनी ने अभी तक बिलासपुर हवाई अड्डे से होकर अपनी आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाया है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे पर इन सुविधाओं के स्तरोन्नयन की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

ई.सी.एल. का निजीकरण

452. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में कर्मचारियों की संख्या में बड़े पैमाने पर कटौती करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या बंगाल सरकार ने उपकर में कटौती करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दसवीं योजनावधि के दौरान ई.सी.एल. में जनशक्ति में 22800 लोगों की कमी करने का प्रस्ताव है, यह कंपनी की जो वर्तमान में घाटे में चल रही है, स्थिति को बदलने की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय कोयला तथा खान मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच 5 नवम्बर, 2001 में हुई बैठक में राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल द्वारा लगाए जाने वाले उपकर की दरों को उस सीमा तक लाने का अनुरोध किया गया जिससे पश्चिम बंगाल सरकार को संदेय रायल्टी की दर और उपकर मिलाकर अन्य कोयला उत्पादक राज्यों को संदेय रायल्टी की दर के समान हो जाए।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे होटल

453. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में होटल-वार और राज्य-वार घाटे में चल रहे सरकारी होटलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे होटलों को बन्द करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय होटल निगम लि. की होटल परिसम्पत्तियों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है, 22 होटलों को पूर्णतया बेचा जाना है और 4 होटलों को दीर्घावधि लीज-सह-प्रबंधन आधार पर दिया जाना है। अभी तक, भारत पर्यटन विकास निगम के 7 होटलों का विनिवेश किया गया है। भारतीय होटल निगम के संबंध में सरकार ने पहले ही अपनी 3 होटल इकाइयों, अर्थात् मुम्बई में दो सेन्टूर होटल एवं राजगीर में एक होटल को बेचने का निर्णय लिया है। भारतीय होटल निगम के शेष दो होटलों की बिक्री पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2001 को भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रचालित घाटे में चल रहे होटलों की सूची

होटल का नाम एवं राज्य		सितारा श्रेणी	कमरे
नई दिल्ली			
1.	अशोक होटल	5 सितारा डीलक्स	550
2.	सम्राट होटल	5 सितारा	250
3.	जनपथ होटल	4 सितारा	213
4.	कनिष्क होटल	4 सितारा	317
5.	इन्द्रप्रस्थ होटल	1 सितारा	548
6.	रंजीत होटल	2 सितारा	138
7.	लोधी होटल	3 सितारा	160
8.	कुतुब होटल	5 सितारा	92
उत्तर प्रदेश			
9.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	3 सितारा	84
10.	होटल आगरा अशोक, आगरा	4 सितारा	55
बिहार			
11.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	3 सितारा	46
12.	होटल बोधगया अशोक	3 सितारा	32
उड़ीसा			
13.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	3 सितारा	64
पश्चिम बंगाल			
14.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता	4 सितारा	148
राजस्थान			
15.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	3 सितारा	99
16.	होटल लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	5 सितारा	54
17.	भरतपुर वन गृह, भरतपुर (पर्यटन विभाग की सम्पत्ति)	3 सितारा	17

होटल का नाम एवं राज्य		सितारा श्रेणी	कमरे
जम्मू एवं कश्मीर			
18.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	3 सितारा	45
मध्य प्रदेश			
19.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	3 सितारा	38
हिमाचल प्रदेश			
20.	होटल मनाली अशोक, मनाली	3 सितारा	29
केरल			
21.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	5 सितारा	193
तमिलनाडु			
22.	टेम्वपल बे अशोक रिसोर्ट, मामल्लापुरम	3 सितारा	36
23.	होटल मदुरै अशोक, मुदरै	3 सितारा	43
महाराष्ट्र			
24.	होटल औरगांबाद अशोक, औरंगाबाद	3 सितारा	66
कर्नाटक			
25.	होटल हासन अशोक, हासन	3 सितारा	46

भारतीय होटल निगम लि. द्वारा प्रचालित घाटे में चल रहे होटलों की सूची

दिल्ली	
1.	सेन्टूर होटल, दिल्ली हवाई अड्डा
जम्मू एवं कश्मीर	
2.	सेन्टूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर

[अनुवाद]

अहमदाबाद की साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए धन का आवंटन

454. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात) की साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 41 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसी ही परियोजनाओं के लिए अन्य राज्यों को भी इस तरह की कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मई, 2001 में तत्कालीन मंत्री (पर्यटन और संस्कृति) ने गुजरात राज्य सरकार द्वारा आयोजित विज्ञान नगर, अहमदाबाद के आधारशिला विन्यास समारोह में यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार अहमदाबाद में विज्ञान नगर की स्थापना में 41 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

(ख) व्यय वित्त समिति के लिए एक ज्ञापन विभिन्न अभिकरणों जिनमें योजना आयोग भी शामिल है, में मूल्यांकन हेतु परिचालित किया गया था। सरकार द्वारा परियोजना को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही निधियां जारी की जा सकती हैं तथा इस समय निधियां जारी करने का समय बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार जुलाई, 1998 में जालंधर (पंजाब) में विज्ञान नगर की स्थापना के लिए 70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

नैफेड/एसटीसी द्वारा कोपरा की खरीद

455. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड या एसटीसी द्वारा कोपरा की खरीद हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोपरा की खरीद हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या मलेशिया और अन्य देशों से पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के तहत केरल में नैफेड द्वारा खोपरा की खरीद पुन: शुरू करने का अनुरोध किया है। केरल में खोपरा की खरीद पहले ही पुन: शुरू कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण के रूप में, 2000 मौसम के दौरान, नैफेड ने केरल में मूल्य समर्थन स्कीम के तहत 85,410 मीटरी टन खोपरा की खरीद की थी और इस प्रयोजनार्थ नैफेड द्वारा इसके खरीद मूल्य के रूप में भारतीय स्टेट बैंक से 287.00 करोड़ रुपये की राशि आहरित की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद की कम लागत

456. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या किसानों को उपलब्ध उपकरणों और बीजों की कीमतों और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा;

(घ) क्या घटिया बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति के कारण किसानों को हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) अन्य बातों के अलावा फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करके उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। सरकार इस बारे में सचेत है और इसे हासिल करने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार ने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे पनधारा विकास कार्यक्रम, नई प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रोत्साहन पर बल, कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उपाय, भण्डारण/शीत भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण युक्त सब्सिडी स्कीम, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन, मण्डी आसूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अलावा सरकार किसानों को मूल्य नीति के माध्यम से भी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन, सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीद एवं व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है।

(ग) से (ङ) कृषि उपस्करों एवं मशीनों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और ये बाजार के उतार-चढ़ाव द्वारा नियमित होते हैं। इसी प्रकार, बीजों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बीजों के मूल्य बाजार के उतार-चढ़ाव पर आश्रित हैं एवं इनके उत्पादन तथा वितरण पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।

कृषि उपस्करों तथा मशीनों की गुणवत्ता एवं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने 4 स्थानों पर कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। इसके अलावा, किसानों को गुणवत्ता मशीनें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रैक्टरों एवं पावर टिलरों के लिए न्यूनतम कार्य निष्पादन मानक निर्धारित किए हैं।

जहां तक बीजों की गुणवत्ता का प्रश्न है, बीज गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण से संबंधित सरकार की स्कीम का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज सुनिश्चित करने के लिए बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाना है। बीज अधिनियम, 1966 में किसानों को बेचे/वितरित किए गए बीजों की गुणवत्ता स्वैच्छिक प्रमाणीकरण एवं अधिसूचित प्रकारों/किस्मों के बीज की अनिवार्य लेबलिंग के माध्यम से विनियमित की जाती है। घटिया बीजों की आपूर्ति करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

किसानों को मानक गुणवत्ता के उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश बनाया है। इस आदेश में अन्य बातों के अलावा उर्वरक नमूनों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा अवमानक/घटिया/मिलावटी उर्वरकों की विनिर्माण एवं बिक्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। उर्वरकों की गुणवत्ता की नियमित जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को घटिया उर्वरकों की आपूर्ति न होने पाए। जब भी घटिया उर्वरकों का पता चलता है, उनके आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं/व्यापारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत धन का दुरुपयोग

457. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित-सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ऐक्सेलेरेटिड इरिगेशन बेनीफिट्स प्रोग्राम) के क्रियान्वयन में धन का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच कराने और जवाबदेही तय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से बजट प्रावधान की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम रूप में किसी परियोजना के लिए पहली किस्त जारी की जाती है। इसके बाद दूसरी किस्त राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम किस्त के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र देने तथा साथ ही साथ केन्द्रीय जल आयोग की मानीटरी रिपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए तथा कोई विशेष शिकायत भी प्राप्त न होने के कारण यह सिद्ध होता है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निधियों का दुरुपयोग नहीं हुआ है। तथापि, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास सहित सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, इसकी आयोजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के निजी वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए पात्र परियोजनाओं के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है।

कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कालीकट विमानपत्तनों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

458. श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री वी.एस. शिवकुमार :
श्री जार्ज ईडन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में विभिन्न विमानपत्तनों से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी विमान कम्पनी ने देश में विभिन्न विमानपत्तनों विशेषकर कोचीन, त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट से सेवाएं आरम्भ करने की अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इस समय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस केरल स्थित हवाई अड्डों से आबूधाबी, बहरीन, मस्कट, दुबई, जेद्दा, रियाद, दमाम, शारजाह, माले कुवैत, दोहा, फुजैराह और रासलखैमा तक उड़ानें प्रचालित कर रही हैं। हमारे राष्ट्रीय वाहक के अलावा गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, कतर एयरवेज, सिल्क एयर, श्रीलंकन एयरलाइन्स अपने-अपने देशों से त्रिवेंद्रम तक उड़ानें प्रचालित कर रही

हैं। ओमान एयर, कुवैत एयरवेज और सिल्क एयर ने भी हाल ही में कोचीन से वैमानिक प्रचालन आरंभ किया है।

(ग) से (ङ) यातायात मांग के आधार पर समय-समय पर देश के विभिन्न हवाई अड्डों से विदेशी एयरलाइनों के प्रचालन की समीक्षा की जाती है। इस चालू प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, कुवैत एयरवेज ओमान एयर और सिल्क एयर को हाल ही में कोचीन तक प्रचालन करने की अनुमति दी गई है। सितम्बर, 2002 से दुबई की अमीरात एयरलाइंस को भी कोचीन तक प्रचालन करने की अनुमति मिल जाएगी।

कृषि निर्यात क्षेत्र शुरू किया जाना

459. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर झारखण्ड राज्य में कृषि निर्यात क्षेत्र शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कब तक कृषि निर्यात क्षेत्र शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में, विशेषकर झारखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दालों तथा मटर का आयात

460. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों तथा मटर का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में दालों और मटर का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) सरकार द्वारा दालों तथा मटर का आयात कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हाँ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दालों तथा मटर के आयात और उनके मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग के तिलहन एवं दहलन प्रौद्योगिकी मिशन के क्षेत्र के अधीन राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। किसानों को प्रोत्साहन देकर उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बीजों, बीज मिनीकिटों, उन्नत फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सेटों, जिप्सम/पाइराइट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों, रिजोबियम कल्चर आदि के उत्पादन तथा वितरण पर सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

मात्रा (लाख टन में) : मूल्य (लाख रु. में)

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान दालों का आयात

1998-99		1999-2000		2000-2001	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
5.64	70881.36	2.51	35469.04	3.48	49379.36

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान मटर का आयात

1998-1999		1999-2000		2000-2001	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2.57	27284.89	1.50	16182.67	1.43	14373.28

[हिन्दी]

जल प्रदूषण

461. श्रीमती जस कौर मीणा :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल प्रदूषण को रोकने के संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर योजनावार कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के कार्यान्वयन में कमियों को उजागर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में दिन प्रतिदिन जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और विभिन्न एजेंसियां इसे रोकने में विफल रही हैं;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(छ) सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने तथा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु नदी संरक्षण योजना, गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना, गोमती कार्य योजना, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम, सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र आदि जैसी स्कीमें आरम्भ की हैं। इन स्कीमों में विभिन्न कस्बों/उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का अपवर्तन, अपरोधन और शोधन शामिल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर 507 स्थलों पर नदियों और झीलों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(लाख रुपए में)

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
परियोजना			(फरवरी, 2002 तक)
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (31.12.2001 के अनुसार)	6205.00	6432.11	6301.30
यमुना कार्य योजना चरण-II (31.12.2001 के अनुसार)	7201.73	2489.96	772.29
गोमती कार्य योजना (31.12.2001 के अनुसार)	118.22	658.00	500.00
गंगा कार्य योजना-II (मुख्य शाखा) (31.12.2001 के अनुसार)	11718.29	1987.60	2848.00

(लाख रूपए में)

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम	62.44	54.92	56.13
सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	129.09	320.43	248.89

(ग) और (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट नदियों और अन्य जल निकायों में जल गुणवत्ता के रख-रखाव के संदर्भ में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अंतर दर्शाती है।

(ङ) से (छ) देश में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों के साथ आवधिक परस्पर बैठकें की जाती हैं।

(ii) राज्य सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों में प्रोफेशनल्स को प्रवेश कराने के लिए सलाह दी जाती है।

(iii) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सहमति और प्राधिकार जारी करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(iv) विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं।

(v) उद्योगों की 71 विभिन्न श्रेणियों के लिए बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 507 मानीटरिंग स्टेशनों पर की गई जल गुणवत्ता की पुनरीक्षा की गई है और नदियों एवं झीलों में प्रदूषण उपशमन संबंधी कार्यक्रम लागू करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की पहचान करने और जिन इकाइयों ने आवश्यक साझा बहिस्राव संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

(viii) लघु स्तर के उद्योग समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ix) अत्यधिक प्रदूषक इकाइयों में आने वाली 1551 बड़ी और मध्यम स्तर की इकाइयों में से 1350 ने प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आवश्यक सिस्टम लगा लिए हैं, 177 इकाइयां बन्द कर दी गई हैं तथा 24 इकाइयां अपनी बहिस्राव शोधन प्रणाली के उन्नयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

डिप्लोमाधारियों के लिए बेरोजगारी की समस्या

462. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि महाविद्यालयों/संस्थानों के भारी संख्या में डिप्लोमा/डिग्रीधारी और स्नातकोत्तर उपाधिकारी व्यक्ति, उनके लिए रोजगार के अवसर कम होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) अधिकांश राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार अधिकतर डिप्लोमाधारक/स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अपने विषय संबंधी विशिष्ट क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने के लिए 6 माह से तीन वर्ष का समय लगता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा निजी उद्यमों के माध्यम से बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा एक नई विस्तार प्रणाली की स्कीम आरंभ की गई है जिसमें किसानों को नकद भुगतान के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह उद्यम नाबार्ड द्वारा प्रदान वित्तीय सहायता से स्थापित किया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्मचारियों को भविष्य निधि, उपदान लाभ

463. श्री विकास चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, नोएडा और ओखला में कुल कितनी निजी कम्पनियां हैं और उनमें कितने कर्मचारी हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान लाभ मिलते हैं;

(ग) क्या इनमें से 90 प्रतिशत कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दिल्ली, नोएडा तथा ओखला में शामिल किए गए प्रतिष्ठानों की कुल संख्या क्रमशः 24,731; 2,153 एवं 2,233 है तथा लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 11,67,904; 1,60,871 तथा 1,69,031 है। कर्मचारी, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान के लाभों के लिए भी पात्र हैं।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कर्मकारों को उक्त अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत यथानिर्धारित तथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो, समुचित सरकारें हैं। किसी भी कमी को दूर करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र तथा राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में, चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी तथा दांडिक कार्रवाई की जाती है।

ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थापना

464. श्री के. मुरलीधरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा आश्रमम, कोल्लम, चक्रतुकुलम और कोझीकोड् में ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थापना हेतु कोई परियोजना प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कब तक उक्त परियोजना लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दिसम्बर, 1998 में केरल सरकार से आश्रमम, कोल्लम में उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल के निर्माण हेतु 667.89 लाख रुपये का परियोजना आकलन प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से चक्रतुकुलम में व्यावसायिक रोग केन्द्र संबंधी परियोजना के लिए कोई परियोजना आकलन प्राप्त नहीं हुआ है। कोझीकोड् में अलग से अस्पताल का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आश्रमम, कोल्लम में एक पृथक् कारडियोलोजी (नॉन-इनवेसिव) विंग (उच्च विशेषज्ञता विभाग) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निगम को हाल ही में राज्य सरकार से स्टॉफ की तैनाती तथा प्रचालन व्यय को वहन करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता से संबंधित पुष्टि प्राप्त हुई है। मंजूरी के बाद परियोजना को दो वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। निगम ने 20.02.2002 को आयोजित अपनी बैठक में चक्रतुकुलम के प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का निजीकरण

465. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की तुलना विश्व के श्रेष्ठतम विमानपत्तनों से की जा सकेगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) दीर्घावधिक पट्टे के जरिए ज्योंही उपयुक्त स्थिति सामने आयी, सरकार ने हवाई अड्डों की पुनर्संरचना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। सर्वप्रथम, दीर्घावधिक पट्टे के जरिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता स्थित हवाई अड्डों के निजीकरण का कार्य आरंभ किया गया है। दीर्घावधिक पट्टा प्रक्रिया के हर पहलू पर सलाह देने के लिए वित्तीय एवं विधिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। इन हवाई अड्डों के लिए पट्टाकर्ताओं का चयन पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ चयन मानदंड के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धी वैश्विक बोली प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। उचित भुगतान पर औपचारिक/विधिक करार के जरिए चयनित बोलीकर्ताओं को हवाई अड्डों को पट्टे पर दिया जाएगा।

(ग) दीर्घावधिक पट्टे में सेवा की गुणवत्ता हेतु निर्धारित विभिन्न कार्यनिष्पादन मानक और बेंच मार्क को समयावधि में पूरा किया जाना है जिससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र कोटिउन्नयन विश्व श्रेणी के मानकों के रूप में किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

तेंदुए द्वारा लोगों को और लोगों द्वारा तेंदुए को मारा जाना

466. श्री जे.एस. बराड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेंदए द्वारा उत्तरांचल (गढ़वाल-कुमाऊं) और हिमाचल प्रदेश (शिवालिक) में प्रत्येक वर्ष बहुत से लोगों को मारा जा रहा है और लगभग उतनी ही संख्या में तेंदुओं को आदमखोर करार देकर मारा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 और 2001 के दौरान दोनों पक्षों में कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) किन कारणों से तेंदुए, मनुष्यों की बस्तियों में आने को विवश हो कर रहे हैं; और

(घ) तेंदुओं तथा मानवों दोनों को अपने क्षेत्रों में रोके रखने के लिए और उन दोनों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) तेंदुओं द्वारा हत्याएं और इस प्रकार की हत्याओं से बचने के लिए तेंदुओं को मारे जाने की घटनाओं संबंधी रिपोर्टें समय-समय पर मिलती रहती हैं। तेंदुओं द्वारा की गई मानव हत्याओं तथा मानव हत्याओं के प्रति सुरक्षा के लिए मारे गए तेंदुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) तेंदुओं को मानव वास-स्थलों में घुसने के लिए मजबूर करने वाले कारण निम्नलिखित हैं :-

1. वन्यजीव वासस्थलों की संख्या में गिरावट।

2. तेंदुओं द्वारा शिकार किए जाने वाले स्थानों की संख्या में गिरावट।

(घ) मानव-तेंदुआ भिड़ंतों को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :-

1. बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिविकास सहित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से सुरक्षित क्षेत्रों में वास-स्थलों और आखेट स्थलों तथा बफर क्षेत्रों का सुधार।

2. राज्य सरकारों को वन्य जानवरों द्वारा मानवों पर हमला करने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई में लगने वाले समय में कमी लाने के उद्देश्य से फील्ड स्टाफ के लिए संचार उपकरण और वाहनों की खरीद हेतु धनराशियां भी प्रदान की जाती हैं।

3. भारतीय वन्यजीव संस्थान फील्ड मैनेजरों के लिए जंगली जानवरों के प्रशांतीकरण और स्थानान्तरण और पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

विवरण

तेंदुओं द्वारा मानव हत्याओं और मानव हत्याओं को रोकने के लिए मारे गए तेंदुओं की संख्या

क्रमांक	राज्य का नाम	अवधि	हताहत व्यक्ति		आदमखोर तेंदूए	
			मारे गए	घायल	घोषित	मारे गए
1.	उत्तरांचल	नव.-दिस. 2000	5	8	शून्य	शून्य
2.	उत्तरांचल	2001	27	43	12	2 (मारे गए) 1 (पकड़े गए)
3.	*हिमाचल प्रदेश	2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	*हिमाचल प्रदेश	2001	3	शून्य	शून्य	शून्य

*विगत दो वर्षों के दौरान लोगों द्वारा गांवों के समीप प्रतिकारात्मक कार्यवाही में 12 तेंदुए पकड़े गए और मारे गए।

पूर्वोत्तर में इंडियन एयरलाइंस को घाटा

467. श्री वाई.वी. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को पूर्वोत्तर में अपने प्रचालन में भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में सेवाओं को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र में वैमानिक प्रचालन से इंडियन एयरलाइंस और इसकी अनुषंगी कंपनी एलाइंस एयर को लगभग 70 करोड़ रु. का घाटा हो रहा है।

(ख) उत्तर पूर्व क्षेत्रों में प्रचालनों पर घाटे के कारणों में अपेक्षाकृत कम किराया, भुगतान भार अर्थदंड, शौर्ट-हौल सैक्टरों के कारण अपेक्षाकृत अधिक प्रचालन लागत, कतिपय सैक्टरों में अपेक्षा से कम/खराब भार और अपर्याप्त विमानपत्तन सुविधाएं यथा छोटा रनवे, सूर्यास्त के कारण प्रतिबंध, रात्रि अवतरण सुविधाएं नहीं होना और प्रतिकूल मौसम इत्यादि शामिल हैं।

उत्तर-पूर्व में विमान सेवा संपर्क में सुधार को लाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2002-03 के बजट अनुमान में इंडियन एयरलाइंस के लिए 35 करोड़ रु. का प्रावधान करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लंबित प्रस्ताव

468. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास देश में विशेषकर महाराष्ट्र राज्यों की सहकारी चीनी मिलों के सुधार के लिए कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) उक्त प्रस्तावों का जिलावार ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार के पास अहमदनगर जिले के जगदंबा कोआपरेटिव चीनी मिल का प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को देश में सहकारी चीनी मिलों के सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बहरहाल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को वर्तमान सहकारी चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु वित्तीय सहायता की संस्वीकृति हेतु श्री जगदम्बा सहकारी शक्कर कारखाना (स.श.का.) अहमदनगर, महाराष्ट्र से एक प्रस्ताव सहित सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं और उनकी स्थिति का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	समिति का नाम	जिला	प्रस्तावित सहायता (लाख रु. में)	स्थिति
महाराष्ट्र	श्री जगदम्बा स.श.का.	अहमदनगर	732.86	यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावों का मौके पर मूल्यांकन किया जाए।
	विश्वासराव नाईक स.श.का.	सांगली	430.00	समिति से मांगा गया स्पष्टीकरण अभी भी अपेक्षित है।
	जवाहर स.श.का.	कोल्हापुर	1320.00	

राज्य	समिति का नाम	जिला	प्रस्तावित सहायता (लाख रु. में)	स्थिति
कर्नाटक	घाटप्रभा स.श.का.	बेलगॉम	2250.00	निधियों के माध्यम निर्धारण हेतु (राज्य सरकार के जरिए) राज्य सरकार की सहमति अभी भी अपेक्षित है।
	दूधगंगा स.श.का.	बेलगॉम	450.00	निधियों के माध्यम निर्धारण हेतु (राज्य सरकार के जरिए) राज्य सरकार की सहमति अभी भी अपेक्षित है।
आंध्र प्रदेश	अनाकपल्ली, स.चीनी मिल	विशाखापटनम	507.00	निधियों के माध्यम निर्धारण हेतु (राज्य सरकार के जरिए) राज्य सरकार की सहमति अभी भी अपेक्षित है।
	पश्चिमी गोदावरी स.चीनी मिल	पश्चिम गोदावरी	326.00	निधियों के माध्यम निर्धारण हेतु (राज्य सरकार के जरिए) राज्य सरकार की सहमति अभी भी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

बी.टी. कपास के संबंध में गुजरात का अनुरोध

469. श्री दिन्शा पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की स्टेट बायोटेक्नालॉजी कॉर्डिनेशन कमेटी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जी.ई.ए.सी.) से बी.टी. कपास के संबंध में अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (एसबीसीसी) ने आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) से आदेश के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18.10.2001 के जी ई ए सी के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

(ग) आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने 31.10.2001 को आयोजित अपनी बैठक में एस.बी.सी.सी. के अनुरोध पर विचार किया और एस.बी.सी.सी. को निम्नलिखित निर्देश दिए :

* किसानों से नवभारत 151 फसल के कपास के बीजों को उपयुक्त समर्थन मूल्य पर खरीदना;

* लिंट और बीज को अलग करना;

* बीज को नष्ट करने और लिंट को जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति से अगला आदेश प्राप्त होने तक सुरक्षित रखना;

* खेतों में पौधों को जड़ से उखाड़ना, जलाना और खेतों की सफाई करना जिससे फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके।

कोयला खंडों का निजीकरण

470. श्री सुनील खां :
श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला भंडारों के दोहन हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) के 7 खण्डों सहित 127 कोयला खंडों को निजी क्षेत्र को सुपुर्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कोयला खंडों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) ऐसे निर्णय के क्या कारण है;

(घ) इसके लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त खण्डों को निजी क्षेत्र को देने से कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की घाटे में चलने वाली सहायक कम्पनियों को किस सीमा तक लाभ होगा?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) 8वीं योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन को बढ़ाने और अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने का निर्णय किया। विद्युत उत्पादन, किसी खान से प्राप्त कोयले की धुलाई करने अथवा अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए विद्यमान उपबन्ध के अलावा, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, कोयले के खनन के लिए निजी भागीदारी को अनुमति देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में 9-6-1993 से संशोधन किया गया था। सरकार ने सीमेन्ट के उत्पादन के लिए कोयले के खनन की अनुमति भी दिनांक 15-3-1996 की अधिसूचना द्वारा दे दी थी।

वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कमान क्षेत्र में सी.आई.एल. की एक सहायक कंपनी के 7 ब्लॉक सहित, 121 कोयला खनन ब्लॉकों/उप ब्लॉकों की ग्रहीत आधार पर विशिष्ट अंतिम प्रयोग के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा खनन किए जाने के लिए पहचान की गई है। इन 128 कोयला ब्लॉकों/उप-ब्लॉकों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) कैप्टिव खनन के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र को ब्लॉकों का आवंटन करने के लिए अग्रलिखित दिशानिर्देश स्वीकार किए गए हैं:

(i) ओपनकास्ट खनन में 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम तथा भूमिगत खनन में 25,000 टन प्रति वर्ष से कम के लिए किसी कोयला ब्लॉक के खनन के लिए किसी आवेदन को स्वीकृति नहीं दी जाएगी ताकि भारतीय कोयले का आर्थिक/वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) ग्रीन फील्ड क्षेत्रों के वरीयता वाले ब्लॉक, जहां मूल आधारभूत ढाँचा जैसे रोड, रेल संयोजन इत्यादि को अभी विकसित किया जाना है, उसे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र को दे दिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र, जहाँ सी.आई.एल. ने नई खानों को खोलने के लिए ऐसे आधारभूत ढांचे का निर्माण करने में पहले ही निवेश किया है, उसे लागत की प्रतिपूर्ति के सिवाय, निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

(iii) प्रचालन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए निजी क्षेत्र को दिए गए ब्लाक सी.आई.एल. की विद्यमान खान तथा परियोजना से उचित दूरी पर होने चाहिएं।

(iv) विकास के लिए सी.आई.एल. द्वारा पहले से चिन्हित किए गए ब्लाक, जहां पर्याप्त निधियां हाथ में हैं या ली जानी हैं, निजी क्षेत्र को नहीं प्रदान किए जाने चाहिएं।

(v) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र को पेशकश किए जाने वाले इन ब्लाकों में, अन्वेषण की पूरी लागत वहन करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(vi) ब्लाकों की पहचान करने के लिए लगभग 30 वर्षों की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

(vii) अन्य आवश्यकताएं हैं :-

(ए) खान तथा खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1957 के अधीन अपेक्षित खनन योजना का अनुमोदन।

(बी) वैज्ञानिक खनन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन कोयला नियंत्रक द्वारा संरक्षण उपायों को समुचित रूप से लागू करने के लिए निरीक्षण।

(सी) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा सुरक्षा विनियमों को लागू किया जाना।

(ङ) ग्रहीत आधार पर विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की पार्टियों द्वारा खनन किए जाने के लिए **कोयला ब्लाकों के आबंटन का, कोल इंडिया लिमिटेड की किसी सहायक कंपनी के लाभ या हानि से कोई संबंध नहीं है।**

विवरण

झारखंड

क्र.सं.	ब्लाक का नाम
1.	पिरपैन्ती बाराहट (नार्थ आफ हुरा), (ई.सी.एल.)
2.	चुपभिता (ई.सी.एल.)
3.	चिचरो-पातसीमल (ई.सी.एल.)
4.	पाचवारा नार्थ (ई.सी.एल.)
5.	पाचवारा सेन्ट्रल (ई.सी.एल.)
6.	पाचवारा साऊथ (ई.सी.एल.)
7.	चाकला (सी.सी.एल.)
8.	नार्थ धाधु (सी.सी.एल.)
9.	साऊथ धाधु (सी.सी.एल.)
10.	पक्री-बरवाडीह (सी.सी.एल.)
11.	राजबर (सी.सी.एल.)
12.	तुबेड (सी.सी.एल.)
13.	जगलडागा (सी.सी.एल.)
14.	चिरु (सी.सी.एल.)
15.	जयन्ती (सी.सी.एल.)
16.	लोहारी (सी.सी.एल.)
17.	दुर्गाबट/कथाऊतुआ (सी.सी.एल.)
18.	मेरल (सी.सी.एल.)
19.	मेडनिराई (सी.सी.एल.)
20.	सेरेगढ़हा (सी.सी.एल.)
21.	बृन्दा (सी.सी.एल.)
22.	सिसाई (सी.सी.एल.)
23.	डुमरी (सी.सी.एल.)
24.	चाटी-बरिआतू (सी.सी.एल.)
25.	करेंडारी ए.बी.सी. (सी.सी.एल.)
26.	बुन्दु (सी.सी.एल.)
27.	टोकीसुद साऊथ (सी.सी.एल.)
28.	टोकीसुद नार्थ (सी.सी.एल.)
29.	जयनगर (सी.सी.एल.)
30.	पिड्डा-डेबिपुर-खाओवा (सी.सी.एल.)
31.	बेलघारा (सी.सी.एल.)
32.	सद्दामपुर (सी.सी.एल.)
33.	चोरीटाण्ड-तिल्या (सी.सी.एल.)
34.	मोईत्रा (सी.सी.एल.)
35.	बादाम (सी.सी.एल.)
36.	गोंदुलुरा (सी.सी.एल.)
37.	बाबूपाड़ा (सी.सी.एल.)
38.	राऊतपारा (सी.सी.एल.)
39.	जोगेश्वर (सी.सी.एल.)
40.	बसन्तपुर-कोटरे (सी.सी.एल.)
41.	पाचमो (सी.सी.एल.)
42.	लालगढ़ (सी.सी.एल.)
43.	गोमिआ (सी.सी.एल.)
44.	सरिआ-कोइयाटांड (सी.सी.एल.)
45.	टेनुघाट-झिकरी (सी.सी.एल.)
46.	महाल (बी.सी.सी.एल.)
47.	सितानाला (बी.सी.सी.एल.)
48.	परबतपुर (बी.सी.सी.एल.)
49.	ताशरा (बी.सी.सी.एल.)
50.	गौरीग्राम (बी.सी.सी.एल.)
51.	अलुरा (बी.सी.सी.एल.)
पश्चिम बंगाल	
52.	दीवानगंज (ई.सी.एल.)
53.	देवचा-पाचमी (ई.सी.एल.)
54.	बरजोरा नार्थ (ई.सी.एल.)
55.	बरजोरा साऊथ (ई.सी.एल.)
56.	सरिसाटोली (ई.सी.एल.)
57.	तारा (वेस्ट) (ई.सी.एल.)
58.	तारा (ईस्ट) (ई.सी.एल.)
59.	खगरा-जोयदेव (ई.सी.एल.)
60.	अर्धाग्राम (ई.सी.एल.)
61.	कुनुर (ई.सी.एल.)
62.	नाचन (ई.सी.एल.)
63.	इच्छापुर (ई.सी.एल.)
64.	बिहारी नाथ (ई.सी.एल.)
65.	सुनुर ठटी (ई.सी.एल.)

क्र.सं.	ब्लाक का नाम
66.	धर्मा (ई.सी.एल.)
67.	लालगंज (ई.सी.एल.)
68.	कबितिर्थ (ई.सी.एल.)
69.	सितारामपुर (ई.सी.एल.)
70.	कुल्टी (ई.सी.एल.)
71.	जितपुर (ई.सी.एल.))
72.	गंगाराम चाक भादुल्यिा (ई.सी.एल.)
73.	गंगाराम चाक (ई.सी.एल.)
74.	बोरजोरा (ई.सी.एल.)
मध्य प्रदेश	
75.	महान (एन.सी.एल.)
76.	मंडला नार्थ (डब्ल्यू.सी.एल.)
77.	रावनवारा नार्थ (डब्ल्यू.सी.एल.)
78.	सियल घोघरी (डब्ल्यू.सी.एल.)
79.	ब्रम्हपुरी (डब्ल्यू.सी.एल.)
80.	गोटिटोरिआ ईस्ट (डब्ल्यू.सी.एल.)
81.	गोटिटोरिआ वेस्ट (डब्ल्यू.सी.एल.)
महाराष्ट्र	
82.	लोहारा ईस्ट (डब्ल्यू.सी.एल.)
83.	मार्की-मांगला (डब्ल्यू.सी.एल.)
84.	टाकली-जेना बेलोरा (डब्ल्यू.सी.एल.)
85.	टाकली-जेना-बेलोरा (डब्ल्यू.सी.एल.)
छत्तीसगढ़	
86.	मदनपुर (एस.ई.सी.एल.)
87.	बिसरार (एस.ई.सी.एल.)
88.	तारा (एस.ई.सी.एल.)
89.	पटोरिया (एस.ई.सी.एल.)
	गारे-पाल्मा (एस.ई.सी.एल.)
90.	सेक्टर-I (एस.ई.सी.एल.)
91.	सेक्टर-II (एस.ई.सी.एल.)
92.	सेक्टर-III (एस.ई.सी.एल.)
93.	सेक्टर-IV/1 (एस.ई.सी.एल.)
94.	सेक्टर-IV/2 (एस.ई.सी.एल.)
95.	सेक्टर-IV/3 (एस.ई.सी.एल.)
96.	सेक्टर-IV/4 (एस.ई.सी.एल.)

क्र.सं.	ब्लाक का नाम
97.	सेक्टर-IV/5 (एस.ई.सी.एल.)
98.	सेक्टर-IV/6 (एस.ई.सी.एल.)
99.	सेक्टर-IV/7 (एस.ई.सी.एल.)
100.	सेक्टर-IV/8 (एस.ई.सी.एल.)
101.	गिधुमुरी (एस.ई.सी.एल.)
102.	परमा (एस.ई.सी.एल.)
103.	नाकिया (एस.ई.सी.एल.)
104.	चोटिया (एस.ई.सी.एल.)
105.	पांच-बहानी (एस.ई.सी.एल.)
उड़ीसा	
106.	उत्कल-ए (एम.सी.एल.)
107.	उत्कल-बी-1 (एम.सी.एल.)
108	उत्कल-बी-2 (एम.सी.एल.)
उत्कल-III (एम.सी.एल.)	
109.	उत्कल-सी (एम.सी.एल.)
110.	उत्कल-डी (एम.सी.एल.)
111.	उत्कल-ई (एम.सी.एल.)
112.	उत्कल-एफ (एम.सी.एल.)
113.	चतुरधारा (एम.सी.एल.)
114.	तालाबिरा-I (एम.सी.एल.)
115.	तालाबिरा-II (एम.सी.एल.)
116.	रामपिआ (एम.सी.एल.)
117.	घोगर पाली (एम.सी.एल.)
118.	ब्राम्हणी (एम.सी.एल.)
119.	राधिकापुर (एम.सी.एल.)
120.	पात्रापारा (एम.सी.एल.)
121.	अउनली (एम.सी.एल.)
आन्ध्र प्रदेश	
122.	अनिसेट्टीपल्ली यूजी (एस.सी.सी.एल.)
123.	चेरला ओसी (एस.सी.सी.एल.)
124.	चेरला यूजी (साऊथ ब्लॉक) (एस.सी.सी.एल.)
125.	पेगागड्डापार-I (एस.सी.सी.एल.)
126.	पुनुकुल चिल्का (एस.सी.सी.एल.)
127.	टाडीचेरला ब्लाक-II (एस.सी.सी.एल.)
128.	टाडीचेरला ब्लाक-I (एस.सी.सी.एल.)

पायलट ड्रिप परियोजना

471. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे की फिनोलिक्स प्लास्ट्रो पोलाशन लि. के फाइंडेक्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा प्रदान की गई 500 हेक्टेयर पायलट ड्रिप परियोजनाओं से चीनी कारखानों को पिराई मौसम में महाराष्ट्र में अपने कार्य का विस्तार करने में मदद मिली है;

(ख) क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश का यह परियोजना लगाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का कृषि लागत में कमी लाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) महाराष्ट्र में फीनोलेक्स प्लास्ट्रो पोलैशन लि. द्वारा प्रदत्त गन्ने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की ऐसी कोई पायलट परियोजना नहीं है। तथापि, पिछले वर्ष कुछ ड्रिप सिंचाई कंपनियों द्वारा ड्रिप सैट स्थापित किए गए हैं जो महाराष्ट्र में पेराई मौसम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

फिलहाल, पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी परियोजना चालू नहीं है। तथापि, पंजाब में कुछ सहकारी चीनी मिलें गन्ने के लिए ड्रिप सिंचाई के परीक्षण की योजना बना रही हैं।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आदानों के कुशल उपयोग, जैव खादों के प्रयोग, यंत्रीकरण ड्रिप सिंचाई और अंत: फसलन तथा साथ ही उप-उत्पादों के बेहतर उपयोग के जरिए कृषि लागतों को कम करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

[हिन्दी]

खान क्षेत्र में यूक्रेन के साथ संयुक्त उद्यम

472. श्री पदनसेन चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूक्रेन सरकार ने खनन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने तथा खनन के लिए भारी उपकरणों की आपूर्ति के लिए रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में यूक्रेन सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) यूक्रेन सरकार ने खनन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने तथा खनने के लिए भारी उपकरणों की आपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी

473. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 से 31.01.2002 तक उनके मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा पकड़े गये अधिकारियों की ग्रेड-वार संख्या कितनी है जिन्हें भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय से अधिक सम्पत्ति रखने के आरोप में पकड़ा गया है;

(ख) क्या सतर्कता विभाग द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) श्रम मंत्रालय के सतर्कता सैल के पास किसी आरोप में किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। इसलिए, श्रम मंत्रालय के किसी भी कर्मचारी को विभागीय सतर्कता सैल द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 01.04.2000 से 31.01.2002 की अवधि के दौरान इस मंत्रालय के दो कर्मचारियों को रिश्वत मांगने तथा स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

(ख) मद (ग) के उत्तर में की गई उल्लिखित कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	गिरफ्तारी की तारीख	राज्य पुलिस द्वारा अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा	आरोप	संबंधित सतर्कता सैल द्वारा की गई कार्रवाई
1.	श्री के. विजय कुमार एल.ई.ओ. (सी), त्रिवेन्द्रम	जनवरी 2001	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	2000/-रु. रिश्वत की मांग की तथा प्राप्त की।	अधिकारी पर न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति जारी की गई है।
2.	श्री एम.डी. गावडे एल.ई.ओ. (सी), अहमदाबाद	नवम्बर 2000	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	10,000/-रु. रिश्वत की मांग की तथा प्राप्त की।	अधिकारी पर न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति जारी की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच

474. श्री महेन्द्र बैठा :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों से दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) के अधिकारियों के विरुद्ध पोली फिल्म सामग्री की खरीद तथा एलडीपी और एल एल डी पी के प्रसंस्करण से संबंधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 80:20 एलडीपी और एलएलडीपी खरीद आदेश के बजाए उच्च लागत वाली एलडीपी सामग्री के 100 प्रतिशत भुगतान के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जांच पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से जुलाई, 1999 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोप यह है कि पिछले 2-3 वर्षों में कच्ची सामग्री (कणि) भारतीय पैट्रो कैमिकल्स लि. से उच्च लागत (100 प्रतिशत एल डी पी ई) पर खरीदी गई है जबकि पॉलिथिन 80:20 के अनुपात में (80 प्रतिशत एल डी पी ई तथा 20 प्रतिशत एल एल डी पी ई) प्रसंस्कृत किया गया है। शिकायतों के आधार पर प्राथमिक जांच-पड़ताल की गई थी जिसमें कुछ अनियमितताओं का पता चला। जांच रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गई है जिन्होंने अब अतिरिक्त सूचना मांगी है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

योग्यता के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. का चयन

475. श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को उनके वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के विरुद्ध नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के

दौरान अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. से संबंधित ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो कि योग्यता के आधार पर चयनित किए गए हैं लेकिन उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई है; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा कारणों सहित क्या है जिनमें ऐसे अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित किए गए लेकिन उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के विरुद्ध दर्शाया/समायोजित किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच

476. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) ने हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच कराई है और सुरक्षा संबंधी गम्भीर त्रुटियों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास किसी आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो विमानपत्तन के चारों ओर सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए क्या ठोस योजना तैयार की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के क्रम में, हाल ही में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। हवाई अड्डे पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं तथा कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई। तथापि सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों को अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुन: कहा गया है। एयरपोर्ट पर आवागमन नियंत्रण, पेरीमीटर सुरक्षा, द्रुत प्रतिक्रिया दल, विमान में चढ़ने से पूर्व सुरक्षा जाँच, रजिस्टर्ड बैगेज की स्क्रीनिंग, कार्गो की हैंडलिंग के संबंध में मौजूदा निदेशों को दुबारा जारी किया गया है।

राष्ट्रीय उद्यानों का दुरुपयोग

477. श्री जी.जे. जावीया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों के दुरुपयोग और गत पांच वर्षों के दौरान वनों से पकड़े गए जंगली जानवरों को गैर-कानूनी ढंग से रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उद्यानों और वन क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर नियमों का उल्लंघन करने और वन्य जीवों को गैर-कानूनी रूप से कब्जे में रखने के मामलों का समय-समय पर उनके द्वारा पता लगाया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इन मामलों के संबंध में सूचना एकत्र नहीं की जाती और उसका मिलान नहीं किया जाता।

निजी विमान कंपनियों को पट्टे पर स्थान दिये जाने के संबंध में नीति

478. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानपत्तन टर्मिनलों पर पट्टे पर स्थान देने की नीति और उसकी अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली विमानपत्तन पर जेट एयरवेज को अलग टर्मिनल पांच वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो पट्टे पर दिये जाने की वर्तमान नीति से हटने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वाणिज्यिक नीति के अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि के लिए समय-समय पर लागू लाइसेंस फीस के आधार पर हवाई अड्डा टर्मिनल पर उपलब्ध स्थान का लाइसेन्स दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जलकृषि को बढ़ावा देना

479. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में मीठे जल में जलकृषि विकास के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रशासकीय अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु केन्द्रीय अंश-राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों के समेकित विकास संबंधी पायलट योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान के लिए एकमुश्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 19.97 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को 21.8.2001 को जारी कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान ताजा जल जलकृषि के विकास की चालू केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि राज्य के पास केन्द्रीय हिस्सेदारी की खर्च न की गई 99.96 लाख रुपए की राशि शेष है।

कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

480. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकदी फसलों के उत्पादन और उर्वरकों के प्रयोग के कारण कृषि उपजों के अंतर्गत क्षेत्रफल पिछले कुछ वर्षों से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वह कौन-सा गैर-कृषि कार्य है जिसके लिए भूमि का प्रयोग बढ़ रहा है;

(घ) क्या सरकार कृषि भूमि का अन्य कार्य हेतु प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने का विचार का रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) गत कुछ वर्षों के दौरान, कृषि के अधीन बोया गया निवल क्षेत्र लगभग 142 मिलियन हैक्टेयर पर करीब-करीब स्थिर रहा है। कृषि के अधीन वर्ष-वार बोया गया निवल क्षेत्र आगे दर्शाया गया है :

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)

वर्ष	*बोया गया निवल क्षेत्र*
1992-93	142.72
1993-94*	142.34
1994-95*	142.96
1995-96*	142.20
1996-97*	142.81
1997-98*	142.02

* अनंतिम

(घ) और (ङ) सरकार ने राज्यों को कार्यान्वयन हेतु 19 सूत्रीय राष्ट्रीय भू-उपयोग नीतिगत रूपरेखा तथा कार्रवाई बिन्दु जारी किए हैं। कार्रवाई बिन्दुओं में अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी नीति की इस ढंग से पुनर्संरचना शामिल है ताकि अधिक उत्पादक भूमि का अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल न किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

किसानों द्वारा वर्मी कल्चर खाद का प्रयोग

481. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री रामशकल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में किसानों ने "वर्मी कल्चर खाद" का प्रयोग करके अपने उत्पादन में वृद्धि की है;

(ख) क्या यह भी सही है कि पिछले तीन साल में "वर्मी कल्चर खाद" के उत्पादन और वितरण में जुटी गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयोगों और अध्ययनों से पता चला है कि इस खाद के प्रयोग करने से फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और लागत कम आती है; और

(ग) यदि हां, तो इस तकनीक का कृषि प्रधान राज्यों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। यह देखा गया है कि वर्मिकल्चर उर्वरक, जिसका लोकप्रिय नाम वर्मीकम्पोस्ट है, का उपयोग अकेले अथवा रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलाकर किया जाना मृदा उर्वरकता में सुधार करने, फसल की पैदावार में वृद्धि करने एवं अन्ततः खेती की लागत घटाने में सहायक होता है।

(ग) भारत सरकार जैविक खाद के विभिन्न स्रोतों का उपयोग वर्मिकम्पोस्ट सहित फसलों के पोषक तत्वों के अनुपूरक स्रोत के रूप में करने को बढ़ावा दे रही है।

विघटनशील कूड़े-करकट से वर्मिकम्पोस्ट तैयार करने के लिए "वर्मिकल्चर" को प्रोत्साहन देने को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बागवानी के समेकित विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित प्रौद्योगिकी मिशन की एक गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्मिकम्पोस्ट की स्थापना के लिए प्रति यूनिट 30,000 रुपये तक धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, वर्मिकम्पोस्ट तथा इसके उपयोग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्मिकम्पोस्ट तैयार करने की प्रौद्योगिकी के मानकीकरण हेतु परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

योग्यता सूची में चयनित अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के व्यक्ति

482. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए निर्धारित रिक्तियां/आरक्षित पदों के विरुद्ध दर्शाया जाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. से संबंधित ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो कि योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए हैं लेकिन उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई है; और

(ग) ऐसी घटनाओं का ब्यौरा कारणों सहित क्या है जिनमें ऐसे अभ्यार्थी योग्यता के आधार पर चयनित किए गए लेकिन उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के विरुद्ध दर्शाया/समायोजित किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नागर विमानन मंत्रालय और उसके विभिन्न संगठनों में कुल 263 अनुसूचित जाति, 61 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के 115 उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवा की विभिन्न श्रेणियों में चुना गया/भर्ती किया गया/पदोन्नत किया गया। इन नियुक्तियों की गणना आरक्षित कोटे के तहत रिक्तियों/पदों के लिए नहीं की गई है।

(ग) गुण-दोष के आधार पर चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का समायोजन उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के स्थान पर नहीं किया गया है।

खनन प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग

483. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने खनन प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग के लिए जिला प्राधिकारियों से सम्पर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने खनन प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग के लिए जिला प्राधिकारियों से संपर्क नहीं किया था।

(ख) और (ग) भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

कर्नाटक में हाउस बोटों की खरीद हेतु निधियां

484. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक में श्रावती और काली नदियों के पृष्ठ जल में चलाये जाने के लिए हाउस बोटों की खरीद हेतु निधियां जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय कितनी हाउस बोटों का चलना शुरू हो चुका है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त निधियों की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रदूषणकारी उद्योग

485. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी/सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों/औद्योगिक इकाइयों के राज्य-वार तथा स्थान-वार नाम क्या हैं जो खतरनाक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट छोड़कर पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक दोषी कम्पनी/इकाई के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपशिष्टों और ठोस अपशिष्टों की समस्याओं का अध्ययन किया है और प्रदूषणकारी औद्योगिक एककों को बन्द करने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और एककवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में मानदण्ड निर्धारित करने के लिए समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन कम्पनियों को पर्यावरण की जानकारी देने के लिए जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में बड़े और मध्यम आकार की 1551 औद्योगिक इकाइयों में से 1350 ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाई है। 177 इकाइयां बन्द हैं और 24 इकाइयां अपनी बहिस्राव शोधन प्रणाली को समुन्नत करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। नदियों और झीलों में अपने बहिस्रावों को प्रवाहित करने वाले और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 851 उद्योगों में से 608 ने प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाई है, 238 बन्द हैं और 5 इकाइयां अपनी बहिस्राव शोधन प्रणाली को समुन्नत करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। दोनों श्रेणियों के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के दोषी उद्योगों के नाम और प्रत्येक के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) नदियों और झीलों में अपने बहिस्राव प्रवाहित करने वाले दोषी उद्योगों की स्थिति की समीक्षा करने तथा अपेक्षित बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने हेतु उद्योगों को और समय देने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 1997 में चार क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है।

(छ) औद्योगिक प्रदूषण से पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए तथा उद्योगों को पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :–

(i) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की लगभग सभी श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। स्रोत पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषक स्रोतों की 90 श्रेणियों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत परिवेशी वायु और जल गुणता मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियां निर्धारित की हैं जिन्हें नियमित रूप से मानीटर किया जाता है ताकि निर्धारित मानकों का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त उपाए किए जा सकें।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए "पर्यावरणीय सर्वेक्षण दल" का गठन किया गया है।

(iv) दोषी उद्योगों को मानीटर करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(v) अत्यधिक प्रदूषित 24 क्षेत्रों की पहचान की गई है और कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(vi) देश के विभिन्न जिलों में पर्यावरणीय आधार पर उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करने का काम शुरू किया गया है। 14 राज्यों के 19 जिलों के लिए उद्योगों के स्थान-निर्धारण हेतु एटलस बनाने का काम पूरा किया गया है।

(vii) छोटे आकार के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बेहतर कार्य प्रेक्टिसों और ऊर्जा संरक्षण की तकनीकों को अंगीकार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 40 अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कल स्थापित किए गए हैं।

(viii) छोटे आकार की औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने की योजना प्रारम्भ की गई है।

विवरण

17 श्रेणियों में आने वाले दोषी उद्योगों की राज्यवार स्थिति

(31 दिसम्बर, 2001 तक)

क्र.सं.	उद्योगों का नाम व पता	श्रेणी व सी यू/ पी यू /एस यू/ सी पी में से कौन-सा	पर्यावरण नियंत्रण की स्थिति/की गई कार्रवाई
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
01.	मैसर्स कोठगुन्डेम थर्मल पावर स्टेशन प्लोन्छा, जिला खम्माम, आंध्र प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	ई एस पी का उन्नयन/रिट्रोफिटिंग जुलाई 2002 तक पूरा किया जाना है।
	असम		
02.	मै. बोन्गाईगांव थर्मल पावर, बोन्गई गाँव, असम	टी पी पी (एस यू)	ई. एस. पी. का संवर्धन जून 2002 तक पूरा किया जाना है।
	बिहार		
03.	मै. पतरातु थर्मल पावर स्टेशन, पतरातु, हजारीबाग, बिहार	टी पी पी (सी यू)	यूनिट सं. 10 में ई एस पी का संवर्धन दिसम्बर 2001 में पूरा किया गया था।
04.	मै. बोकारो थर्मल पावर प्लांट (डी वी सी) बी, बोकारो, बिहार	टी पी सी (सी यू)	ई एस पी की संस्थापना जून 2002 तक पूरी की जानी है।
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ की इकाइयां भी शामिल)			
05.	मै. कौक्स डिस्टिलरी नौगांव, छतरपुर, छत्तीसगढ़	डिस्टिलरी (पी यू)	उद्योग द्वारा डाइजेस्टर की संस्थापना की गई और एस पी सी बी के अधीन इसके निष्पादन का प्रेक्षण किया जा रहा।
06.	मै. छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी खापरी, कुन्हारी दुर्ग, छत्तीसगढ़	डिस्टिलरी (पी यू)	जल अधिनियम 1974 की धारा 18 (1) (बी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं जिनमें राज्य बोर्ड से अपेक्षा की गई है कि वे स्टोरेज लैगून एवं स्लज ड्राइंग बैडो में ब्रिक/स्टोन पिचिंग सहित आवश्यक ई टी पी, एच डी पी ई लाइनिंग की व्यवस्था के लिए इस उद्योग को निर्देश दें। यदि यह उद्योग राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित समय अवधि में सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे बन्द कर दिया जाएगा।
07.	मै. भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई, छत्तीसगढ़	आयरन और स्टील (सी यू)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग का दौरा किया और जाँच परिणामों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1	2	3	4
08.	मै. ग्वालियर शुगर कं., ग्वालियर मध्य प्रदेश	शुगर (पी यू)	नए ई टी पी का कार्य प्रगति पर है और मार्च 2002 में पूर्ण होने की आशा है।
09.	मै. सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, बेतूल, मध्य प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	ई एस पी की संस्थापना के लिए धनराशि पाने हेतु ईकाई ने पी एफ सी से सम्पर्क किया है।
महाराष्ट्र			
10.	मै. चन्द्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों के पास ई एस पी है परन्तु निष्पादन संतोषजनक नहीं है। एम एस ई बी ने 2002-2004 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से बैग फिल्टर/बड़े आकार ई एस पी संस्थापित करने का निर्णय लिया है।
11.	कारोड़ी थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, कोराड़ी- 441 111, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी है परन्तु उनका निष्पादन संतोषजनक नहीं है। ई एस पी का संवर्धन, प्रगति पर पर है और चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2003 तक पूरा होने की उम्मीद है।
12.	नासिक थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, पी ओ एकलहरे-422 105, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी है परन्तु निष्पादन संतोषजनक नहीं है म. रा. बि. बो. ने 2002-2005 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से बैग फिल्टर/बड़े आकार के ई एस पी संस्थापित करने का निर्णय लिया है।
13.	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, दीप नगर-425 307, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी है लेकिन निष्पादन संतोषजनक नहीं है म. रा. बि. बो. ने 2005-2006 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से बैग फिल्टर। बड़े आकार के ई एस पी संस्थापित करने का निर्णय लिया है।
14.	मै. परली बैजनाथ थर्मल पावर स्टेशन बीड, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी है किन्तु निष्पादन संतोषजनक नहीं है म. रा. वि. बो. ने 2004-2006 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से बैग फिल्टर / बड़े आकार के ई एस पी संस्थापित करने का निर्णय लिया है।
उड़ीसा			
15.	पारादीप फॉस्फेट्स लि. पो ऑ पी पी एल टाऊनशिप, पारादीप-754 145 जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	उर्वरक (सी यू)	चक्रवात के प्रभाव के मद्देनजर स्थिति के मूल्यांकन के लिए के. प्र. नि. बो. ने 19-23, सितम्बर, 2000 के दौरान यूनिट की विस्तृत रूप से जाँच की थी और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट भेजी थी। रा. प्र. वि. बोर्ड द्वारा 26 अप्रैल, 2001 को उद्योग को सुनवाई का मौका दिया गया और सुनवाई के फैसले को क्रियान्वित किया जा रहा है।
16.	मै. राऊरकेला स्टील संयंत्र (आयरन एण्ड स्टील) राऊरकेला, सुन्दरगढ़, जिला उड़ीसा	आयरन एण्ड स्टील (सी यू)	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है

1	2	3	4
17.	मै. अस्का को-ऑपरेटिव शुगर एण्ड केमीकल्स लि. अस्का, उड़ीसा	शुगर (सी यू)	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है
18.	मै. तलचर थर्मल पावर स्टेशन, पो ओ तलचर थर्मल, जिला अंगुल, उड़ीसा-759 101	टी पी पी (सी यू)	इकाई सं. 5 और 6 में ई एस पी का संवर्धन पूरा हो चुका है। ई एस पी का संवर्धन चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2002 तक पूरा हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश			
19.	मै. ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट (बी) ओबरा, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	प्रत्येक 100 मेगावाट की तीन इकाइयां, जिनमें ई एस पी हैं, ठीक से काम नहीं कर रही हैं और प्रत्येक 50 मेगा वाट की 5 इकाइयों में मेकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स हैं। धनराशि के अभाव में, ई एस पी को चालू करने के लिए कोई भी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई है ऐश पॉन्डस की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। प्रदूषण निवारण उपाय उपलब्ध कराने में प्लांट अथारिटी आवश्यक कदम उठाने को उत्सुक नहीं है। ई एस पी की संस्थापना के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक/पी एफ सी के पास लम्बित पड़ा है। बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 की धारा 33 (1) के अंतर्गत और वायु अधिनियम 1981 की धारा 22-ए के अंतर्गत उद्योग पर मुकद्दमा चलाया है। मामला अभी लंबित है।
20.	मै. ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट (ए), ओबरा, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	प्रत्येक 200 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। उद्योग ने ई एस पी संस्थापित किया है परन्तु ये संतोषजनक नहीं है। धन के अभाव की वजह से कोई भी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हुई है। ऐश पान्ड्स की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। प्रदूषण निवारण उपाय करने के लिए प्लांट अथॉरिटी आवश्यक कदम उठाने को उत्सुक नहीं है। ई एस पी की संस्थापना के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक/पी एफ सी के पास लम्बित पड़ा है। बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 की धारा 33(1) के अंतर्गत और वायु अधिनियम 1981 की धारा 22-ए के अंतर्गत उद्योग पर मुकद्दमा चलाया है। मामला अभी लंबित है।
21.	मै. हरद्वारगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कसीमपुर अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	किसी भी इकाई में ई एस पी नहीं लगा हुआ है। धनाभाव की वजह से कोई भी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई है। ऐश पान्ड्स की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। प्रदूषण निवारण उपाय करने के लिए प्लांट अथॉरिटी आवश्यक कदम उठाने को उत्सुक नहीं है। ई एस पी की संस्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक/पी एफ सी के पास लम्बित पड़ा है। उद्योग ने ए पी सी एस की संस्थापना के लिए कोई भी समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है। इस मामले को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल			
22.	मै. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं., बर्नपुर, बर्दवान, प. बंगाल	आयरन एंड स्टील (सी यू)	पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत के प्र. नि. बोर्ड द्वारा इकाई को उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
23.	मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	आयरन एंड स्टील (सी यू)	उद्योग ने न्यू लाइम कैलसिनेशन प्लांट (एन एल सी पी) की बैग फिल्टर प्रणाली में परिवर्तन किया है। कैप्टिव पावर प्लांट तथा कोल हैंडलिंग एरिया के लिए डस्ट स्प्रैशन सिस्टम तथा टार हैंड-लिंग में ऑयल सैप्रेटर स्थापित किया है। बी ओ डी प्लांट, ओल्ड पावर प्लांट, सिंटर प्लांट और एन एल सी संयंत्र में मानकों के अनुपालन के संबंध में नजर रखी जा रही है।
24.	मै. दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन दामोदर वैल्ली कार्पो, पी ओ दुर्गापुर-713 207 जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	टी पी पी (एस यू)	यह मामला उच्चतम न्यायालय में है।

नदियों और झीलों में अपना बहिस्राव प्रवाहित करने वाले अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2001 के अनुसार)

क्र.सं.	उद्योग का नाम और पता	क्षेत्र	वर्ग	स्थिति
मध्य प्रदेश				
01.	मैसर्स केडिया ग्रेट गैलियन लिमिटेड, सेजवाया, घाटाबिलोड, जिला धार	पी यू	डिस्टीलरी	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय, जबलपुर में है।
02.	मैसर्स राऊरकेला स्टील संयंत्र, राऊरकेला	सी यू	लोहा और इस्पात	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है।
03.	मैसर्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, पारादीप	सी यू	उर्वरक	चक्रवात के प्रभाव के मद्देनजर स्थिति के मूल्यांकन हेतु के. प्र. नि. बो. ने 19-23 सितम्बर, 2000 के दौरान यूनिट की विस्तृत रूप से जाँच की थी और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट भेजी थी। रा.प्र.नि. बोर्ड द्वारा 26 अप्रैल 2001 को उद्योग को सुनवाई का मौका दिया गया और सुनवाई के फैसले को क्रियान्वित किया जा रहा है।
पंजाब				
04.	मैसर्स राणा महिन्द्रा पेपर्स लिमिटेड, गाँव फतेहपुर (सियालबा)	पी यू	कागज मिल	पंजाब सरकार ने अपने दिनांक 17.5.2001 के आदेश के तहत उद्योग को 25 टी पी डी क्षमता पर और भूमि पर 100 पी ओ डी से अनधिक बहिस्राव की शर्त पर प्रचालन की अनुमति दी है। एकक को केमिकल रिकवरी प्लांट लगाने के लिए 18 माह का समय दिया गया है।

उत्तर प्रदेश				
05.	मैसर्स हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, अलीगढ़	एस यू	थर्मल पावर	ऐश पान्ड्स की क्षमता समाप्त हो चुकी है। प्रदूषण निवारण उपाय करने के लिए प्लांट अथॉरिटी आवश्यक कदम उठाने को उत्सुक नहीं है। ई एस पी की संस्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक/पी एफ सी के पास लम्बित पड़ा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया चल रही है।

सी यू- सैंट्रल पब्लिक सैक्टर यूनिट, एस यू- स्टेट पब्लिक सैक्टर यूनिट, पी यू- प्राइवेट सेक्टर यूनिट, सी पी- को-आपरेटिव सेक्टर यूनिट

राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का रख-रखाव

486. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न प्रणाली उद्यानों/अभयारण्यों/सुरक्षित वन क्षेत्र की हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने उद्यान/अभयारण्य/सुरक्षित वन क्षेत्र हैं जहां शेर, बाघ, भालू, हिरण, सांभर और अन्य दुर्लभ प्रजातियों की संख्या में बढ़ोत्तरी और कमी आई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अभयारण्यों/उद्यानों/वन संरक्षण तथा अन्य योजनाओं के विकास और रख-रखाव के लिए राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर-इण्डिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक में 82 ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सूचीबद्ध किया गया है जहाँ की प्रबन्ध व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। 18 कुप्रबंधित चिड़ियाघरों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की प्रबंध व्यवस्था संतोषजनक न होने का प्रमुख कारण प्रवर्त्तन कर्मचारियों की कमी तथा प्रचालन लागतों के लिए समय पर धनराशि उपलब्ध न होना है। चिड़ियाघरों के मामले में, स्थान की कमी से यह समस्या और भी बढ़ जाती है।

(ग) विभिन्न राज्यों में बाघ, हाथी, शेर और गैंडा से संबंधित अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यवार उनकी संख्या के आकलन का रख-रखाव नहीं किया जाता है। इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी मूलत: स्थान विशिष्ट होती है और यह वासस्थलों की दशा, बायोटेक कारकों, प्राकृतिक आपदाओं और अवैध शिकार जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास और रख-रखाव के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

उन अभयारण्यों की सूची, जहाँ प्रबंधन ठीक नहीं है।

क्र.सं.	राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का नाम	
1	2	3
1.	मनाली अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
2.	गंगुल साईवेही अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
3.	नार्गु अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
4.	कुग्ती अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
5.	लिप्पा असरंग अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
6.	दरंघाटी अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
7.	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य	राजस्थान
8.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
9.	रामगढ़ अभयारण्य	राजस्थान
10.	अन्नामलाई अभयारण्य	तमिलनाडु
11.	कोल्लेरू अभयारण्य	आन्ध्र प्रदेश
12.	पापीकोंडा अभयारण्य	आन्ध्र प्रदेश
13.	सतपुर राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश

1	2	3
14.	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश
15.	किशनपुर अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
16.	भीतरकणिका अभयारण्य	उड़ीसा
17.	कराकोरम अभयारण्य	जम्मू और कश्मीर
18.	पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान	हिमाचल प्रदेश
19.	चांगथांग अभयारण्य	जम्मू और कश्मीर
20.	रूपीभाबा अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
21.	रकछाम छितकुल अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
22.	सेन्चल अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
23.	अबोहर अभयारण्य	पंजाब
24.	हरीकलेक अभयारण्य	पंजाब
25.	हिंगोल गढ़ अभयारण्य	गुजरात
26.	साइलेन्ट वैली राष्ट्रीय उद्यान	केरल
27.	चिमोनी अभयारण्य	केरल
28.	मुकुरथी अभयारण्य	तमिलनाडु
29.	ब्रह्मगिरी अभयारण्य	कर्नाटक
30.	बिलीगिरि रंगास्वामी टेम्पल अभयारण्य	कर्नाटक
31.	बरनाडी अभयारण्य	असम
32.	पुलीकट अभयारण्य	तमिलनाडु
33.	टुंडा अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
34.	बांदली अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
35.	सुरिन्सर अभयारण्य	जम्मू और कश्मीर
36.	खोखन अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
37.	तलरा अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
38.	चैल अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
39.	नैना देवी अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
40.	शिल्ली अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
41.	मजाथल अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
42.	दर्राह अभयारण्य	राजस्थान
43.	शेरगढ़ अभयारण्य	राजस्थान
44.	जवाहर सागर अभयारण्य	राजस्थान
45.	फुलवारी अभयारण्य	राजस्थान
46.	सरदार पुर अभयारण्य	मध्य प्रदेश
47.	भीमाशंकर अभयारण्य	महाराष्ट्र
48.	बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक
49.	अदिचुन्चानगौरी अभयारण्य	कर्नाटक
50.	सिवाराम अभयारण्य	आन्ध्र प्रदेश
51.	पेनगंगा अभयारण्य	महाराष्ट्र
52.	टोपचांची अभयारण्य	बिहार
53.	फेन अभयारण्य	मध्य प्रदेश
54.	पनपथा अभयारण्य	मध्य प्रदेश
55.	महावीर अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
56.	नवाबगैंग अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
57.	लंगटंग अभयारण्य	मिजोरम
58.	कैस अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
59.	गोबिन्द सागर अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
60.	शिमला वाटर कैचमेन्ट अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
61.	फैमबंग ल्हो अभयारण्य	सिक्किम
62.	बीर मोतीबाग अभयारण्य	पंजाब
63.	वीरगुरदियाल पुरा अभयारण्य	पंजाब
64.	बीर बुनरहेरी अभयारण्य	पंजाब
65.	जम्बा रामगढ़ अभयारण्य	राजस्थान
66.	चिन्नार अभयारण्य	केरल
67.	कोटीगाव अभयारण्य	गोवा

1	2	3
68.	नुगु अभयारण्य	कर्नाटक
69.	थाटेक्काड अभयारण्य	केरल
70.	पेप्परा अभयारण्य	केरल
71.	अरलाम अभयारण्य	केरल
72.	पीछी वझानी अभयारण्य	केरल
73.	रंगानाथीत्तु अभयारण्य	कर्नाटक
74.	मेलकोट अभयारण्य	कर्नाटक
75.	घटप्रभा अभयारण्य	कर्नाटक
76.	वेदान्थान्गल अभयारण्य	तमिलनाडु
77.	वैसीपल्ली अभयारण्य	उड़ीसा
78.	चन्द्रप्रभा अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
79.	फोसिल राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
80.	सिरोए राष्ट्रीय उद्यान	मणिपुर
81.	लोथियानिसलैण्ड अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
82.	बहुखण्ड कोणार्क अभयारण्य	उड़ीसा

विवरण-II

खराब स्थिति वाले चिड़ियाघरों की सूची

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम
1.	राज्य म्यूजियम चिड़ियाघर, त्रिचूर, केरल
2.	महाराज बाग चिड़ियाघर, नागपुर, महाराष्ट्र
3.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश
4.	लेडी हिदारी उद्यान, शिलांग, मेघालय
5.	उदयपुर चिड़ियाघर, उदयपुर, राजस्थान
6.	बीकानेर चिड़ियाघर, बीकानेर, राजस्थान
7.	कोटा चिड़ियाघर, कोटा, राजस्थान
8.	चिल्ड्रन्स चिड़ियाघर, बेल्लारी, कर्नाटक
9.	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
10.	हड्डो चिड़ियाघर, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
11.	सूरत चिड़ियाघर, सूरत, गुजरात
12.	राजकोट चिड़ियाघर, राजकोट, गुजरात
13.	पेशवे उद्यान, पुणे, महाराष्ट्र
14.	ऐजवल चिड़ियाघर, मिजोरम
15.	जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर, राजस्थान
16.	कोहिमा चिड़ियाघर, कोहिमा, नागालैंड
17.	जोधपुर चिड़ियाघर, जोधपुर, राजस्थान
18.	सायाजी बाग, वडोदरा, गुजरात

विवरण-III

प्रमुख वन्य जीवों की गणना

राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ		तेंदुआ		शेर		हाथी			गैंडा	
		1993	1997	1993	1997	1995	2000	1997	2001		1993	1998/99
									न्यूनतम	अधिकतम		
1.	आंध्र प्रदेश	197	171	152	138		शून्य	57	57	57		शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश*	180	180	98	98*		शून्य	2102	1607	1607		शून्य
3.	असम	325	458	246	246*		शून्य	5312	5312	5312	1440	1684
4.	बिहार/झारखंड	137	103	203	203*		शून्य	618	618	618		शून्य
5.	गोवा/दमन और दीव	3	6	31	25		शून्य	शून्य				शून्य

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ		तेंदुआ		शेर		हाथी			गैंडा	
		1993	1997	1993	1997	1995	2000	1997	2001		1993	1998/99
									न्यूनतम	अधिकतम		
6.	गुजरात	5	1	772	832	304	310-320	शून्य				शून्य
7.	हरियाणा*	शून्य	शून्य	25	25*		शून्य	शून्य				शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य	शून्य	821	821*		शून्य	शून्य				शून्य
9.	कर्नाटक*	305	350	455	620		शून्य	6088	6088	6088		शून्य
10.	केरल	57	73	16	शून्य		शून्य	5737	5737	5737		शून्य
11.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	912	927	1700	1851		शून्य	शून्य				शून्य
12.	महाराष्ट्र	276	257	417	431		शून्य	शून्य				शून्य
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	10	15		शून्य
14.	मेघालय	53	63	शून्य	शून्य		शून्य	1840	1840	1840		शून्य
15.	मिजोरम	28	12	49	28		शून्य	शून्य	28	28		शून्य
16.	नागालैंड*	83	83		शून्य		शून्य	147	147	147		शून्य
17.	उड़ीसा	226	194	378	422		शून्य	1827	1827	1827		शून्य
18.	राजस्थान	64	58	475	474		शून्य	शून्य				शून्य
19.	सिक्किम*	2	2		शून्य		शून्य	शून्य				शून्य
20.	तमिलनाडु	97	62	138	110		शून्य	2971	2971	2971		शून्य
21.	त्रिपुरा*	शून्य	शून्य	18	18*		शून्य	शून्य	60	85		शून्य
22.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	465	475	711	1412		शून्य	1984	1000	1984	12	13
23.	पश्चिम बंगाल	335	361	108	108*		शून्य	327	327	327	44	120
24.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	15		शून्य	शून्य				शून्य
	कुल	3750	3836	6828	7273		310-320	29010	27377	28713	1496	1817

*अरूणाचल, नागालैंड और सिक्किम में गणना नहीं की गई।

इन राज्यों द्वारा 1993 के दौरान किए गए गणना संबंधी आंकड़ों को 1997 में भी शामिल किया गया है।

**1991 में गई गणना के अनुसार

विवरण-IV

'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' स्कीम के अन्तर्गत जारी निधियां (लाख रुपये)

सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	आंध्र प्रदेश	52.062	43.39	50.72	87.54	186.07

सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.458	27.953	57.91	50.983	121.12
3.	असम		54.62	58.05	53.44	317.205
4.	बिहार		6.00	शून्य	27.85	21.02
5.	गोवा	10.143	शून्य	11.07	21.305	10.5
6.	गुजरात	52.728	17.005	13.80	22.105	65.27
7.	हरियाणा	11.04	14.57	37.20	21.55	28.35
8.	हिमाचल प्रदेश	12.1	61.50	49.80	47.46	165.3
9.	जम्मू व कश्मीर	13.94	124.70	7.00	5.55	
10.	कर्नाटक	225.845	78.17	84.12	100.319	307.18
11.	केरल	34.962	49.29	49.35	59.975	102.62
12.	मध्य प्रदेश	41.873	195.67	35.93	152.203	182.195
13.	महाराष्ट्र	13.81	48.845	27.783	123.43	90.96
14.	मणिपुर	23.01	13.50	19.64	13.28	41.784
15.	मेघालय	2.57	शून्य	शून्य	शून्य	66.36
16.	मिजोरम	4.6	13.48	8.45	12.30	102.31
17.	नागालैंड	4.31	15.29	9.00	9.70	31.85
18.	उड़ीसा	8.38	34.22	68.73	94.74	3.5
19.	पंजाब		14.03	8.65	11.57	26.39
20.	राजस्थान	37.027	82.34	89.52	66.54	116.00
21.	सिक्किम	15.29	12.51	11.00	12.00	97.45
22.	तमिलनाडु	20.25	61.284	74.63	61.81	89.83
23.	त्रिपुरा	2.29	29.81	शून्य	19.97	21.90
24.	उत्तर प्रदेश	55.995	112.11	89.57	117.81	144.6
25.	पश्चिम बंगाल	39.31	69.69	72.96	55.20	90.22
26.	अंडमान एवं निकोबार		20.56	शून्य	22.00	50.00
27.	चंडीगढ़		12.00	शून्य	28.00	
	कुल	717.993	1212.533	934.883	1298.00	2479.984

'हाथी परियोजना' स्कीम के अतंर्गत जारी निधियां (लाख रुपये)

क्र सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	आंध्र प्रदेश	11.20	18.90	30.21	11.86	46.30
2	अरूणाचल प्रदेश	26.50	-	10.08	19.303	89.81
3	असम		-	29.60	25.15	45.00
4	बिहार		-	40.00	26.00	
5	कर्नाटक	119.82	51.79	40.00	85.00	51.00
6	केरल	71.96	76.87	143.40	63.55	66.05
7	मेघालय	2.39	12.31	-	20.68	35.732
8	नागालैंड	6.08	-	11.00	40.00	35.17
9	उड़ीसा	48.40	-	25.00	29.75	
10	तमिलनाडु	15.00	30.60	69.28	48.21	50.00
11	उत्तर प्रदेश	84.30	111.95	95.00	155.806	80.00
12	पश्चिम बंगाल	62.76	84.72	78.44	76.011	79.04
13	झारखंड					5.00
14	उत्तराचंल					20.00
15	मणिपुर					1.00
16	त्रिपुरा					2.00
17	मिजोरम					1.00
	कुल	410.00	435.54	547.01	596.57	636.852

"बाघ परियोजना" स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां (लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	जारी निधियां 1996-97	जारी निधिया 1997-98	जारी निधियां 1998-99	जारी निधियां 1999-2000	जारी निधियां 2000-01
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	16.87	20.00	47.68	30.590	32.607
2.	अरूणाचल प्रदेश	26.00	10.70	18.01	29.036	45.00
3.	असम	40.435	45.08	35.00	87.290	156.10
4.	बिहार	88.315	36.75	153.99	165.952	87.077
5.	कर्नाटक	45.30	25.00	69.34	167.079	193.36
6.	केरल	32.88	34.95	39.19	43.665	50.00
7.	मध्य प्रदेश	141.570	133.778	225.125	332.160	433.567

1	2	3	4	5	6	7
8.	महाराष्ट्र	48.107	60.53	110.74	134.765	167.931
9.	मेघालय		-	-	-	1.50
10.	मिजोरम	8.36	12.45	9.65	21.430	27.58
11.	उड़ीसा	28.37	49.30	67.65	84.450	83.31
12.	राजस्थान	132.895	149.885	472.265	222.595	299.705
13.	तमिलनाडु	28.795	45.60	32.50	58.780	60.315
14.	उत्तर प्रदेश	107.428	125.012	199.75	234.23	181.655
15.	पश्चिम बंगाल	104.675	58.95	179.985	137.140	98.18
	कुल	850.00	807.985	16660.875	1749.162	1917.887

बाघ रिजर्वों सहित सुरक्षा क्षेत्रों के भीतर और आसपास पारिविकास स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां (लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	आंध्र प्रदेश	29.051	25.399	40.020	44.534	33.548
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.493	4.998	15.229	13.820	31.83
3.	असम	32.00	10.250	42.34	20.00	45.51
4.	बिहार	25.09		15.00	38.39	28.99
5.	गुजरात	11.05			9.64	26.22
6.	हरियाणा	5.00				
7.	हिमाचल प्रदेश	7.95	58.400		86.84	66.00
8.	जम्मू व कश्मीर	5.00	22.490		13.700	
9.	कर्नाटक		34.650	20.350	62.250	209.02
10.	केरल	24.2		70.550	36.450	153.439
11.	मध्य प्रदेश	18.3	51.330	75.890	54.200	126.53
12.	महाराष्ट्र	26.29	7.435	41.880	86.675	27.00
13.	मणिपुर	14.805	4.750	10.400	10.110	21.445
14.	मिजोरम	3.15	10.500	2.00	45.500	118.05
15.	नागालैंड	10.00		10.00	8.00	23.25
16.	उड़ीसा	21.95	45.775	22.600	12.00	56.16
17.	पंजाब	2.48	9.140	12.200		
18.	राजस्थान		36.930	53.440	16.740	
19.	सिक्किम	50.383		5.854	26.00	29.60

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
20.	तमिलनाडु	3.40	4.120	18.100	31.960	6.30
21.	त्रिपुरा	7.50		44.40		20.00
22.	उत्तर प्रदेश	22.34	41.453	101.860	51.510	113.74
23.	पश्चिम बंगाल	48.485	66.525	44.390	48.873	153.00
24.	मेघालय					21.52
	कुल	381.056	484.145	634.499	729.208	1311.152

"लाभोन्मुखी आदिवासी विकास योजना" स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	कर्नाटक	22.08	25.00		68.500	64.65
2.	मध्य प्रदेश	77.92	45.00	350.00	201.080	200.00
3.	उड़ीसा		40.00			
4.	महाराष्ट्र					46.00
	कुल	100.00	110.00	350.00	269.580	310.65

[अनुवाद]

सार्वजनिक और निजी कोयला खानें

487. श्री रूपचन्द पाल : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी सार्वजनिक और निजी कोयला खानें कार्यरत हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दोनों ही तरह की खानों में कोयले का अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कोयला खानों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानें

राज्य	कोयला खानों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	70
असम	6
छत्तीसगढ़	56
झारखण्ड	169
जम्मू और कश्मीर	3
मध्य प्रदेश	77
महाराष्ट्र	50
उड़ीसा	22
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	98
मेघालय	1
जोड़	555

निजी क्षेत्र की कोयला खानें

राज्य	कोयला खानों की संख्या
मध्य प्रदेश	शून्य

राज्य	कोयला खानों की संख्या
छत्तीसगढ़	1
झारखण्ड	7
पश्चिम बंगाल	1
मेघालय	*
जोड़	*

* खानों की संख्या उपलब्ध नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दोनों खानों से राज्यवार उत्पादन अलग-अलग, इस प्रकार है :–

सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानें

(मिलियन टन में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
आन्ध्र प्रदेश	27.326	29.556	30.274
असम और मेघालय	0.637	0.572	0.660
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	22.128
बिहार	70.941	71.297	38.041
झारखण्ड	शून्य	शून्य	32.033
जम्मू और कश्मीर	0.010	0.028	0.033
मध्य प्रदेश	84.900	87.120	67.309
महाराष्ट्र	25.279	27.698	28.754
उड़ीसा	43.512	43.554	44.803
उत्तर प्रदेश	15.646	16.220	18.740
पश्चिम बंगाल	16.970	15.816	17.687
जोड़	285.221	291.861	300.462

निजी क्षेत्र की कोयला खानें

(मिलियन टन में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	0.037	0.781	शून्य
	शून्य	शून्य	1.416
बिहार/झारखण्ड	5.220	5.236	5.342
पश्चिम बंगाल	1.792	2.165	2.411
मेघालय	4.238	4.060	4.065
जोड़	11.287	12.242	13.234

डेयरी विकास कार्यक्रम

488. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अनन्त नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम" चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके अंतर्गत राज्यवार कितनी उपलब्धि हासिल हुई है;

(ग) क्या डेयरी विकास के माध्यम से रोजगार सृजन होने की भारी संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी उपलब्धि हासिल की गई;

(ङ) सरकार द्वारा देश में डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास कार्यक्रमों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन जुलाई, 1970 में शुरू हुआ था तथा अप्रैल, 1996 में समाप्त हुआ था। यह कार्यक्रम नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कवर नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि कार्यक्रम नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से पूर्व ही समाप्त हो गया था, अत: नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल उपलब्धियों का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार देश में डेयरी विकास के उन्नयन के लिए

निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :–

(1) गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

(2) सहकारिताओं को सहायता

(च) और (छ) प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित उक्त (1) तथा (2) में उल्लिखित योजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के तहत परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा परियोजना के अनुमोदित होते ही आबंटन किया जाता है।

एस.सी.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

489. श्री राजैया मल्याला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे बहुसंख्यक अनुसूचित जनजाति के उन भूमिहीन श्रमिकों के समग्र विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए उनके मंत्रालय के द्वारा एस.सी.पी. और टी.सी.पी. के अन्तर्गत तैयार की जा रही नई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कार्यक्रमों पर कितनी निधियाँ व्यय की जानी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) विभिन्न कृषि विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि उत्पादों का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि का दायित्व मूल रूप से कृषि एवं सहकारिता विभाग का है। स्कीमें उत्पादनोन्मुख और क्षेत्र विशिष्ट प्रकृति की हैं जिनसे अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों सहित सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ मिलता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, विशेषकर विशेष समुदायों पर केन्द्रित स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रतिपादन के अवसर कम हैं। बहरहाल, जहाँ भी संभव होता है, इस मामले में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/कार्यान्वयक अभिकरणों को स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रशासनिक अनुमोदनों में अनुसूचित जातियों और जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष घटक योजना के वास्ते आबंटन/निधियां मुहैया कराने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

वनाधिकारियों की हत्याएं

490. प्रो. दुखा भगत :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वनों में कई वनाधिकारियों विशेषकर निम्न स्तर के कर्मचारियों की हत्याएं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा और बाढ़ के कारण क्षति

491. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री जी. गंगा रेड्डी :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में जनवरी और फरवरी, 2002 में हुई वर्षा, बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई भारी क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राज्यों में आकलन करने हेतु एक दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि फरवरी, 2002 के प्रथम सप्ताह में तटवर्ती जिलों में गैर-मौसमी वर्षा के कारण आप्लावन

की वजह से धान की खड़ी फसलों, दलहनों और अन्य शुष्क फसलों को भारी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) किसी भी राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर आवश्यक राहत उपाय करने के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपदा राहत कोष से क्रमशः 196.91 करोड़ रु. तथा 80.83 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त कर दिया गया है। जमीनी स्तर पर राहत वितरित करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

[हिन्दी]

बिहार में गंगा की सफाई

492. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से होकर बहने वाली गंगा अत्यंत प्रदूषित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बिहार में गंगा की सफाई के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) जल गुणता मानीटरिंग रिपोर्टों के अनुसार गंगा नदी का बिहार में बहने वाला भाग प्रदूषित नहीं है। बिहार वाले हिस्से में प्रदूषण की सीमा को प्रदूषण पैरामीटरों अर्थात् घुलित ऑक्सीजन (डीओ) और जैव-रसायन ऑक्सीजन मांग (बी ओ डी) को अत्यन्त गर्मी के दौरान 1986 और 2001 में मापा गया था और ये इस प्रकार रहे :

क्र.सं.	स्थान	डीओ(एम जी/1)	बीओडी(एम जी/1)	डीओ(एम जी/1)	बीओडी(एम जी/1)
		1986		2001	
1.	बक्सर	7.7	1.8	7.4	2.2
2.	पटना	8.1	2.2	7.7	2.4
3.	राजमहल	7.8	1.8	7.7	1.5

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदी के इन दो पैरामीटरों के लिए निर्धारित अपेक्षित मानक बी ओ डी के लिए 3 एम जी/1 (अधिकतम) और डी ओ के लिए 5 एम जी/1 (न्यूनतम) निर्धारित किए गए हैं।

(ग) बड़े शहरों से नगरीय मलजल को नदी में गिरने से रोकने के लिए गंगा कार्य योजना बिहार में दो चरणों में शुरू की गई है। 1985 में शुरू हुए चरण-I में 135 मिलियन लीटर प्रतिदिन के लक्ष्य की तुलना में प्रतिदिन 118 मिलियन लीटर मलजल का निपटान किया गया। गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 39 मिलियन लीटर मलजल के निपटान का प्रस्ताव है। गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त होने की आशा गंगा कार्य योजना चरण-II के 2005 में पूरा हो जाने के बाद ही की जा सकती है।

लघु, सीमान्त और बड़े किसान

493. श्री नवल किशोर राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु, सीमान्त और बड़े किसानों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान में ऐसे राज्यवार कितने किसान हैं; और

(ग) कुल कृषि का कितना प्रतिशत लघु, सीमान्त और बड़े किसानों के पास है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हाँ। प्रचालनात्मक जोतों की संख्या और उनके द्वारा प्रचालित क्षेत्रों का अनुमान सरकार द्वारा की जाने वाली पंचवर्षीय कृषि संगणना के जरिए लगाया जाता है।

(ख) और (ग) कृषि संगणना से उपलब्ध अखिल भारतीय अद्यतन सूचना वर्ष 1990-91 से संबंधित है। प्रचालनात्मक जोतों की संख्या और मुख्य आकार-समूहों द्वारा प्रचालित प्रतिशत क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि संगणना 1990-91 के जरिए अनुमानित मुख्य आकार-समूहों में प्रचालनात्मक जोतों की संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य	सीमांत (1है.से कम)	छोटे (1.0-2.0 है.)	अर्ध-मध्यम (2.0 से 4.0 है.)	मध्यम (4-10 है.)	बड़े (10.0 है. और उससे ऊपर)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5211	1972	1345	644	118	9290
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	17	30	26	5	94
3.	असम	1521	560	343	95	5	2523
4.	बिहार	10193	1438	945	351	39	12966
5.	गोवा	58	7	4	2	1	72
6.	गुजरात	924	915	890	669	118	3517
7.	हरियाणा	622	304	336	222	46	1530
8.	हिमाचल प्रदेश	532	166	94	36	6	834
9.	जम्मू व कश्मीर	902	197	98	20	1	1217
10.	कर्नाटक	2262	1586	1163	636	129	5776
11.	केरल	5016	280	98	21	3	5418
12.	मध्य प्रदेश	3136	1917	1738	1287	323	8401
13.	महाराष्ट्र	3275	2728	2126	1171	171	9470
14.	मणिपुर	69	49	21	3	नगण्य	142
15.	मेघालय	59	51	46	13	1	171
16.	मिजोरम	29	23	9	1	नगण्य	61
17.	नागालैंड	13	21	26	47	33	142
18.	उड़ीसा	2118	1035	594	186	15	3948
19.	पंजाब	296	204	289	261	67	1117
20.	राजस्थान	1517	1019	1061	1017	493	5107
21.	सिक्किम	26	11	9	5	1	53
22.	तमिलनाडु	5848	1275	618	228	1	7999
23.	त्रिपुरा	217	69	28	4	नगण्य	318
24.	उत्तर प्रदेश	14819	3118	1543	548	45	20074
25.	पश्चिम बंगाल	4639	1107	457	79	1	6284

क्र.सं.	राज्य	सीमांत (1है.से कम)	छोटे (1.0-2.0 है.)	अर्ध-मध्यम (2.0 से 4.0 है.)	मध्यम (4-10 है.)	बड़े (10.0 है. और उससे ऊपर)	कुल
26.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	70	19	13	7	0	109
	अखिल भारतीय	63389	20092	13923	7580	1654	106637

विवरण-II

कृषि संगणना 1990-91 द्वारा अनुमानित प्रचालनात्मक जोतों के मुख्य आकार-समूहों द्वारा प्रचालित क्षेत्र

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	सीमांत (1है.से कम)	छोटे (1.0-2.0 है.)	अर्ध-मध्यम (2.0 से 4.0 है.)	मध्यम (4-10 है.)	बड़े (10.0 है. और उससे ऊपर)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	16.4	19.6	25.2	26.1	12.8	100.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.9	7.4	24.0	42.0	23.4	100.0
3.	असम	18.9	24.5	28.6	15.4	12.6	100.0
4.	बिहार	33.4	18.2	24.0	18.4	6.0	100.0
5.	गोवा	28.4	16.4	13.4	13.4	28.6	100.0
6.	गुजरात	4.8	13.0	24.4	38.9	18.9	100.0
7.	हरियाणा	7.9	12.5	25.4	35.0	19.1	100.0
8.	हिमाचल प्रदेश	21.3	23.3	25.5	20.3	9.6	100.0
9.	जम्मू व कश्मीर	34.2	26.8	26.0	10.7	2.3	100.0
10.	कर्नाटक	8.7	18.7	26.0	30.6	16.0	100.0
11.	केरल	48.2	21.3	14.2	6.3	9.9	100.0
12.	मध्य प्रदेश	6.4	12.6	21.9	35.1	24.0	100.0
13.	महाराष्ट्र	7.7	19.0	28.1	32.8	12.4	100.0
14.	मणिपुर	21.7	38.3	30.9	8.6	0.6	100.0
15.	मेघालय	10.6	22.5	38.7	23.5	4.3	100.0
16.	मिजोरम	21.4	42.9	29.8	4.8	नगण्य	100.0
17.	नागालैंड	1.0	3.3	8.4	32.8	61.2	100.0
18.	उड़ीसा	19.7	26.9	29.5	19.1	4.8	100.0
19.	पंजाब	4.1	8.1	20.9	40.2	26.7	100.0

क्र.सं.	राज्य	सीमांत (1है.से कम)	छोटे (1.0-2.0 है.)	अर्ध-मध्यम (2.0 से 4.0 है.)	मध्यम (4-10 है.)	बड़े (10.0 है. और उससे ऊपर)	कुल
20.	राजस्थान	3.5	7.0	14.4	30.2	44.9	100.0
21.	सिक्किम	9.9	17.1	24.3	27.9	19.8	100.0
22.	तमिलनाडु	28.3	24.0	22.6	17.4	7.7	100.0
23.	त्रिपुरा	28.2	34.4	25.0	5.8	6.5	100.0
24.	उत्तर प्रदेश	31.4	24.4	23.4	16.9	3.9	100.0
25.	पश्चिम बंगाल	36.5	30.0	22.4	7.5	3.6	100.0
26.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	17.9	24.3	27.1	12.9	100.0
	अखिल भारत	15.0	17.4	23.2	27.0	17.3	100.0

समेकित बाल विकास योजना में कर्मचारियों के लिए वेतन

494. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कामगारों और कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त वेतन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न कामगारों और कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्य घंटों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) के अनुसार, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में श्रमिकों को लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। एकीकृत बाल विकास योजना नामक परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मकारों तथा हैल्परों जैसे स्वैच्छिक कर्मकारों को छोड़कर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी हैं। नियमित कर्मचारियों को तत्संबंधी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। आंगनवाड़ी कर्मकारों तथा हैल्परों को संलग्न विवरण-I में दिए गए अनुसार मानदेय की अदायगी की जाती है।

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य दोनों ही सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी नियत, संशोधित तथा प्रवर्तित करने के लिए समुचित सरकार हैं। एकीकृत बाल विकास योजना स्कीम केन्द्रीय अथवा राज्य किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अनुसूचित नियोजन नहीं है।

(ङ) आंगनवाड़ी कर्मकार तथा हैल्पर एक दिन में 4-5 घंटे तक कार्य करते हैं। फिर भी, भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य घंटे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। नियमित कर्मचारी अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित कार्य घंटों के अध्ययीन होते हैं।

विवरण-I

आंगनवाड़ी कर्मकारों तथा हैल्परों की सुविधाएं तथा मानदेय

आंगनवाड़ी कर्मकारों द्वारा तथा हैल्परों का मानदेय

एकीकृत बाल विकास योजना स्कीम के प्रारम्भ में, आंगनवाड़ी कर्मकारों को 100/- रुपये प्रतिमाह (मैट्रिक से कम) तथा 150/- रुपये प्रतिमाह (मैट्रिक पास) की दर से मानदेय का भुगतान किया गया

था। हैल्परों का मानदेय 35/- रुपये प्रतिमाह नियत किया गया था। वर्षों से आंगनवाड़ी कर्मकारों तथा हैल्परों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दृष्टव्य है :-

योग्यता वर्ष	1975-76	1.4.78	1.7.86	2.10.92	16.5.97
मैट्रिक से कम	100/-	125/-	225/-	350/-	438/-
मैट्रिक	150/-	175/-	275/-	400/-	500/-
मैट्रिक से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित	--	--	250/-	375/-	469/-
मैट्रिक 5 वर्ष के अनुभव सहित	--	--	300/-	425/-	531/-
मैट्रिक से कम 10 वर्ष के अनुभव सहित	--	--	275/-	400/-	500/-
मैट्रिक 10 वर्ष के अनुभव सहित	--	--	325/-	450/-	563/-

विवरण II

आंगनवाड़ी कर्मकारों/आंगनवाड़ी हैल्परों के कार्य घंटों तथा अतिरिक्त मानदेय से संबंधित सूचना

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य घंटे	आंगनवाड़ी कर्मकारों को अतिरिक्त मानदेय	आंगनवाड़ी हैल्परों को अतिरिक्त मानदेय
1.	आन्ध्र प्रदेश	9 पूर्वा.-1अप.	शून्य	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	8 पूर्वा.-12 मध्याह्न	शून्य	शून्य
3.	असम	8 पूर्वा.-12.30 अप.	शून्य	शून्य
4.	बिहार	8 पूर्वा.-12.30 अप.	शून्य	शून्य
5.	गोवा	8 पूर्वा.-1 अप.+क्षेत्र	1000	400
6.	गुजरात	11 पूर्वा.-2 अप.+क्षेत्र	शून्य (विचाराधीन)	शून्य
7.	हरियाणा	8 पूर्वा.-2 अप.	200	100
8.	हिमाचल प्रदेश	10 पूर्वा.-2 अप.	200	100
9.	जम्मू और कश्मीर	10 पूर्वा.- 2 अप.+क्षेत्र	245-280	140
10.	कर्नाटक	9.30 पूर्वा.-1.30 अप.+क्षेत्र	250	75
11.	केरल	9.30 पूर्वा.-3.30 अप.+क्षेत्र	200	200
12.	मध्य प्रदेश	9 पूर्वा.-1 अप.	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	10 पूर्वा.-1 अप.+क्षेत्र	400	125
14.	मणिपुर	7 पूर्वा.- 12 मध्याह्न	शून्य	शून्य

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य घंटे	आंगनवाड़ी कर्मकारों को अतिरिक्त मानदेय	आंगनवाड़ी हैल्परों को अतिरिक्त मानदेय
15.	मेघालय	7 पूर्वा.-11 पूर्वा.+क्षेत्र	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	9 पूर्वा.-1 अप.	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	7 पूर्वा.-11 पूर्वा.	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	7 पूर्वा.-12 मध्याह्न+क्षेत्र	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	9 पूर्वा.-1 अप.+क्षेत्र	100	40
20.	राजस्थान	8 पूर्वा.-12 मध्याह्न	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	9 पूर्वा.-1 अप. +क्षेत्र	शून्य (विचाराधीन)	शून्य
22.	तमिलनाडु	8 पूर्वा.- 3 अप.	560	260
23.	त्रिपुरा	6.30 पूर्वा.-9.30 पूर्वा.	300	250
24.	उत्तर प्रदेश	9 पूर्वा.-1 अप.+क्षेत्र	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	8 पूर्वा.-3 अप.	200	200
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8 पूर्वा.-12 मध्याह्न	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	9.30 पूर्वा.-1.30 अप.	200	140
28.	दिल्ली	9 पूर्वा.- 1 अप.	शून्य (विचाराधीन)	शून्य
29.	दादरा एंड नगर हवेली	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य
30.	दमन एंड दीव	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	9 पूर्वा.- 3 अप.	500	200
32.	पांडिचेरी	9 पूर्वा.- 1 अप.	690	470

हैल्पर का मानदेय

हैल्पर	35/-	50/-	110/-	200/-	260/-

अतिरिक्त सुविधाएं

इस योजना के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कर्मकारों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :–

1. आंगनवाड़ी कर्मकारों को मासिक बैठकें अथवा अल्पावधि अभिविन्यास/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना के बजट से महँगाई भत्ते/यात्रा भत्ते की निम्नानुसार अदायगी की जाती है :–

(क) आवागमन हेतु/रेलगाड़ी का (द्वितीय श्रेणी) किराया;

(ख) राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार अवर श्रेणी लिपिक के लिए लागू दर पर दैनिक भत्ता।

2. आंगनवाड़ी कर्मकारों तथा हैल्परों को एक वर्ष में 20 दिन तक सवेतन आकस्मिक अवकाश की भी अनुमति है।

3. आंगनवाड़ी कर्मकारों तथा हैल्परों द्वारा दो बार प्रसूति अवकाश

लिया जा सकता है तथा गर्भपात/बच्चा गिरवाने (अबॉर्शन) के लिए 42 दिन की सवेतन छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

4. राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे योजना के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के न्यूनतम 25 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी कर्मकारों में से भरे जाने हेतु आरक्षित करें।

5. प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था की दरों को 19.5.2000 से संशोधित करके 30/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

6. संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षण पूरा करने पर आंगनवाड़ी कर्मकारों को प्रोत्साहन स्वरूप एक माह के मानदेय के बराबर धनराशि भी प्रदान की जाती है।

कपास उत्पादकों की समस्याएं

495. डा. संजय पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के कपास उत्पादकों की समस्याओं के निराकरण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या देश में कपास का उत्पादन तेजी से घट रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों में देश में कपास उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) बी.टी. कॉटन जैसे कपास के बीजों की प्रजाति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद इसी तरह के संकर बीजों को विकसित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कपास उत्पादन के क्षेत्र में अब भारत की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत सरकार देश में कपास प्रौद्योगिकी मिशन नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके जरिए देश के कपास उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, कपास के मूल्य में गिरावट की स्थिति में भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद की जाती है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास का उत्पादन वर्ष 1998-99 में 122.87 लाख गांठें, वर्ष 1999-2000 में 115.30 लाख गांठें और वर्ष 2000-01 में 96.52 लाख गांठें हुआ। इन वर्षों में कृमियों और रोगों की घटना तथा प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियों का होना उत्पादन में गिरावट के कारण थे।

(घ) कपास संकरों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तथा अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना जिसके देश में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कई केन्द्र हैं, के जरिए किया जा रहा है। इन केन्द्रों में जिनेटिक मेल स्टरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी प्रणालियों के आधार पर परम्परागत संकरों और संकरों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) कपास उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में तृतीय स्थान है।

[अनुवाद]

राजस्थान में किसानों की आर्थिक स्थिति

496. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में लम्बे समय से पड़े सूखे के कारण किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) बाड़मेर और जैसलमेर उन 31 जिलों में शामिल हैं जिन्हें राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000-01 के दौरान सूखा प्रभावित घोषित किया था। सूखा पड़ने पर उक्त राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 163.97 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की गई, जो आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के अतिरिक्त थी। किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने के बारे में राज्य सरकार से अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) सूखे सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक उपाय करने का दायित्व प्रथमत: संबंधित राज्य सरकार का है। 2000-01 में सूखा पड़ने पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था। वर्ष 2001-02 के दौरान सूखे की स्थिति के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर

497. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की वार्षिक विकास दर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) 2001 को समाप्त दशक के लिए 1.93 (अनंतिम) की जनसंख्या का औसत वार्षिक घातांक (एक्सपोनेनशिएल) विकास दर की तुलना में खाद्यान्नों की वार्षिक विकास दर 1.64% है।

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक विकास दर निम्नवत् है:–

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक विकास दर
1996-97	10.5%
1997-98	(-) 3.6%
1998-99	5.9%
1999-2000	3.0%
2000-2001	(-) 6.6%

(ग) सरकार ने कृषि क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से, पनधारा विकास कार्यक्रम संवर्धन, नई प्रौद्योगिकियों के विकास व संवर्धन पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के उपाय, भण्डारण/शीतागार क्षमता बढ़ाने हेतु ऋण संबद्ध राजसहायता स्कीम, पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन, मण्डी आसूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि नई पहलों की शुरूआत की है। इसके अलावा, सरकार, मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी देती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य व मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन, सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा खरीद और व्यापार के साधन के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। इनके अलावा, सरकार ने राज्यों को सहायता मुहैया कराने के लिए परम्परागत स्कीमपरक दृष्टिकोण के स्थान पर नवम्बर, 2000 से वृहत् प्रबंधन पद्धति भी अपनायी है। कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग व सहायता करने हेतु 27 स्कीमों को समेकित करके एक वृहत प्रबंधन स्कीम बना दिया गया है। इससे किसानों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर रहने से उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों की विषयवस्तु में अतिव्याप्ति से बचने और कृषि के समग्र विकास पर लक्ष्य निर्धारित करने में नम्यता मिलेगी।

आनुवांशिक सामग्री

498. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अन्य देशों के बीच आनुवांशिक सामग्री यथा बीज, पौधे और जनन द्रव्य इत्यादि का आदान-प्रदान मुक्त रूप से होता था;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी देश अब जैव-विविधता पर अपना अधिकार जता रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आनुवांशिक सामग्री का विभिन्न देशों के साथ आदान-प्रदान के संबंध में कतिपय नियम बना रही है; और

(घ) यदि, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में राज्यों को उनके जैव संसाधनों पर संप्रभुता अधिकारों की पुन: पुष्टि की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कानून के अध्यधीन परस्पर सहमत शर्तों और पूर्व सूचित सहमति पर अन्य पक्षकारों को इन संसाधनों की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) सरकार ने जैव विविधता संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों और संबंधित ज्ञान में बराबर की हिस्सेदारी के प्रमुख उद्देश्यों के साथ एक जैव विविधता कानून तैयार किया है।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्र

499. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सूखा प्रवण राज्य है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूखे के दौरान गंभीर संकट से

निपटने के लिए क्या ठोस उपाए किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भू-संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के द्वारा गुजरात में 14 जिलों के 67 प्रखंडों को कवर किया गया है। वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य सरकार ने राज्य के कुछ भागों में सूखे जैसी स्थिति की सूचना दी है। आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति के अलावा राज्य को 112.00 करोड़ रुपये की सहायता निर्मुक्त की गई। राज्य सरकार को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयासों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का निःशुल्क आबंटन, पेय जल और चारे का रेल द्वारा निःशुल्क परिवहन, पेय जल प्रयोजनों के लिए समन्वेषी कुओं को सौंपना और पेय जल आपूर्ति विभाग द्वारा क्रियान्वित स्कीमों के अधीन प्रतिमानों में छूट शामिल है। वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य सरकार ने सूखे जैसी किसी स्थिति की सूचना नहीं दी है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति

500. श्री नरेश पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति अपना कार्य कर रही है और इसे अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

उत्तर प्रदेश में बालू एवं पत्थर खनन

501. श्री रामशकल : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालू खनन और पत्थर खनन के लिए उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि की राजसहायता दी गई है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) बालू एवं पत्थर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुच्छेद 3 (ङ) के तहत परिभाषित गौण खनिज हैं। अधिनियम के अनुच्छेद 15 के तहत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई गौण खनिज रियायती नियमावली (एमएमसीआर) के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के विनियमन और खनिज रियायतें देने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए ऐसी सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

502. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने विभिन्न संगठनों और राज्य सरकारों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कई प्रभागों को स्वतंत्र व्यवसाय एककों में परिवर्तित किया है;

(ग) यदि हां, तो इन लाभ अर्जन करने वाले एककों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को इनसे कब तक क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न संगठनों तथा राज्य सरकारों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने निम्नलिखित 4 वर्तमान प्रभागों को स्वतंत्र लाभार्जक केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया है जो 1.4.2002 से अपने अलग लेखों का रख-रखाव करेंगे तथा इनकी लाभप्रदता बाजार की स्थिति पर निर्भर होगी–

1. अशोक रिजर्वेशन मार्केटिंग सर्विसेज
2. अशोक क्रीएटिव्स
3. अशोक कन्सलटेंसी एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज
4. अशोक मैनपावर डेवलपमेंट सेंटर

[हिन्दी]

हानिकारक कीटों से आम की फसल की सुरक्षा

503. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हानिकारक कीटों से आम की फसल को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या इसमें "गुजिया" नामक कीट के लगने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) आम की फसल को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। हालांकि, समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) कार्यक्रम के दायरे में पादप संरक्षण उपाय, जिसमें कल्चरल, यान्त्रिक, जीवविज्ञानीय तथा कीटानाशी दवाओं का आवश्यकता आधारित उपयोग शामिल हैं, का संवर्धन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) "गुजिया" नामक कीट के लगने की कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सहायता

504. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेषकर उड़ीसा राज्य में स्थित विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कर छूट एवं चालू पूंजी उपलब्धता के रूप में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों एवं सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : खाद्य प्रसंस्करण उद्याग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं और उड़ीसा समेत सभी राज्यों पर लागू होती हैं। दुर्गम क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के वास्ते सहायता की उच्चतम मात्रा उपलब्ध है। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को उपलब्ध अन्य प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना, अधिकतर क्षेत्र में शतप्रतिशत विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन तथा प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार राज्य कृषि नीति, 1996 और औद्योगिक नीति, 2001 के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन भी देती है।

[हिन्दी]

जल को समवर्ती सूची से हटाना

505. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जल को समवर्ती सूची से हटाकर उसे संविधान की संघ सूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे राज्यों और नागरिकों के प्राकृतिक संसाधनों संबंधी अधिकारों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं। जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंधन, जल भण्डारण संबंधी विषय जल विद्युत सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि-56 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सूची-II (राज्य सूची) प्रविष्टि 17 के अनुसार ऐसे विषय राज्य सरकारों से संबंध रखते हैं। तथापि, सूची-I की प्रविष्टि-56 के अनुसार, अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों के विनियमन और विकास, ऐसे विनियमन और विकास की सीमा का निर्धारण केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आता है जिसे जनहित में शीघ्र पूरा करने के लिए कानून बनाकर संसद द्वारा घोषणा की जाती है। संविधान में इनमें से किन्हीं प्रावधानों में परिवर्तन करने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फसलों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य

506. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को फसलों का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) आज तक कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा

दिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि उत्पाद के लिए सरकार की मूल्य नीति के उद्देश्यों में से एक का लक्ष्य उच्च निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उनके उत्पाद हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तथा भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. और तम्बाकू बोर्ड जैसे सार्वजनिक और सहकारी अभिकरणों और साथ ही राज्य सरकार द्वारा नामित अभिकरणों द्वारा खरीद कार्य करती है। हाल के वर्षों में मुख्य कृषि जिंसों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सूचित किया गया है, अगस्त, 1998 में इस स्कीम के प्रारम्भ से 31.12.2001 तक जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 2.07 करोड़ है। इस 2.07 करोड़ के आंकड़े में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी 55 लाख किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं, जिसके 30.9.2001 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2001-2002 के लिए किसानों को एक करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

रुपए प्रति क्विंटल

क्र. सं.	जिंस	किस्म	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	(#) 2000-01 के मुकाबले 2001-02 में वृद्धि
1.	धान	सामान्य	415	440	490	510	530	20 (3.9)
		श्रेणी 'क'	445	470	520	540	560	20 (3.7)
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा तथा रागी और मक्का)		360	390	415	445	485	40 (9.0)
3.	गेहूँ							
4.	जौं		510 x	550	580	610		
5.	चना		350	385	430	500		
6.	अरहर		815	895	1015	1100		
7.	मूंग		900	960	1105	1200	1320	120 (10.0)
8.	उड़द		900	960	1105	1200	1320	120 (10.0)
9.	मसूर (लेंटिल)		900	960	1105	1200	1320	120 (10.0)
10.	गन्ना@		--	--	--	1200		
11.	कपास	एफ-414/एच-777/जे 34	48.45	52.70	56.10	59.50	62.05	2.55 (4.3)
		एच-4	1330	1440	1575	1625	1675	50 (3.1)
12.	छिलके सहित मूंगफली		1530	1650	1775	1825	1875	50 (2.7)

क्र. सं.	जिंस	किस्म	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	(#) 2000-01 के मुकाबले 2001-02 में वृद्धि
13.	पटसन		980	1040	1155	1220	1340	120 (9.8)
14.	तोरिया/सरसों		570	650	750	785	810	25 (3.2)
15.	सूरजमुखी के बीज		940	1000	1100	1200		
16.	सोयाबीन	काला	1000	1060	1155	1170	1185	15 (1.3)
		पीला	670	705	755	775	795	20 (2.6)
17.	कुसुम		750	795	845	865	885	20 (2.3)
18.	तोरिया		910	990	1100	1200		
19.	तम्बाकू		905	965	1065	1165		
	(वीएफसी) काली मिट्टी / एफ 2 ग्रेड)		20.50	22.50	25.00	26.00	27.00	1 (3.8)
	(रु. प्रति कि.ग्रा.) (हल्की मिट्टी एल 2 ग्रेड)		23.50	25.50	.27.00	28.00	29.00	1 (3.6)
20.	नारियल	मिलिंग	2700	2900	3100	3250	3300	50 (1.5)
	(कलैंडर वर्ष)	बाल	2925	3125	3325	3500	3550	50 (1.4)
21.	तिल		950	1060	1205	1300	1400	100 (7.7)
22.	राम तिल		800	850	915	1025	1100	75 (7.3)

@ उस स्तर से ऊपर वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रिमियम के साथ 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा हुआ सांविधिक न्यूनतम मूल्य

x 01.04.98 से 30.06.98 तक देय 55.00 रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस सहित।

फसल वर्ष 2000-01 से मसूर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

मत्स्यन प्रशिक्षण एवं विस्तार इकाइयां

507. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से पूरे देश में संस्वीकृत मत्स्यन प्रशिक्षण एवं एकस्टेंशन यूनिटों की संख्या कितनी है, तथा विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि राज्यवार और वर्षवार कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में ऐसी इकाइयों की संस्वीकृति के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) "मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1998 से एकीकृत मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार इकाइयों की राज्यवार तथा वर्षवार कुल संख्या तथा योजना के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। कर्नाटक राज्य में स्थापना के लिए तीन मत्स्य कृषक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

"मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1998 से स्वीकृत मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार इकाइयों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये में
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	1	3.60	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	2.50	-	-	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश	-	-	1	8.00	-	-
4.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	1	8.00	-	-
5.	कर्नाटक	-	-	-	-	3	11.50
6.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	1	8.00
7.	मेघालय	1	2.50	-	-	-	-
8.	नागालैंड	-	-	1	8.00	1	8.00
9.	त्रिपुरा	-	-	1	8.00	-	-
10.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	1	7.72
11.	पश्चिम बंगाल	-	-	3	8.00	-	-
	कुल	2	5.00	8	43.60	6	35.22

[हिन्दी]

अभ्रक और बाक्साइट की खानें

508. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड में स्थार-वार गैर-सरकारी पार्टियों को अभ्रक और बाक्साइट की खानें पट्टे पर दिए जाने का ब्यौरा क्या है और उनका क्षेत्र कितने हेक्टेयर है; और

(ख) यह पट्टा कितनी अवधि के लिए दिया गया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनिज रियायतें दी जाती हैं। खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष यानी 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (दिसम्बर, 2001 तक) के दौरान, झारखंड राज्य में, किसी निजी पार्टी के पक्ष में अभ्रक या बाक्साइट खनिजों हेतु कोई नया खनन पट्टा मंजूर नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास हेतु यूनेस्को द्वारा धन दिया जाना

509. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान यूनेस्को द्वारा भारत में पर्यटन के विकास हेतु राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितना धन उपयोग किया गया है; और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा राज्य के जूनागढ़ के विकास हेतु प्राप्त किए गए कुल धन में से कितने धन का उपयोग किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) यूनेस्को, यू एन प्रणाली में एक तकनीकी समर्थन एजेंसी है तथा निधिकरण इकाई नहीं है।

(ग) यूनेस्को द्वारा गुजरात में जूनागढ़ के विकास के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। यूनेस्को द्वारा निधिकृत एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ को गुजरात में भूकम्प के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक सम्पत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन हेतु भेजा गया।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विमान सेवाएं

510. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी एयरलाइनें अपने विमान चला रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो के बीच इंडियन एयरलाइन्स विमान सेवा संचालित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सभी विमान सेवाएं कब तक आरम्भ हो जायेंगी;

(घ) क्या भोपाल तक संचालित होने वाली विमान सेवा को जबलपुर तक किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) वर्तमान में, इंडियन एयरलाइन्स, एलाइंस एयर और जेट एयरवेज निम्न विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश में वायु सेवाएं संचालित कर रही है :

इंडियन एयरलाइन्स :	
दिल्ली-ग्वालियर-दिल्ली	सप्ताह में 3 उड़ानें
एलाइंस एयर :	
दिल्ली-रायपुर-जबलपुर-दिल्ली	सप्ताह में 3 उड़ानें
दिल्ली-भोपाल-इंदौर-मुम्बई एवं वापसी	प्रतिदिन
दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी एवं वापसी	सप्ताह में 4 उड़ानें
जेट एयरवेज :	
मुम्बई-इंदौर-मुम्बई	दिन में दो बार
दिल्ली-इंदौर-दिल्ली	सप्ताह में 6 उड़ानें
मुम्बई-भोपाल-मुम्बई	प्रतिदिन
दिल्ली-वाराणसी-खजुराहो एवं वापसी	प्रतिदिन

(ख) और (ग) विमान क्षमता की प्रतिबद्धताओं के कारण इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इन मार्गों पर उड़ान प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) से (च) विमानों की कमी के कारण इस समय इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भोपाल से शुरू होने वाली उड़ान को जबलपुर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जेट एयरवेज और सहारा एयरवेज द्वारा भी इस मार्ग पर संचालन की कोई योजना नहीं है हालांकि एयरलाइनें मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के तहत अपने वाणिज्यिक निर्णयानुसार किसी मार्ग पर विमान सेवा के संचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

केरल में पर्यटन परियोजनाएं

511. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कुमारकोम पैकेज के अंतर्गत केन्द्र सरकार को कोई पर्यटन परियोजना प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। कुमारकोम एवं पेनवानाड कायल के विकास हेतु एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव 1.00 करोड़ रुपयों की लागत से अगस्त, 2000 में 8 परियोजनाओं वाले एक पैकेज के रूप में प्राप्त हुआ। योजना आयोग की परियोजना तैयारी सुविधा के

अधीन राज्य सरकार द्वारा अध्ययन के स्कोप, समय-सीमा तथा परामर्शी प्रभारों के संबंध में पर्यटन मंत्रालय से उपयुक्त परामर्श मांगने की अपेक्षा की शर्त पर राज्य सरकार को 1.00 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

मार्च, 2001 में योजना आयोग द्वारा 50.00 लाख रुपयों की राशि अवमुक्त की गई है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान कोवलम, मुन्नार तथा कुमारकोम के विशेष पर्यटक अंचलों हेतु मास्टर प्लानों की तैयारी हेतु 40.00 लाख रुपयों की एक परियोजना को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग ने कुमारकोम के विकास हेतु निम्नलिखित विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं :-

(i) मार्गस्थ सुविधाओं के लिए 20.82 लाख रुपए

(ii) पर्यटक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 6.50 लाख रुपए

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मजदूरों एवं प्रबन्धन के बीच विवाद संबंधी मामले

512. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न संयंत्रों एवं इकाइयों में मजदूरों और प्रबन्धन के बीच विवाद संबंधी लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) लंबित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 क(i) में उल्लिखित संगठन/प्रतिष्ठान शामिल हैं और जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है जहां तक के.स.औ. अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर का संबंध है, लम्बित मामलों की संख्या निम्नवत् है :-

(क) के.स.औ.अ.-सह-श्रम न्यायालय में लम्बित मामलों की कुल संख्या 409 (27.02.2002 तक)

(ख) अवांछित स्थगनों से बचते हुए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण

513. डा. बी.बी. रमैया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) जी, हां। खनिज क्षेत्र में उदारीकरणोत्तर परिदृश्य, जिसने खनिजों के गवेषण और विदोहन दोनों क्षेत्रों के लिए स्वदेशी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु इस क्षेत्र के द्वार खोल दिए हैं, को मद्देनजर रखते हुए यह अपेक्षित है कि जीएसआई के कार्यकरण की समीक्षा की जाए। अत: जीएसआई के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए सरकार एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

बाल श्रम

514. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री एम.के. सुब्बा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखण्ड में बाल श्रमिकों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कोई कार्य-योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) बाल श्रम पर प्रामाणिक सूचना दस वर्षीय जनगणना के दौरान एकत्र की जाती है। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 11.28 मिलियन थी। देश में कामकाजी बच्चों का राज्यवार विवरण संलग्न है। झारखंड एक नवगठित राज्य है एवं 2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम संबंधी आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं।

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों से बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में कोई कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) (ग) के दृष्टिगत, प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	1991
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,661,940
2.	असम	327,598
3.	बिहार	942,245
4.	गुजरात	523,585
5.	हरियाणा	109,691
6.	हिमाचल प्रदेश	56,438
7.	जम्मू और कश्मीर	**
8.	कर्नाटक	976,247
9.	केरल	34,800
10.	मध्य प्रदेश	1,352,563
11.	महाराष्ट्र	1,068,418
12.	मणिपुर	16,493
13.	मेघालय	34,633
14.	नागालैंड	16,476
15.	उड़ीसा	452,394
16.	पंजाब	142,868
17.	राजस्थान	774,199
18.	सिक्किम	5,598
19.	तमिलनाडु	578,889
20.	त्रिपुरा	16,478
21.	उत्तर प्रदेश	410,086
22.	पश्चिम बंगाल	711,691
23.	अण्डमान और निकोबार	1,265
24.	अरूणाचल प्रदेश	12,395
25.	चण्डीगढ़	1,870
26.	दादरा और नागर हवेली	4,416
27.	दिल्ली	27,351
28.	दमन और दीव	941
29.	गोवा	4,656
30.	लक्षद्वीप	34
31.	मिजोरम	16,411
32.	पांडिचेरी	2,680
कुल		11,285,349

** जनगणना नहीं करवाई जा सकी थी।

टिप्पणी : 1991 के आंकड़े 5-14 वर्ष की आयु के श्रमिकों से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों का विकास

515. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन स्थलों का विकास करने हेतु पश्चिम बंगाल से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों की पहचान करने संबंधी कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण तथा विकास मुख्यतया राज्य सरकारों

द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल को उनके प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1999-2000	6	194.01
2000-2001	20	412.98

गहन कपास विकास कार्यक्रम

516. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में गहन कपास विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कपास उत्पादन की दर्ज की गई मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में कपास उत्पादकों ने आत्म-हत्या कर ली है क्योंकि उनको उनकी कपास का वांछित मूल्य नहीं मिला था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कपास उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सहित 13 कपास उत्पादक राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी-मिशन-II के अधीन गहन कपास विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य में दर्ज किए गए कपास का उत्पादन इस प्रकार है :-

वर्ष	उत्पादन (170 कि.ग्रा. की '000' गांठें)
1998-99	1522.0
1999-2000	1595.0
2000-2001	!663.0

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कपास का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आने पर प्रत्येक वर्ष कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों में भारतीय कपास निगम के जरिए इसकी खरीद की गारंटी देती है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार अपनी एकाधिकार अधिप्राप्ति स्कीम के अधीन स्वयं कपास की खरीद करती है। चालू वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में कपास की 353587 गांठों की खरीद की है।

कावेरी नदी की जलग्रहण क्षमता

517. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कावेरी की वास्तविक जल ग्रहण क्षमता एवं तमिलनाडु एवं कर्नाटक में इसकी उपयोगिता के संबंध में विशेषज्ञों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के साथ-साथ तमिलनाडु एवं कर्नाटक की राज्य सरकारों ने नदी जल की बर्बादी को कम करने हेतु कोई नई परियोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कर्नाटक और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण जलाशयों के संबंध में कावेरी बेसिन में भंडारण स्थिति की समीक्षा करने के लिए कावेरी मानीटरिंग समिति द्वारा तैयार किए गए प्रोफार्मा से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कावेरी बेसिन राज्यों को टिप्पणियों के लिए उनको परिचालित कर दी गई है।

(ख) अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञ दल ने कहा है कि (i) मौजूदा प्रोफार्मा में सक्रिय/निष्क्रिय भंडारणों को क्रियाशील और रिक्त भंडारणों के द्वारा बदला जाए (ii) महत्वपूर्ण स्थानों पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण संयुक्त रूप से (अर्थात् केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा) किए जायें (iii) सभी जलाशयों के लिए संशोधित क्षेत्र क्षमता वाले घुमावों को तैयार किए जाने की जरूरत है और (iv) कर्नाटक और तमिलनाडु में सभी पांचों जलाशयों पर स्वचालित जल स्तर रिकार्डर संस्थापित किय जायें और संबंधित राज्यों द्वारा उचित रूप से उनका अनुरक्षण किया जाए।

(ग) और (घ) कावेरी जल के बंटवारे के बारे में यह विवाद अधिनिर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण में लंबित है। इस अधिकरण का अंतिम निर्णय प्राप्त होने के बाद, बेसिन राज्य अपने

आबंटित हिस्से में से नई परियोजनाओं की आयोजना करने की स्थिति में होंगे।

मूंगफली बीजों की खरीद में अनियमितताएं

518. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खरीफ मौसम के पहले आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम द्वारा खरीदे गए मूंगफली बीजों की गुणवत्ता की कथित अनियमितताओं की जांच करने वाले सतर्कता आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग द्वारा निगम के अधिकारियों को अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराया गया; और

(घ) यदि हां, तो दोषी ठहराए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार के सतर्कता एवं प्रवर्तन विभाग ने राज्य सरकार के कहने पर अनियमितताओं की जांच की तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह प्रेक्षण किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम द्वारा अनन्तपुर जिले में खरीदे गए कुछ मूंगफली बीज निम्न गुणवत्ता के थे। विभाग ने अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है।

(ग) जी, हाँ। मूँगफली बीज की खरीद तथा आपूर्ति में अनियमितताओं के लिए निगम के 10 अधिकारी तथा कर्मचारी जिम्मेवार पाए गए हैं।

(घ) निगम ने उक्त रिपोर्ट में नामित 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित करके कार्रवाई की है।

असम में बाढ़-नियंत्रण

519. श्री एम.के. सुब्बा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में बाढ़ नियंत्रण हेतु आबंटित और संस्वीकृत धनराशि कितनी है और राज्य हेतु स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना व्यय हुआ है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया कराई जाती है।

असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय योजना के तहत असम को 78.8962 करोड़ रुपये का आबंटन अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित स्कीमों की स्थिति, क्रियान्वयन की प्रगति और इस पर किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है :

(i) अनुमोदित स्कीमों की कुल संख्या (संख्या)	153
(ii) वास्तविक रूप से पूर्ण स्कीमें (संख्या)	53
(iii) स्कीमें जो पूर्ण होने की उन्नत चरण में हैं (संख्या)	62
(iv) चल रही स्कीमें (संख्या)	38
(v) किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)	78.8962

तिरूवनन्तपुरम से उड़ानें

520. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने माह जनवरी, 2002 से तिरूवनन्तपुरम और शारजाह को जोड़ने तथा तिरूवनन्तपुरम एवं बंगलौर, बंगाल एवं कोच्चि के बीच टर्मिनेटर उड़ानें संचालित करने तथा बंगलौर से दिल्ली और हैदराबाद एवं शारजाह के बीच बारंबारता में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) आवश्यक ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

तिरूवनन्तपुरम और शारजाह के बीच सम्पर्क संबंध

12 जनवरी, 2002 से हैदराबाद-त्रिचि-तिरूवनंतपुरम-शारजाह

सैक्टर पर सप्ताह में दो बार ए-320 की वायु सेवा शुरू की गई है।

तिरूवनन्तपुरम, बंगलौर तथा कोच्चि के मध्य टर्मिनेटर उड़ान

10 जनवरी, 2002 से बंगलौर-तिरूवनन्तपुरम-बंगलौर तथा बंगलौर-कोच्चि-बंगलौर सेक्टर पर दैनिक आधार पर ए-320 वायु सेवा शुरू की गई है।

बंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद तथा शारजाह के बीच उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि

हैदराबाद-बंगलौर-शारजाह : 10 जनवरी, 2002 से सप्ताह में दो बार से सप्ताह में तीन बार तक ए-320 वायु सेवा।

हैदराबाद-अहमदाबाद-शारजाह :
10 जनवरी, 2002 से सप्ताह में दो बार से सप्ताह में चार बार तक ए-320 वायु सेवा।

*हैदराबाद-दुबई** ए-320 विमान द्वारा सप्ताह में 3 बार से सप्ताह में पांच बार तक (10 जनवरी, 2002 से) तथा सप्ताह में पांच बार से रोजाना (16 फरवरी, 2002 से) वायु सेवा।

*जयपुर-दिल्ली-दुबई** 12 फरवरी, 2002 से ए-320 की रोजाना वायु सेवा।

* दुबई शारजाह के नजदीक है।

पशुधन की संख्या एवं चारे की उपलब्धता

521. श्री सुबोध राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पशुधन की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) चारे की प्रति पशु उपलब्धता कितनी है; और

(ग) चारे के साथ पशुधन की वृद्धि दर कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1997 की 16वीं पशु संगणना के आधार पर राज्य-वार पशुधन संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1997 के दौरान चारे की प्रति पशु उपलब्धता लगभग 1.8 टन प्रति वर्ष थी।

(ग) पशुधन की संख्या 1992 की तुलना में 1997 में 33% अधिक थी जबकि इसी अवधि के दौरान चारे के उत्पादन में 4.8% वृद्धि हुई।

विवरण

राज्य-वार पशुधन संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुधन 1997
	आंध्र प्रदेश	37331
	अरूणाचल प्रदेश	1188
	असम	13753
	बिहार	38389#
	गुजरात	20969
	गोवा	325
	हरियाणा	11062
	हिमाचल प्रदेश	5013
	जम्मू और कश्मीर	9609
	कर्नाटक	30688
	केरल	6964
	मध्य प्रदेश	48918
	महाराष्ट्र	39638
	मणिपुर	1199
	मेघालय	607
	मिजोरम	256
	नागालैंड	1299
	उड़ीसा	24263
	पंजाब	9857
	राजस्थान	56348
	सिक्किम	294
	तमिलनाडु	25939
	त्रिपुरा	2251
	उत्तर प्रदेश	66327
	पश्चिम बंगाल	36711#

संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार	218
चंडीगढ़	44
दादर और नगर हवेली	43#
दिल्ली	393
लक्षद्वीप	29
पांडिचेरी	135
दमन और दीव	12
अखिल भारत	
491121	

पी- अनंतिम

#- अनुमानित

आस्ट्रियन एयरलाइन्स को भारत से उड़ान संचालित करने की अनुमति

522. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रियन एयरलाइन्स ने दिल्ली-वियना मार्ग के अतिरिक्त चेन्नई, मुम्बई एवं हैदराबाद से वियना तक अपनी उड़ानें भरने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन क्षेत्रों से संचालित की जाने वाली सेवा की बारंबारता कितनी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जून, 2001 में ऑस्ट्रिया के साथ हुई द्विपक्षीय विमान सेवा विचार-विमर्श के अंतिम दौर में, हैदराबाद को ऑस्ट्रिया के यात्रियों के लिए अवतरण स्थल बनाने की पेशकश की गई। तथापि, उन्होंने हैदराबाद के लिए उत्सकुता जताने की बजाए अपनी नामित विमान कंपनी के लिए मुंबई को अवतरण-स्थल बनाने का अनुरोध किया। भारतीय पक्ष को यह स्वीकार्य नहीं था।

फर्श में प्रयुक्त होने वाले चूना पत्थर की खानों का आबंटन

523. श्री ए. नरेन्द्र : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर फर्श में प्रयुक्त होने वाले चूना पत्थर की खानों का आबंटन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) कामगारों की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी अल्प मजदूरी में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत् फर्श में प्रयुक्त होने वाला चूनापत्थर एक गौण खनिज है और इसलिए इस गौण खनिज हेतु खनन पट्टा प्रदान करने में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। फर्श में प्रयुक्त होने वाले चूनापत्थर जैसे गौण खनिजों की खनिज रियायतों इत्यादि का विनियमन पूर्णत: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है और इसलिए केन्द्र सरकार ऐसी सूचना नहीं रखती है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश गौण खनिज रियायत नियमावली, 1966 के उपबंधों के अनुसार फर्श में प्रयुक्त होने वाले चूनापत्थर के लिए 1254 खदान पट्टे प्रदान किए गए हैं।

(ख) से (घ) अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के सांविधिक उपबंधों के तहत् निर्धारित, संशोधित और लागू की जाती है। हाल ही में, श्रम मंत्रालय ने दिनांक 3 जनवरी, 2002 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. सं. 9 (ई) के मार्फत विभिन्न खानों में कार्यरत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी संशोधित की है और इसके अनुसार भूमि के ऊपर 52/-रु. से 93/- रु. प्रतिदिन और भूमि के नीचे 63/-रु. से 111/-रु. प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित की गई है।

जूट मिलों के कामगारों द्वारा हड़ताल

524. श्री अनन्त नायक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2002 में देश के प्रमुख जूट मिलों के कामगार हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने तथा चूककर्ता जूट मिल स्वामियों से भविष्य निधि, ई एस आई इत्यादि जैसी बकाया की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, हां। हड़ताल के मुख्य कारण बोनस की अदायगी न किया जाना, ग्रेड तथा स्केल का पुनरीक्षण, चालू दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान, मजदूरी में एकरूपता तथा सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान न किया जाना थे।

(ग) जूट मिल कर्मकारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार, भारतीय जूट मिल संघ तथा श्रमिक संघों के बीच त्रिपक्षीय करार हुआ है।

भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा जैसे बकाया देयों के संबंध में, चूककर्ता जूट मिल मालिकों से देयों की वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं तथा कुछ मामलों में अभियोजन मामले भी प्रारम्भ किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में घरेलू एवं विदेशी निवेश

525. श्री महबूब जहेदी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के ढांचे को विकसित कर इसमें सुधार करने के उद्देश्य से घरेलू एवं विदेशी निवेश में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं सुधार, इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना, शतप्रतिशत विदेशी निवेश तक स्वतः अनुमोदन, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना और मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

राजस्थान को सूखा राहत/वित्तीय सहायता

526. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक राजस्थान सरकार को सूखा राहत उपायों के लिए राज्य आपदा कोष, राष्ट्रीय आपदा कोष एवं अन्य विशिष्ट राहत कोषों से कितनी निधि शीर्षवार उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में रोजगार के अवसर, पेय जल और चारा उपलब्ध कराने जैसे किए गए अन्य राहत उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक राजस्थान के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के केन्द्रीय अंश तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर.)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से जारी की गई सहायता का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

निर्मुक्त सहायता

वर्ष	सी.आर.एफ. का केन्द्रीय अंश	एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ.
1998-99	148.92	21.98 (एन.एफ.सी.आर.)
1999-2000	155.25	102.93 (एन.एफ.सी.आर.)
2000-2001	19 6.00	85.00 (एन.सी.सी.एफ.)

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000-01 के सूखे के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से 78.97 करोड़ रुपये की और सहायता निर्मुक्त की गई थी।

(ख) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहायता के लिए उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं- काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत खाद्यान्नों का आबंटन, रेलवे द्वारा पेय जल तथा चारे की निःशुल्क ढुलाई, पेय जल के उद्देश्य हेतु अन्वेषणात्मक कुओं की सुपुर्दगी तथा पेय जल आपूर्ति विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के तहत शर्तों में छूट देना।

यूरिया उर्वरक का उपयोग

527. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने प्रतिशत यूरिया उर्वरक का उपयोग हो रहा है;

(ख) क्या सरकार इस उर्वरक के उपयोग में कमी लाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके उपयोग को कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 2000-01 के दौरान, देश में कुल यूरिया की खपत का 4.92% राजस्थान में होने का हिसाब लगाया गया है।

(ख) से (घ) सरकार यूरिया के उपयोग में कमी लाने पर विचार नहीं करती है। तथापि, सरकार मृदा जाँच के आधार पर पोषक तत्वों (एन.पी. एवं के.) के संतुलित इस्तेमाल की सिफारिश करती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया का कार्यनिष्पादन

528. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एयर इंडिया के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने पर अधिक बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि रही; और

(ग) वर्ष 2002-2003 में एयर इंडिया के कार्यनिष्पादन को और बेहतर बनाने हेतु यदि कुछ योजनायें बनायी गई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) 2001-2002 के दौरान उपलब्धियां हैं : (i) 49 स्टेशनों की पहचान बन्द किये जाने/स्टाफ संख्या घटाने के लिए की गयी है और छटनी के लिए 142 स्थानीय स्टाफ की पहचान की गयी है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 21 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी; (2) वितरण लागत को न्यूनतम करना जिसे एजेंसी कमीशन 9 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह जायेगा; (3) प्रचालनात्मक क्षेत्र में कुशल/अकुशल श्रेणियों के कर्मचारियों को पुन: लगाना जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी; (4) संघीय विमान प्रशासन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर इंडिया के इंजिन ओवरहॉल विभाग को एफ ए आर-145, नागर विमानन प्राधिकरण ने इसे जे ए आर-145 रिपेयर स्टेशन के रूप में जबकि भारतीय मानक ब्यूरो ने इसे आई एस ओ-9002 के रूप में प्रमाणित किया है; (5) चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान एयर इंडिया के बजटीय लाभ 21.50 करोड़ रुपये जिससे यह दिखाई देता है कि पिछले वर्ष हुई 44.40 करोड़ रुपए की हानि की तुलना में सुधार हुआ है और ऐसा 11 सितम्बर को अमरीका पर हुई आतंकवादी हमले और इसके बाद में प्रभावों के बाद नागर विमानन पर विश्व-व्यापी मंदी और खराब प्रभाव के कारण भी ऐसा हुआ।

(ग) 2002-2003 में एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं : (1) पांच ए 310 विमान को ड्राईलीज पर लेना; (2) भविष्य की संवृद्धि योजना के मूल्यांकन और एक विभागीय समिति द्वारा विमान के अधिग्रहण के लिए एक दीर्घावधि रणनीति; (3) कोर नेटवर्क में सहायता के लिए विभिन्न विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयर प्रबन्ध; (4) 4 अप्रैल, 2002 से गुवाहाटी के लिए एफ नये ऑन-लाइन स्टेशन आरंभ करना; (5) इसकी वेब-साइट पर ऑन-लाइन बुकिंग सुविधा आरंभ करना; (6) स्वचालित आरक्षण प्रबन्ध प्रणाली आरंभ करना; (7) एयर इंडिया के माध्यम से प्रचालन कर रही विदेशी विमान कम्पनियों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; (8) एक चरणबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण जिससे यात्रियों को बेहतर ढंग से सेवा प्रदान करने की दृष्टि से सेवा स्तर में सुधार लाया जा सके।

[हिन्दी]

घरोहर स्थल

529. श्री मोहन रावले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धरोहर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, सरकार की हैरिटेज स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों के रूप में घोषित करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि

530. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को योजना के लिए 2514.17 करोड़ रु. (संशोधित आकलन 1997-2001 तथा बजट आकलन 2001-2002) की राशि तथा गैर-योजना के लिए 3018.90 करोड़ रु. की राशि (कुल संशोधित आकलन वर्ष 1997-2002) वास्तविक रूप से आबंटित की गई है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने जा रही है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान योजना शीर्ष के अन्तर्गत उपयोग की गई राशि का विवरण तथा वर्ष 2001-2002 का संशोधित आकलन 2494.04 करोड़ रु. था और गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 4 वर्षों के दौरान व्यय तथा वर्ष 2001-2002 का संशोधित आकलन 2904.18 करोड़ रु. था।

पर्यटन प्रोत्साहन योजना

531. श्री सईदुज्जमा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया, थाइलैंड और कुछ अन्य देशों की तर्ज पर देश में नयी सोच के साथ आकर्षक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे नवीकरण को प्रोत्साहन देने और इस महत्वपूर्ण कार्य में कुछ स्वायत्तता और कार्यस्थिति देने का है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में अवस्थित एवं ब्राडिंग करने के उद्देश्य से, नए विचार आकर्षित करने के उद्देश्य से एक लोगो प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। ऐसे कदमों से भारतीय पर्यटन उत्पादों का प्रतिस्पर्धात्मक बाजार प्रोत्साहित होगा, जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारतीय सभ्यता से लिए गए अर्थपूर्ण अनुभवों की विविधता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अद्यतन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग

532. श्री बीर सिंह महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश और विदेशों के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अद्यतन प्रौद्योगिकियों को पश्चिमी बंगाल के किसानों को प्रभावी हस्तांतरण के लिये कोई कदम उठाये हैं ताकि वह उत्पादन बढ़ा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से अन्य उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में उठाए गए कदम इस प्रकार से हैं :-

पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न स्तरों पर विस्तार सेवाओं को पुनः संगठित किया है। यह पुनर्गठन ग्राम स्तर पर 'कृषि प्रयुक्ति सहायक', ब्लाक स्तर पर कृषि विकास अधिकारी, उपमंडल स्तर पर उप मंडलीय कृषि अधिकारी और विषय विशेषज्ञ जिला मुख्यालय स्तर पर सस्य विज्ञानी तथा प्रधान कृषि अधिकारी और रेंज (क्षेत्र) स्तर पर संयुक्त निदेशक की सेवाएं उपलब्ध कराकर किया गया है।

राज्य में प्रशिक्षण तथा दौरा कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यतन विकसित प्रौद्योगिकियों, किसानों को पेश आने वाली फील्ड संबंधी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में मासिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए विस्तार विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। किसानों के खेतों पर मिनीकिट प्रदर्शन और बहुस्थानिक परीक्षण करने के अलावा, वैद्युत तथा 'प्रिंट-मीडिया' सहित विभिन्न प्रकार की विस्तार गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए एक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ करने सहित 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र भी स्वीकृत किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले एक वर्ष के दौरान 1.776 लाख किसानों को प्रशिक्षण देने के अलावा, 14427 किसानों की प्रतिभागिता वाले 13 किसान मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाए गए अन्य उपायों में अधिक उत्पादन देने वाली संकर किस्मों को अपनाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बंजर भूमि को कृषि कार्यों में प्रयुक्त करना, जल संभर तरीकों को अपनाना, गांवों में अधिक विद्युत आपूर्ति का प्रावधान, कृषि

उपकरणों का प्रयोग, गुणवत्ता बीजों का उत्पादन और आपूर्ति, आर्गेनिक खाद/जैव उर्वरक का प्रयोग, बेहतर ऋण सुविधाएं और समन्वित नाशीजीव प्रबंधन को अपनाना सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

डल झील के लिये विकास निधि का दुरुपयोग

533. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डल झील के समेकित विकास के लिये आवंटित करोड़ों रुपये की धनराशि के दुरुपयोग होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) डल झील के एकीकृत विकास के लिए आबंटित राशियों के दुरुपयोग की सूचना की जाँच राज्य सतर्कता संगठन द्वारा की गई है और जम्मू और कश्मीर झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण के 17 अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में बेरोजगार पुरुष और महिलायें

534. श्री राजो सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुरुष और महिलाओं को रोजगार दिया गया है;

(ख) उनमें से कितने लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में बेरोजगार पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1999 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार बिहार के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की श्रेणी-वार संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों तथा वर्ष 1997, 1998 एवं 1999 के दौरान नियोजित रोजगार चाहने वालों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	नियोजन (हजार में)					
	कुल	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.जा.
1997	6.9	6.8	0.1	0.5	2.8	उ.न.
1998	13.0	12.8	0.3	0.5	1.5	0.4
1999	11.8	11.7	0.1	0.9	3.1	1.2
	31.12.1999 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (लाख में)					
1999	31.8	29.1	2.7	3.8	2.3	6.7

*उ.न. सूचना उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

कोयले का आयात

535. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की अनुपलब्धता के कारण कुछ विशेष उद्योगों के लिए इसका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के कोयले को उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) आयातित और घरेलू दोनों तरह के कोयले का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कितना है;

(ङ) क्या घरेलू कोयले की तुलना में आयातित कोयले की कीमत कम है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सभी किस्म के कोयले तथा कोक ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत आयात के लिए खुले हैं और कोयले के उपभोक्ता कोयले की अपनी आवश्यकताओं का सीधा आयात कर रहे हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार इस्पात, विद्युत तथा सीमेंट संयंत्र पर्याप्त मात्रा में देशी या लागत के अनुसार कोयले की आवश्यक गुणवत्ता की अपर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कोयले का आयात करने वाले प्रमुख उद्योग हैं।

(ग) भारतीय कोयला अपने ड्रिफ्ट ओरीजिन के कारण कोयला उच्च राख वाला है। कम राख वाला कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले के भंडार सीमित हैं। भारतीय कोयले की बहुत कठिन धुलाई विशेषतायें भी हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2001 के दौरान एशियाई बाजार से आयातित कोयले का सी.आई.एफ. मूल्य 37.63 अमरीकी डालर प्रतिटन है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) तथा महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) द्वारा उत्पादित किए गए विभिन्न ग्रेडों के कोयले के वर्तमान मूल्य नीचे दिए गए हैं। कोल इंडिया लि. की अन्य सहायक कम्पनियों के कोयले के मूल्य इन रेंजों में आते हैं।

रन-आफ-माइन मूल्य रेन्ज (नॉन लाँग फ्लेम) कोयला (आधार मूल्य रुपये प्रति टन में)

	उच्च (ई.सी.एल.)	निम्न (एम.सी.एल.)
ए	1,382	912
बी	1,222	819
सी	1,006	674
डी	794	566
ई	630	445
एफ	502	351
जी	358	250

(ङ) से (छ) बन्दरगाहों पर आयातित कोयला स्वत: प्रतिटन आधार पर भारतीय कोयले के पिट-हेड मूल्य की अपेक्षा महंगा होता है। तथापि, काफी दूरी से परिवहन द्वारा आपूर्ति किया गया भारतीय कोयले का मूल्य मुख्य रूप से निम्न कारकों के कारण इक्वेटेड ऊर्जा आधार पर आयातित कोयले की अपेक्षा उच्च होता है।

(i) भारतीय कोयला, आयातित कोयले की तुलना में स्वाभाविक रूप से निम्न ग्रास के कैलोरीफिक मूल्य (जी.सी.वी.) का होता है।

(ii) कोलफील्डों के भारत के मध्य/पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण भारतीय कोयला को उपभोक्ता के पास तक पहुंचाने के लिए काफी दूर से परिवहन करने की आवश्यकता होती है और परिवहन लागत स्वत: ही बढ़ जाती है।

(iii) भारतीय कोयला पर रॉयल्टी तथा बिक्री कर भी लगता है जो आयातित कोयले पर उसी मात्रा में नहीं लगाया जाता है।

अनुकंपा के आधार पर नौकरियां

536. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यालयवार सेवा के दौरान जिन अधिकारियों का निधन हुआ, उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन पदों पर थे;

(ख) उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त नौकरियां दे दी गई हैं;

(ग) उन लोगों के नाम क्या हैं, जिनके आश्रितों को अब तक अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं दी गई हैं; और

(घ) दिवंगत अधिकारियों के ऐसे सभी पात्र आश्रितों को कब तक अनुकंपा के आधार पर नौकरियां दे दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके इन्हें संबंधित विभागों एवं सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में विभागाध्यक्ष को सौंपा गया है। ऐसी नियुक्तियां समूह 'ग' एवं 'घ' की सीधी भर्ती के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक की जा सकती हैं। सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम एवं उनके पात्र आश्रितों के नाम, जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां दी गईं अथवा नहीं दी जा सकीं, से संबंधित जानकारी कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों से एकत्र की जा रही है।

कोयला क्षेत्र में हड़ताल

537. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र में कोई श्रमिक हड़ताल हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कोयला खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विरोध प्रदर्शन और हड़तालों के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ङ) क्या विवाद के प्रमुख मुद्दों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की कोयला खानों में हड़तालों/बन्धों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

कंपनी का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (फरवरी, 02 तक)
ईस्टर्न कोलफील्डस लि.	07	08	01
भारत कोकिंग कोल लि.	05	04	06
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	06	03	02
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	03	06	03
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	13	06	03
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	03	04	01
महानदी कोलफील्ड्स लि.	01	02	02
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	00	00	01
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	01	03	01
जोड़	39	36	19

(ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोयला उद्योग में काम कर रहे केन्द्रीय श्रम संगठनों ने कोयला खानों के निजीकरण तथा प्रस्तावित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 के विरोध में हड़ताल की जिसमें आयातित कोयले पर 1989-90 के स्तर के सीमा शुल्क को बहाल करने, कोयला उद्योग को पूर्ण स्वायत्तता के साथ एकल एकीकृत कंपनी के रूप में पुनर्गठन करने की मांग की गई तथा वेतन संशोधन करने, भत्ते और वेतन संशोधन के बकाया के भुगतान करने जैसी मांगों पर जोर दिया गया।

(घ) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-6 को अंतिम रूप दिया गया और क्रियान्वित किया गया है। वेतन के बकाया का आंशिक भुगतान कर दिया गया है और शेष राशि के भुगतान के लिए चर्चा जारी है। दूसरे सभी नति के मामलों में मंत्रियों के दल सहित केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ अलग-अलग स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लि. में विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा प्रबंधन के संयुक्त द्विपक्षीय फोरम कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी मामलों पर इस फोरम में चर्चा की जाती है।

विदेशों में भारतीय संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देना

538. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लाभार्थ विदेशों में भारतीय संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशियों और अनिवासी भारतीयों के लाभार्थ भारतीय संस्कृति तथा विदेशी दाय का संवर्धन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) के माध्यम से किया जाता है।

आई सी सी आर का मुख्य उद्देश्य, विदेशों में भारत की समासिक सांस्कृतिक दाय की अधिकाधिक जागरूकता बढ़ाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, परिषद ने विदेशों में 14 सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं। ऐसे अनेक केन्द्र उन देशों में खोले गए हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों की काफी जनसंख्या है जैसे त्रिनिदाद एण्ड टोबेगे, मारिशस, गुयाना, सुरीनाम, यू.के., श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका तथा इससे पूर्व फिजी में। इन केन्द्रों के कार्यकलापों में भारतीय संगीत/नृत्य/भारतीय भाषाओं/योग आदि में प्रशिक्षण शामिल है। यह परिषद, भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ाने के अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वभर में सांस्कृतिक कार्यकलाप करती है। अनिवासी भारतीय भी ऐसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लाभान्वित होते हैं। परिषद की विभिन्न अध्येतावृत्ति स्कीमों के तहत, भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में भारतीय कलाओं तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए भारतीय मूल के अनेक लोगों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है।

यह परिषद विदेशों में भारतीय अध्ययन पीठें बनाए हुए है और इसने हंगरी, मारिशस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, पोलैण्ड, त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो, तुर्की, रोमानिया, थाइलैण्ड, फ्रांस, कर्जिगिस्तान, सूरीनाम तथा उजबेकिस्तान में हिन्दी, संस्कृत, तमिल, आधुनिक भारतीय इतिहास तथा भारतीय सभ्यता सिखाने के लिए प्रोफेसर नियुक्त किए हैं।

विदेश मंत्रालय ने भी विदेशों में भारतीय लोगों के लाभार्थ भारतीय संस्कृति तथा दाय के संवर्धन पर सिफारिश करने के लिए भारतीय लोगों के बारे में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। उक्त उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संगत भाग को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

ओंगोल पशुओं का निर्यात

539. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश से ओंगोल पशुओं के निर्यात के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्राजील से एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अंगोले नस्ल के जर्मप्लाज्म के निर्यात की संभावनाओं पर विचार करने के लिए 2000 में ब्राजील के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। हाल में ब्राजील के एक और प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील को बोवाइन इम्ब्रायों के निर्यात के लिए स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारतीय पशुचिकित्सा सेवाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भारत का दौरा किया है।

आई.सी.वी.आर. में ए.डी.जी. हेतु लंबित प्रस्ताव

540. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.वी.आर. की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक समय से प्रस्ताव के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) आई.सी.वी.आर. के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना के प्रस्ताव की विभाग में जांच की गई है। यह फैसला किया गया है कि इस अवस्था में भारतीय पशुचिकित्सा और मात्स्यिकी अनुसंधान परिषद की स्थापना की जाए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को धनराशि का आबंटन

541. श्री सुबोध मोहिते : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान स्मारकों के रख-रखाव और नये स्थलों को संरक्षण देने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उपलब्ध कराई गई निधियां इसके विविध कार्यकलापों एवं दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं।

पिछले तीन वर्षों में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निधियों का नियतन निम्न प्रकार है :

1998-99	8963.33 लाख रु.
1999-2000	10321.77 लाख रु.
2000-2001	11649.31 लाख रु.

(ग) यूनेस्को, राज्य सरकारों एवं इनके स्वशासी निकायों जैसी विभिन्न एजेंसियों ने विशिष्ट स्मारकों के विकास के लिए निधियां दी हैं। इस कार्य के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से कार्पोरेट सेक्टर से भी निधियां प्राप्त हुई हैं। किन्तु ये निधियां पर्याप्त नहीं हैं।

शमशाबाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

542. श्री के. येरननायडू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के समीप शमशाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु बनाई गई कार्यविधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय अनुदान राशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार परियोजना की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहायता से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार हैदराबाद के पास स्थित प्रस्तावित शमशाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी की 26 प्रतिशत संयुक्त भागीदारी होगी तथा बाकी 74 प्रतिशत संयुक्त उद्यम के पास होगा। संघ सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता परिकल्पित नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम का 74 प्रतिशत शेयर रखने के लिए वैश्विक बोली प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स जी एम आर/एम ए एच जी नामक कंसोर्टियम को अधिमान्य बोलीकर्त्ता चुना है। नामित दल द्वारा अधिमान्य बोलीकर्त्ता के परियोजना प्रस्ताव की वृहत् संवीक्षा की जा रही है ताकि राज्य सरकार से प्राप्त सहायता राशि से अनुकूल/बिल्कुल ठीक परियोजना लागत प्राप्त की जा सके। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधिवत् प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् राज्य संवर्धक द्वारा संयुक्त उच्च भागीदार को निर्णय पत्र भेजा जाएगा तथा उन्हें परियोजना के कार्यान्वयन का कार्यभार सौंपा जाएगा।

फ्रांस की दुग्ध उत्पाद कंपनी के साथ साझा उद्यम

543. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दुग्ध इकाई की स्थापना के लिए फ्रांस की एक दुग्ध उत्पाद कंपनी के साथ साझा उद्यम स्थापित करने हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के साथ समझौता ज्ञापन

544. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री ए.के. सुब्बा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 2002 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया, चाइना साइन एकार्ड्स, एम.ओ.यू. आन ब्रह्मपुत्रा" शीर्षक के अंतर्गत, प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर से भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। 15 जनवरी, 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में "इंडिया चाइना साइन एकार्डस, एम.ओ.यू. आन ब्रह्मपुत्र" नामक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) चीन के प्रधान मंत्री जू रोंगजी के जनवरी, 2002 में भारत दौरे के समय भारत के जल संसाधन मंत्रालय और चीन के जल

संसाधन मंत्रालय के बीच बाढ़ मौसम के दौरान चीन द्वारा यालूजांगबू/ब्रह्मपुत्र नदी की जल वैज्ञानिक सूचना भारत को मुहैया कराने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार चीन अपने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा पर स्थित नुगेशा, यांगकुन और नुक्सिया नामक तीन जल वैज्ञानिक केन्द्रों के संबंध में प्रत्येक वर्ष 1 जून से 15 अक्तूबर तक दिन में दो बार जल स्तर, निस्सरण और वर्षा संबंधी जानकारी भारत को देगा। चीन की ओर से इस बात पर भी सहमति हुई कि यदि गैर-बाढ़ मौसम के दौरान जल स्तर परस्पर सहमत हुए स्तर में बढ़ जाता है तो वह जल वैज्ञानिक सूचना मुहैया करायेगा। चीन इस बात पर भी सहमत हुआ है कि वह मौजूदा मानीटरी और आंकड़ा संग्रहण सुविधाओं के जरिए वास्तविक समय आधार पर जल स्तर/निस्सरण में असामान्य वृद्धि/गिरावट संबंधी तथा ऐसी अन्य सूचना मुहैया करायेगा जिनके कारण अचानक बाढ़ आ सकती है। दोनों पक्षों को समझौता ज्ञापन में हुए समझौते का क्रियान्वयन करने के लिए क्रियान्वयन योजना के संबंध में निर्णय लेना है। उपर्युक्त सूचना भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अनुप्रवाह में बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलापों के संबंध में उपयोगी होगी।

लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन

545. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप सिंचाई के माध्यम से लघु स्तर पर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए छिड़काव उपकरण और सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि के यंत्रीकरण समेत अन्य लागत प्रभावी विधियों को अपनाने हेतु कोई समग्र योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर उपकरण के जरिए सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं को व्यापक सूक्ष्म प्रबंधन स्कीम के अधीन बढ़ावा दिया जाता है, जो राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार और गहन कपास विकास कार्यक्रम (कपास प्रौद्योगिकी मिशन) के अधीन भी कार्य योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति देती है। विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों/मशीनों की खरीद के लिए किसानों को राजसहायता दी जा रही है। ट्रैक्टरों के मामले में 30 पावर टेक ऑफ एच.पी. के लिए राजसहायता दी जाती है और पंजीकृत सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय कृषि फार्मिंग समितियों और कृषि ऋण समितियों के लिए भी राजसहायता उपलब्ध है।

(ग) ड्रिप सिंचाई (बागवानी) के अधीन कुल क्षेत्र 3.05 लाख हैक्टर है। नौवीं योजना के अधीन वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान ड्रिप सिंचाई (बागवानी) के लक्ष्य और उपलब्धि से संबंधित विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
आंध्र प्रदेश	16400	30156
अरूणाचल प्रदेश	65	220
असम	30	0
बिहार	65	0
गोवा	77	130
गुजरात	2660	3109
हरियाणा	1038	830
हिमाचल प्रदेश	25	290
जम्मू और कश्मीर	121	129
कर्नाटक	33785	35015
केरल	4555	800
मध्य प्रदेश	2330	375
महाराष्ट्र	37400	60439
मणिपुर	260	164
मेघालय	136	0
मिजोरम	230	124
नागालैण्ड	620	566
उड़ीसा	572	200
पंजाब	722	725
राजस्थान	4226	4348
सिक्किम	48	64
तमिलनाडु	11750	37296

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
त्रिपुरा	100	0
उत्तर प्रदेश	1830	1854
पश्चिम बंगाल	15	0
दादरा नगर हवेली	24	0
दमन और दीव	28	0
दिल्ली	10	0
लक्षद्वीप	24	0
चंडीगढ़	0	0
अण्डमान और निकोबार	0	0
पांडिचेरी	10	0
कुल	119156	176834

हम्पी मंदिर परिसर का सर्वेक्षण

546. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम्पी मंदिर परिसर का विस्तृत सर्वेक्षण मानचित्र और मंदिर परिसर के बारे में शोध की सन्दर्भ सूची निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में लगी एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु वर्ष 2001-2002 में कितनी धनराशि व्यय की गई और वर्ष 2002-2003 में कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विपणन सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

547. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में हाल में कृषि विपणन सुधारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण को नियंत्रण मुक्त करने का सुझाव दिया है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को उदारीकरण के लाभ मिल सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस संबंध में समान नियम बनाये ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा हो सके और बिचौलियों को इसका फायदा न मिले;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने वाले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विशेषज्ञों ने देश में एक कार्यकुशल तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक विपणन व्यवस्था निर्मित करने के लिए कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता का सुझाव दिया है। विपणन अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने तथा प्रत्यक्ष विपणन को प्रोत्साहन देने एवं किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ठेके पर खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण एवं विकास से संबंधित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच एवं इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एक अंतर्मंत्रालयीय कार्यबल का गठन किया है। उपर्युक्त संगोष्ठी सुधार संबंधी उपायों के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के विचार जानने के लिए आयोजित की गई थी, ताकि कार्यबल द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सके।

[हिन्दी]

गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता

548. श्री रामेश्वर डूडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार में तीर्थस्थान हर की पौड़ी में गंगा जल बहुत प्रदूषित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.आर.पी.सी.बी. के अध्ययन के अनुसार उक्त जल के थोड़ी मात्रा में भी उपभोग से पीलिया, हैजा और पेट संबंधी अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को स्वच्छ गंगाजल उपलब्ध कराने हेतु कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं और जल प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) देहरादून में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2001 से जनवरी, 2002 तक की अवधि के लिए, जैसा कि नीचे दिया गया है, हरिद्वार में गंगा नदी में टोटल कॉलीफार्म को छोड़कर सभी पैरामीटर स्नान प्रयोजनों के लिए निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं। जीवाणु गुणता नामतः टोटल तथा फीकल कॉलीफार्म जल गुणता मानकों को संशोधित किया गया है और संशोधित मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के आंकड़ों में दिखाया गया टोटल कॉलीफार्म भी सीमाओं के अन्दर है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत अलग से किया गया जल गुणता निगरानी कार्यक्रम के परिणामों से भी पता चलता है कि सभी पैरामीटर नामतः घुलित आक्सीजन, जैव-रसायन ऑक्सीजन मांग तथा टोटल कॉलीफार्म निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं।

जनवरी, 2001-जनवरी, 2002 की अवधि के लिए हरिद्वार में गंगा नदी के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल गुणता आंकड़े

अवधि	रेंज			स्नान श्रेणी के लिए मानक		
	डीओ (एमजी/1)	बी ओ डी (एमजी/1)	टोटल कालीफार्म (एमपीएन*/ 100 एमएल)	डीओ (एमजी/1)	बी ओ डी (एमजी/1)	टोटल कालीफार्म (एमपीएन*/100 एमएल)
जनवरी 2001-02	8.2-9.5	1.8-2.5	900-1600	5.00 से अधिक	3.00 से कम	10,000 (500 से संशोधित)

*एमपीएन-अति संभाव्य संख्या

(ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार, हरिद्वार से जल जनित बीमारियों के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत ऋषिकेश-हरिद्वार में प्रतिदिन लगभग 25 मिलियन लीटर मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। इस क्षमता में गंगा कार्य योजना के चालू द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रतिदिन अतिरिक्त 7 मिलियन लीटर की वृद्धि की जानी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली मिलों/फैक्ट्रियों की जांच

549. श्री मानसिंह पटेल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली कुछ फैक्ट्रियों और मिलों की मौके पर जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक चूककर्त्ता इकाई के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 107 उद्योगों की आकस्मिक जांच की है। उद्योगों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जाँच रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण कमेटियों को भेज दिया गया है। जहाँ आवश्यक है वहाँ पर्यावरण (नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीधी कार्रवाई की गई है।

विवरण

उद्योगों की आकस्मिक जाँच

क्र.सं.	उद्योग का नाम व पता
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	मैसर्स कोठागुन्डेम थर्मल पावर स्टेशन, पलोच्छा, खम्मम जिला, आन्ध्र प्रदेश
2.	मै. वम्सधरा पेपर मिल्स, श्रीकुलम जिला
3.	मै. सिरिस इंडिया लि., गुम्माडिडाला, मेदक जिला (वर्तमान में रैलीस इंडिया लि.)
4.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम
5.	मै. ग्लोबल बल्क ड्रग्स एण्ड फाइन केमीकल्स लि., डिगवाल (वी), मेदक जिला-1
	असम
6.	मै. हिन्दुतान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि., नामरूप यूनिट I और II, पर्वतपुर, डिब्रूगढ़ जिला, असम
7.	मै. बोन्गाईगांव थर्मल पावर स्टेशन, बोन्गाईगांव, असम
	बिहार
8.	हिन्दुस्तान कॉपर लि., इंडियन कॉपर काम्पलैक्स, पो.ओ. घाटशिला-832 303, सिंहभूम जिला, बिहार
9.	मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., बिहार
10.	मै. पतरातु थर्मल पावर स्टेशन, पतरातु, हजारीबाग, बिहार
11.	मै. बोकारो थर्मल पावर प्लान्ट (डीवीसी)ए, बोकारो, बिहार
12.	मै. बोकारो थर्मल पावर प्लान्ट (डीवीसी) बी, बोकारो, बिहार
13.	मै. बोकारो स्टील प्लान्ट, बोकारो, बिहार
14.	मै. बाटा इंडिया लि., मोकामाघाट, हाथीदह, पटना-803 301
15.	मै. मैकडवैल्स एण्ड कं. लि., हाथीदह, पटना-803 301
	गुजरात
16.	मै. श्री बिलेश्वर खण्ड उद्योग (डिस्टिलरी यूनिट) खेदुत सहकारी मण्डली लि., कोडीनार अमरेली जिला, गुजरात
17.	मै. यीस्ट एल्को एनजायम्स लि., पालीटना डेम साईट, भावनगर जिला, गुजरात
18.	मै. अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं. लि., साबरमती, अहमदाबाद

1	2
19.	मै. अम्ल रसायन लि., जीआईडीसी इस्टेट, अंकलेश्वर, भरुच जिला, गुजरात
20.	मै. वापी पेपर मिल्स लि., जीआईडीसी एस्टेट वापी, वलसाड जिला, गुजरात
	हरियाणा
21.	मै. हरियाणा डिस्टिलरी, यमुनानगर, हरियाणा
22.	मै. अशोका डिस्टिलरी एण्ड केमीकल्स, हथीन फरीदाबाद, गहलब मार्ग, गाँव हथीन फरीदाबाद, हरियाणा
23.	मै. हरियाणा ओरगेनिक्स, समालखा, पानीपत
24.	मै. फ्रास्ट फाल्कन डिस्टिलरी, गांव जाहरी, सोनीपत
25.	मै. इंडियन लेदर, 18वां माइलस्टोन, ग्राम नाथूपुर, सोनीपत
26.	भारतीय सीमेन्ट निगम लि., चरखी दादरी सीमेन्ट एकक, चरखी दादरी, भिवानी-123 306, हरियाणा
27.	मै. हरियाणा ब्रिइवरिस लि., मुरथल, सोनीपत, हरियाणा
28.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पानीपत-132 105, हरियाणा
29.	मै. पानीपत सहकारी चीनी मिल (डिस्टिलरी यूनिट), पानीपत, हरियाणा
	जम्मू और कश्मीर
30.	मै. कश्मीर डिस्टिलरीस प्राइवेट लि., ब्रहमना, जम्मू
31.	मै. न्यू ईंडिया डिस्टिलरीस वसायापुर, साम्बा, जम्मू
32.	मै. दीवान मॉर्डन ब्रिइवरीस, तलाब टिल्लु, जम्मू और कश्मीर
	कर्नाटक
33.	मै. हिरण्याकेशी एस एस के नियमित, सन्केश्वर, बेलगाम जिला, कर्नाटक
34.	मै. कर्नाटक दक्षिण कन्नहड़ा, एस एस के लि., ब्रह्मवर उडुपी, एस.के. जिला, कर्नाटक
	केरल
35.	मै. द को-ऑपरेटिव शुगर लि. (डिस्टीलरी यूनिट) चित्तुर, पलाकाड, केरल
36.	मै. द को-ऑपरेटिव शुगर लि. (शुगर यूनिट), चित्तुर, पलाकाड, केरल
	मध्य प्रदेश
37.	मै. कौक्स डिस्टिलरी नोगांऊ, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश
38.	मै. छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, खापरी, कुन्हारी दुर्ग, मध्य प्रदेश
39.	मै. केड़िया डिस्टिलरी, भिलाई, दुर्ग, मध्य प्रदेश

1	2
40.	मै. ओरिएन्ट पेपर मिल, अमलई, मध्य प्रदेश
41.	मै. नवल सिंह का सहकारी शक्कर कारखाना, बुरहनपुर, म.प्र.
42.	मै. ग्वालियर शुगर कं., ग्वालियर, मध्य प्रदेश
43.	मै. मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना, मुरैना, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
44.	मै. सोमैया ओरगेनिक केमीकल्स लि., सखरवाड़ी, कोन्हेगांऊ, दोपरगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र
45.	केमीक्विप लि., एम आई डी सी, प्लॉट सं 26-28, कल्याण, बदलापुर मार्ग, अम्बरनाथ-421 505 जिला थाणे, महाराष्ट्र
46.	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, कोराडी-441 111, जिला नागरपुर, महाराष्ट्र
47.	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, दीपनगर-425 307, महाराष्ट्र
48.	मै. श्री वरुदेश्वर एस.एस.के. लि., अदिनाथ नगर, तालुका-पार्त्थद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र
49.	मै. निपहाद एस.एस.के. लि., भौंसाहेनगर, निपहाद जिला, नासिक, महाराष्ट्र
50.	मै. तिलकनगर, डिस्टिलरीस, अहमदनगर, महाराष्ट्र
51.	मै. करणवीर काकासाहेब वाघ एस.एस.के. लि., काकासाहेबनगर, निपहाद, जिला नासिक, महाराष्ट्र
52.	मै. चन्द्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र, राज्य बिजली बोर्ड, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
53.	नासिक थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, पो. ऑ. एकलहरे-422 105, महाराष्ट्र
54.	मै. लारसेन एण्ड टुबरो, अवरपुर सीमेन्ट वर्क्स, अवरपुर, चन्द्रपुर (जिला), महाराष्ट्र-442 917
55.	मै. एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लि., चन्दा सीमेन्ट वर्क्स, सीमेन्ट नगर, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र-422 502
56.	मै. इन्डयूरेन्स सिस्टम (I) लि. एम आई डी सी, वालुज, औरंगाबाद
57.	मै. एन आर बी बिइरिंग लि., एम आई डी सी, वालुज, औरंगाबाद
58.	मै. वोखडार्ट लाइफ साइन्सेस लि., एन आई डी सी, वालुज, औरंगाबाद
59.	मै. यूनीवर्सल लगेज मैन्यूफैक्चरिंग कं.लि., एम आई डी सी वालुज, औरंगाबाद
	मेघालय
60.	मामलुह चेरा सीमेन्ट लि., मामलुह चेरापूँजी-793 108, मेघालय
	उड़ीसा
61.	राउरकेला स्टील प्लान्ट (फर्टीलाइजर्स यूनिट) राउरकेला-769 011, उड़ीसा

1	2
62.	पारादीप फॉस्फेट्स लि., पो.ऑ. पी.पी.एल. टाऊनशिप, पारादीप-754 145, जगतसिंहपुर जिला
63.	मै. राउरकेला स्टील प्लान्ट (आयरन एण्ड स्टील) राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा
64.	मै. तलचर थर्मल पावर स्टेशन, पो.ऑ. तलचर थर्मल, जिला अंगुल, उड़ीसा-759 101
65.	मै. राउरकेला स्टील प्लान्ट (सीपीपी I और II), राउरकेला, सुन्दरगढ़, उड़ीसा
66.	मै. को-ऑपरेटिव शुगर इन्डस्ट्रीज लि., पानीपोलिआ (पहले धरानी शुगर और केमीकल्स लि.), नयागढ़, उड़ीसा
67.	मै. अस्का को-ऑपरेटिव शुगर और केमीकल्स लि., अस्का, उड़ीसा
68.	मै. जे.के. कोरपोरेशन लि., जयकेपुर, रायगढ़, उड़ीसा-765 017
	पंजाब
69.	मै. जनता को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., भोगपुर, जिला जालन्धर, पंजाब
70.	मै. भगवानपुरा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., धुरी, जिला संगरूर, पंजाब
71.	मै. दोआबा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., नवांशहर, पंजाब
72.	मै. जीरा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., जीरा, फिरोजपुर, पंजाब
	तमिलनाडु
73.	एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन, एन्नोर, मद्रास-600 057
74.	तमिलनाडु क्रोमेट्स केमीकल्स लि., 25, सिपकोट, इन्डस्ट्रियल कांपलैक्स, रानीपेट
	उत्तर प्रदेश
75.	मै. ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट (बी) ओबरा, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश
76.	मै. ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट (ए) ओबरा, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश
77.	मोहन मीकिन्स लि., मोहन नगर, गाजियाबाद
78.	मै. वाम ओरगेन्किस, गजरौला, उत्तर प्रदेश
79.	मोदी डिस्टिलरी, मोदी नगर, गाजियाबाद
80.	मै. सारवस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स (डिस्टिलरी यूनिट) नानपारा, बहराईच, उत्तर प्रदेश
81.	मै. कैप्टनगंज डिस्टिलरीज, देवरिया, उत्तर प्रदेश
82.	मै. यू. पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., पन्नीनगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
83	मै. यू.पी. स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लि., शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

1	2
84.	मै. यू.पी. स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लि., बधवाल, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
85.	मै. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सथा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
86.	मै. यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन, मलयाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश
87.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथीओन, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
88.	मै. चट्टा शुगर कं.लि., चट्टा, मथुरा, उत्तर प्रदेश
89.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स, यूरई, भदोई, उत्तर प्रदेश
90.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स, रसारा, बलिया, उत्तर प्रदेश
91.	मै. हरद्वारगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कसीमपुर, अलीगढ़, यू.पी.
92.	मै. यू.पी. स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि., चुनार, मिर्जापुर, यू.पी.
93.	मै. यू.पी. स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि., चुर्क, सोनभद्रा, यू.पी.
94.	मै. यू.पी. स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि., डाला, सोनभद्रा, यू.पी.
95.	मै. कनोरिया शुगर एण्ड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कं.लि., कैप्टनगंज, काशीनगर, यू.पी.
	पश्चिम बंगाल
96.	मै. दुर्गापुर स्टील प्लान्ट, दुर्गापुर, प.बं.
97.	मै. दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर वैली कारपोरशन, पो.ऑ. दुर्गापुर-713 207, जिला वर्दमान, प.बं.
98.	मै. दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि., बर्दवान, प.बं.
99.	मै. एलोए स्टील प्लान्ट, पा.ओ. दुर्गापुर-8, जिला बर्दवान, प.बं.
100.	मै. इंडियन आयरन और स्टील कं., बर्नपुर, बर्दवान, प.बं.
101.	मै. सन्तालदिहि थर्मल पावर स्टेशन, पुरूलिया, प.बं.
102.	मै. बज-बज जेनेरेटिंग स्टेशन, सी. ई. एस. सी. लि., पुजालि, 24 परगना (एस), प.बं.
103.	मै. साउदर्न जेनेरेटिंग स्टेशन, सी. ई.एस. सी.लि. गार्डन रीच, 24 परगना (एस), प.बं.
104.	मै. टीटागढ़ जेनेरेटिंग स्टेशन, सी. ई. एस. सी. लि., टीटागढ़, 24 परगना (एन), प.बं.
105.	मै. बन्देल थर्मल पावर स्टेशन, डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी., त्रिवेणी, प.बं.
106.	न्यू कोसीपोर जेनरेटिंग स्टेशन, सी.ई.एस.सी. लि., कोसीपोर, 24 परगना (एन), प.बं.
107.	मै. रसोई लि., 1 स्टेशन रोड, न्यू अलीपोर, कलकत्ता

[अनुवाद]

ई.एस.आई. अस्पतालों को सामान्य अस्पतालों में परिवर्तित किया जाना

550. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ई.एस.आई. के कुछ मौजूदा अस्पतालों को सामान्य अस्पतालों में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवी मुंबई में स्थित ई.एस.आई. अस्पताल को भी सामान्य अस्पताल में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीतों के लिए संरक्षित क्षेत्र

551. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 दिसंबर, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार जिसके अनुसार फंसे हुए चीतों के लिए वन सीमाओं पर संरक्षित क्षेत्र बनाने के संबंध में महाराष्ट्र राज्य वन विभाग द्वारा तैयार की गयी परियोजना की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने देश के अन्य भागों में टाइगर, चीता, पैंथर और सिंहों के विचरण क्षेत्रों हेतु ऐसी योजनाएं/परियोजनाएं लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार का वन विभाग मानव बस्तियों के साथ लगते सीमांत वन क्षेत्रों से चीतों को फंसाकर इन्हें चीतों के लिए उपयुक्त वास-स्थलों में स्थानांतरित कर रहा है। ऐसा "बफर एरिया" में चीतों की संख्या को कम करने के लिए किया गया है। जिन चीतों को जंगल में पुनर्वासित नहीं किया जा सकता उन्हें बचाव केन्द्रों में रखा जाता है।

(ग) भारतीय वन्यजीव संस्थान फील्ड मैनेजरों के लिए जंगली जानवरों के प्रशांतीकरण और स्थानांतरण पर पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

नैफेड द्वारा नारियल गिरी का संग्रह

552. श्री सुरेश कुरूप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नैफेड द्वारा नारियल गिरी के संग्रहण में अनियमितताओं संबंधी सूचना की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हाँ। केरल सरकार से स्टेट मार्केटफेड के खिलाफ कुछ कथित अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की जा रही है। अत: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने खोपरे की खरीद हेतु राज्य स्तरीय अभिकरण केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन को मार्केटफेड के स्थान पर नामित किया है। तदनुसार, नेफेड ने केरल में खोपरे की खरीद के लिए केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता को अपना राज्य स्तरीय अभिकरण नियुक्त किया है।

नये कृषि सुधार

553. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये कृषि सुधार आरंभ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं जुटाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विकास की गति को तेज करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण उपाए किए हैं, जैसे वृहद प्रबंध स्कीम की शुरूआत, पनधारा विकास कार्यक्रमों के लिए साझा दिशा-निर्देश जारी करना, 200 करोड़ रुपये की धनराशि से पनधारा विकास कोष का सृजन, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत, बीज फसल बीमा हेतु एक स्कीम की

शुरूआत, बीज बैंक की स्थापना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी उपाय, बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों एवं भण्डार गृहों के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी युक्त ऋण स्कीम की शुरूआत, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के कोष में वृद्धि, मण्डी आसूचना नेटवर्क की शुरूआत एवं उत्पाद शुल्क में छूट तथा अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि में मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन।

वर्ष 2002-03 के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में वृद्धि करने, बीमा पैकेज युक्त किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा योजना हेतु एक अलग निगम की स्थापना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के आवंटन में वृद्धि, कृषि जिन्सों के निर्यात के विकेन्द्रीकरण, सभी कृषि जिन्सों को कवर करने के लिए फ्यूचर्स एंड फार्वर्ड ट्रेडिंग का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लघु ऋण कार्यक्रम तथा कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना आदि का प्रस्ताव है।

भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम तथा राज्य भण्डारगृह निगमों ने भी भण्डारण क्षमता बढ़ाने के उपाय किए हैं एवं 3.61 लाख मी. टन के लक्ष्य (2001-02) की तुलना में 2.78 लाख मी. टन (दिसंबर, 2001 तक) क्षमता का सृजन किया है। फार्म तथा वाणिज्यिक स्तर पर भण्डारण एवं परिवहन से होने वाले नुकसान को कम करने तथा भारत में खाद्यान्न का रखरखाव, भण्डारण एवं परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने रखरखाव, भण्डारण एवं परिवहन संबंधी राष्ट्रीय नीति भी घोषित की है।

कोलार गोल्ड फील्ड्स (के.जे.एफ.) से नेशनल इंस्टीट्यूट (ऑफ रॉक मेकेनिक्स को अन्यत्र ले जाना)

554. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स को किस तिथि को कोलार गोल्ड फील्ड्स में स्थापित किया गया था;

(ख) इस पर कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या उक्त संस्थान को महाराष्ट्र में नागपुर ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसमें अनुमानतः कितनी धनराशि शामिल होने की संभावना है; और

(च) सरकार का विचार कोलार गोल्ड फील्ड्स में लगाये गये उपकरणों के अति संवेदनशील होने के कारण उक्त प्रस्ताव की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाने का है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स की स्थापना 2 करोड़ रु. के निवेश से 27 जनवरी, 1988 को की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपरोक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में राष्ट्रीय वानस्पतिक और अनुसंधान संस्थान

555. श्री ए.सी. जोस : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दसवीं योजना के दौरान केरल में राष्ट्रीय वानस्पतिक और अनुसंधान संस्थान की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फलों का रस

556. श्री रामसिंह राठवा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयीरेटिड ड्रिंक्स के साथ फलों का रस मिलाने का निर्देश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण

557. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य तय करना छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समर्थन मूल्य निर्धारित करने की नीति के अंतर्गत कतिपय कृषि उत्पादों को रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि मूल्य निर्धारण आयोग जिसका नाम अब कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस आयोग को सौंपे गये अन्य कार्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान मुख्य कृषि जिंसों को विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के अधीन कवर किया जाता रहेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कृषि लागत और मूल्य आयोग मुख्य कृषि जिंसों हेतु मूल्य नीति पर सरकार को सलाह देना जारी रखेगा।

रोगग्रस्त झींगा/लाब्स्टर

558. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों विशेषकर केरल में झींगा/लाब्स्टर कुछ खास रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य को वार्षिक रूप से कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। ऐसी रिपोर्टें थीं कि केरल सहित कुछ पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़े गए झींगे कुछ खास रोग से ग्रस्त थे।

(ख) पिछली फसल के दौरान गुजरात में 12 फार्म, महाराष्ट्र में 6 हैक्टेयर तथा केरल के 7 तटवर्ती जिलों में फैले 10,885 हैक्टेयर क्षेत्र वइट स्पॉट वायरल बीमारी से प्रभावित हुए बताए गए थे।

(ग) पिछली फसल के दौरान केरल को 83.18 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 4149 मीटरी टन का नुकसान हुआ था।

(घ) समस्या का अध्ययन करने तथा दिशानिर्देश सुझाने के लिए केरल सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची ने भी एक अध्ययन किया है जिसमें झींगा रोगों के नियंत्रण तथा उन्हें रोकने के लिए एशिया प्रशांत जलकृषि केन्द्र नेटवर्क थाइलैंड की सहायता ली गई है।

(ङ) चूंकि वायरल रोगों का कोई निश्चित इलाज नहीं होता है, अत: किसानों से कहा गया है कि वे ब्रूड स्टॉक तथा लारवे के पी सी आर परीक्षणों जैसे पूर्व सावधानी उपायों सहित वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रबंधन क्रियाकलाप अपनाएं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में घरेलू एवं विदेशी निवेश

559. श्री शिवराजसिंह चौहान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने वर्ष-वार कितने आवेदन स्वीकृत किये;

(ग) अभी कितने आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(घ) कब तक शेष आवेदनों को स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता

560. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता जारी करने और इसके उपयोग में कतिपय अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य पर्यटन विभाग को जारी किए गये धन का कभी भी सत्यापन नहीं किया जाता है और इसका अत्यधिक दुरुपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पर्यटन परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों को जारी किए गए धन के उपयोग की प्रति जांच के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष दिशा-निर्देशों के अनुसार अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निधियां प्रस्ताव की पारस्परिक प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग करने का उत्तरदायित्व मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, निधियों की उपयोगिता के संबंध में यदि कोई कार्यान्वयन में विलंब हो तो उपचारात्मक उपायों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के समय पुरानी परियोजनाओं की प्रगति मानिटर की जाती है। क्षेत्रीय निदेशकों के अलावा भारत सरकार पर्यटक कार्यालय के निदेशक भी प्रगति की समीक्षा करते हैं। पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी विभिन्न राज्यों में उनके दौरों के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं की उनके कार्यान्वयन को मानिटर करने के लिए समीक्षा भी करते हैं। विभिन्न अन्य मंचों में भी राज्य सरकारों को परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने और निधियों का यथोचित उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है। परियोजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एकान्तिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी और कोलइंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू किया जाना

561. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कोयला खानों से वर्षवार कितनी मात्रा में कोयला चोरी होता है;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोयले की चोरी/उठाईगिरी प्रच्छन्न रूप से की जाती है और इस प्रकार अलग-अलग कोयला खानों से चोरी की जा रही कोयले की सही मात्रा को बताना संभव नहीं है। फिर भी सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारे गये छापों तथा संबंधित राज्य सरकारों के कानून व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापों से 2000-2001 के दौरान सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों में लगभग 23,000 टन कोयला प्राप्त हुआ था।

(ख) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए कोयला कंपनियों द्वारा स्थानीय पुलिस को एप्रोच किया जाता है। विभिन्न कोयला कंपनियों में इस संबंध में कई एफ.आई.आर. (2000-2001 में 1505) दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सी.आई.एल. की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी अथवा उठाईगिरी को

रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) अवैध कोयला डिपुओं तथा कोयले के अवैध (मूवमैंट) संचलन के बारे में खुफिया रिपोर्ट एकत्रित करना तथा निवारक कार्रवाई करने हेतु उक्त जानकारी जिला प्राधिकारियों को देना।

(ii) परिवहन दस्तावेजों की जाँच हेतु संवेदनशील स्थलों पर चेक-पोस्टों की स्थापना करना।

(iii) निगरानी (वॉच) टॉवरों का विनिर्माण तथा कोयला भंडारों (स्टाकिंग) क्षेत्र के आस-पास प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना।

(iv) पिट हेड डिपो के आस-पास कँटीली तार/दीवार खड़ी करके उसे घेरना, रात के समय सशस्त्र गार्डों के नियोजन सहित स्थाई सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(v) भरे हुए टैंकों की रेलवे वे-ब्रिजों तक सशस्त्र गार्डों द्वारा मार्ग रक्षा और वैगन लूटे जाने की संभावना वाले रेल मार्गों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ संयुक्त गश्त (पेट्रोलिंग) लगाना।

(vi) अवैध खनन वाले स्थानों को सील किया जाना।

(vii) चोरी या उठाईगिरी के कार्य में पकड़े गये परिवहन वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना।

(viii) कोयले की चोरी/उठाईगिरी में लगी महिलाओं तथा बच्चों को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्डों को लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करके सुरक्षा शाखा को मजबूत बनाना, सुरक्षा कार्य में अभिरुचि रखने वाले अधिकारियों का समतुल्य पदों पर संचरण और निचले, मध्य तथा वरिष्ठ स्तर पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को शामिल करना।

(ix) सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यमान सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा क्षेत्र में भर्ती हुए नए व्यक्तियों को आधारभूत प्रशिक्षण देना।

(ग) कोल इंडिया लि. में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में तत्कालीन बी.पी.ई. द्वारा यथानिरूपित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1998-99 के दौरान आरंभ की गई थी और यह अभी भी चल रही है।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

वन संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान

562. श्री वाई.जी. महाजन :
श्री मोहन रावले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार प्रति वर्ष उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि खर्च कर रही है; और

(घ) इस संबंध में किस सीमा तक सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वन संरक्षण सहित विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार 1986 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है।

(ख) इस अभियान, जिसे गैर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक दलों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की सक्रिय भागीदारी और परामर्श से चलाया जाता है, के अंतर्गत सामान्य जनता, स्कूली छात्रों आदि सहित विभिन्न लक्षित दलों के लिए पदयात्रा/रैलियां, स्ट्रीट नाटक, लोक नृत्य, निबंध/वाद-विवाद/पेंटिंग प्रतियोगिता, सेमीनार आदि जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस अभियान पर 3.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है।

(घ) यह अभियान वन संरक्षण सहित पर्यावरणीय विषयों पर सामान्य जनता को जागरूक बनाने में काफी सफल रहा है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में निजी निवेश

563. श्री अबुल हसनत खां :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान, कृषि और संबद्ध उत्पादों की सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो सुधार अवधि के बाद की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में निवेश दुगुना हो गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की मात्रा कितनी रही;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन के कारणों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद के आकलनों के अनुसार, वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के लिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) की विकास दरें 1993-94 के मूल्यों पर क्रमशः 1.3%, -0.2% तथा 5.7% हैं। असामान्य मौसम स्थितियों के कारण कृषि विकास दर अस्थिर है। कृषि क्षेत्र की प्रगति में किसी प्रकार की नकारात्मक पद्धति नहीं है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में निवेश का आकलन किया गया है जिसके अनुसार इस क्षेत्र में निजी निवेश, जो वर्ष 1993-94 में 9056 करोड़ रु. था, से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 19648 करोड़ रु. हो गया है जो कि दोगुने से भी अधिक है। तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के लिए इस क्षेत्र में निजी निवेश की मात्रा क्रमशः 16254 करोड़ रु., 18605 करोड़ रु. तथा 19648 करोड़ रु. है।

(च) से (ज) जी, हां। खाद्यान्नों की मुक्त आवाजाही को कारगर बनाने तथा किसानों के उनके उत्पादन के उच्चतम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने, मूल्य स्थिरता प्राप्त करने तथा अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत सा.का.नि. 104 (ङ) दिनांक 15.2.2002 के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ आदेश 2002 को हटाने (लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, स्टाक सीमाएं तथा आवा-जाही प्रतिबंध) नामक केन्द्रीय आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी डीलर गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहनों तथा खाद्य तेलों की कितनी भी मात्रा खरीद सकता है, उसका स्टाक रख सकता है, उसकी बिक्री कर सकता है, उसको ला/ले जा सकता है आदि और इसके लिए उसे लाइसेंस अथवा परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

फ्लूओरोसिस से प्रभावित राजस्थानी जिले

564. श्री एस. अजय कुमार :
श्री पी. मोहन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्सेनिक और फ्लूओरोसिस जैसे रसायनों से भूजल संक्रमण के कारण राज्य-वार कितने जिले प्रभावित हुए हैं; और

(ख) सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं और इस खतरे से निपटने के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आर्सेनिक एवं फ्लोराइड के कारण संदूषित भूजल वाले राज्यों एवं जिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व है। भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों में सहायता देने के साथ-साथ त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.ए.जी.वाई.) के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत आबंटित निधियों के 20 प्रतिशत भाग का जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, जहां भूजल पीने योग्य नहीं है, वहां सुरक्षित पेय जल या तो वैकल्पिक स्रोतों, सतही जल को उपयोग में लाकर के अथवा उपयुक्त स्थानान्तरण यूनिट द्वारा गुणवत्ता समस्याओं का सुधार करके सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति की जाती है। शहरी क्षेत्रों में, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय सुरक्षित पेय जल के प्रावधान के वास्ते राज्यों की सहायता करता है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) राज्य सरकारों को तकनीकी सेवाएं भी मुहैया कराता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड जल गुणवत्ता की आवधिक मानीटरी करता है। इस प्रकार से एकत्र किए गए आंकड़े संबंधित राज्य अभिकरणों को उपलब्ध कराये जाते हैं। इस बोर्ड ने, राज्य में भूजल में आर्सेनिक संदूषण का अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 59.78 लाख रुपये की निधियां स्वीकृत की हैं।

विवरण

जिन स्थानों पर फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त संदूषित भूजल पाया गया है, उन जिलों के राज्य-वार नाम

राज्य	जिले फ्लोराइड	आर्सेनिक
आंध्र प्रदेश	प्रकासम, नेल्लोर, अनंतपुर, नलगोन्डा, रंगारेड्डी, अदिलाबाद	--

राज्य	जिले फ्लोराइड	आर्सेनिक
असम	कर्बी, आंगलोंग, नवगांव	--
बिहार	जमुई	--
छत्तीसगढ़	रायपुर	--
गुजरात	कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, खेड़ा	--
हरियाणा	रोहतक, जीन्द, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़ फरीदाबाद	--
झारखंड	गिरिडीह, धनबाद	--
कर्नाटक	तुमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर	--
केरल	पालघाट	--
मध्य प्रदेश	भिंड, मुरैना, गुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सीवनी, मांडला, विदिशा	--
महाराष्ट्र	भंडारा, चन्द्रपुर, नान्देड़, औरंगाबाद	--
उड़ीसा	बोलंगीर	--
पंजाब	लुधियाना, फरीदकोट, भटिन्डा, संगरूर, जालन्धर, अमृतसर	--
राजस्थान	बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही	--
तमिलनाडु	धरमपुरी, सलेम, उत्तर अर्कट, विल्लूपुरम, तिरूचिरापल्ली, पुदुक्कोट्टई	--
उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, रायबेरली	--
पश्चिम बंगाल	बीरभूम	मालदा, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, वर्द्धमान, हावड़ा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शाहदरा शहर और महरौली ब्लॉक	--

[हिन्दी]

सीसे के कणों से वायु प्रदूषण

565. श्री पी.आर. खूंटे :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वायु में सीसे के कणों के बढ़ते हुए स्तर और मानवीय स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव को निर्यंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने देश में सीसा युक्त गेसोलीन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके वायु में सीसे के स्तर को निर्यंत्रित करने के संबंध में कड़े कदम उठाए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औसत कृषि उपज

566. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आकलन के अनुसार देश में 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, दाल और कपास की औसत कृषि उपज कम रही है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों के दौरान उक्त फसलों की औसत फसल उपज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम उपज का उत्पादन लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है और उत्पादन लागत में वृद्धि की स्थिति में किसानों को दिए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान गेहूँ, धान, गन्ना, तिलहनों, दलहनों तथा कपास की औसत उपज दरें कम रहीं। ब्यौरा नीचे सारणी-I में दिया गया है :

सारणी-I

(कि.ग्रा./हेक्टे.)

फसल	1999-2000	2000-01
गेहूं	2778	2743
धान	2978	2871
गन्ना	70935	69636
तिलहन*	853	791
दलहन	635	533
कपास	225	191

***इसमें मूंगफली, एरंड, रामतिल, तिल, तोरिया एवं सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।**

(ग) जी, हां। बशर्ते कि खेती की लागत वही रहे।

(घ) वर्ष 2000-01 में उत्पादन लागत पर पैदावार में वास्तविक कमी के प्रभाव के आंकड़े अब तक तैयार नहीं किए गए हैं। फिर भी, उपर्युक्त सारणी-I में उल्लिखित जिंसों सहित प्रमुख कृषि जिंसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) स्कीम के तहत कवर किया जाता है। उत्पादन लागत एक महत्वपूर्ण चर (वैरिएबल) है जिसको विशिष्ट कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लाभ लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें।

लघु कृषि पनधाराओं का उपयोग

567. श्री राम टहल चौधरी :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु कृषि पनधाराओं का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लघु पनधाराओं के उचित और अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारत सरकार ने लघु कृषि पनधाराओं, जिसे तकनीकी शब्दावली में "सूक्ष्म पनधारा" के नाम से जाना जाता है, के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी है। इस संबंध में कृषि मंत्रालय का मुख्य प्रयास वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना है, जिन्हें आठवीं योजना में 25 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार तथा दादरा एवं नगर हवेली नामक दो संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया और इसे नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम को नवंबर, 2000 तक स्वतंत्र रूप से केन्द्रीय प्रायोजित्त स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था। अब इसे प्रचालन की वृहत प्रबंधन पद्धति के अधीन मिला दिया गया है। बहरहाल यह बृहद प्रबंधन का एक घटक है।

आठवीं योजना के दौरान समूचे देश में 4.23 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र को शामिल करते हुए 2584 पनधाराओं को शामिल किया गया। नौवीं योजना के दौरान 1020 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 2.25 मिलियन हेक्टे. क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है। यादृच्छिक नमूना आधार पर किए गए प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चला है कि पनधारा आधारित हस्तक्षेपों से भू-जल का पुनर्भरण (रिचार्ज), फसल गहनता में वृद्धि, फसल प्रतिमान में परिवर्तन, फसल की अधिक उपज और मृदा क्षति में कमी आई है।

नागर विमानन क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

568. डा. बलिराम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में कितने अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी हैं;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के इच्छुक कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा मिलेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) नागर विमानन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में वी आर एस/विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।

(ख) पूर्व कृषि विमानन निदेशालय के जिन चार सरप्लस पायलटों को नागर विमानन महानिदेशालय में प्रतिनियुक्त किया गया था उनकी अभी तक केन्द्रीय सरप्लस सेल के माध्यम से पुन: तैनाती नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनिवार्य प्रतिनियुक्ति पर गये एक उप-निदेशक (संचार) को रिवर्ट करके नागर विमानन महानिदेशालय वापिस भेज दिया गया और उसे सरप्लस घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन संभावनाएं

569. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तरी राज्यों में अधिक पर्यटक आकर्षित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं का अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य स्तर योजनाएं, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं में वृद्धि एवं उन्नयन करके तथा पर्यटकों के आवागमन के लिए स्वच्छ एवं निर्बाध परिवेश प्रदान करके राज्य की पर्यटन संभाव्यता का बेहतर कार्यान्वयन किया जा सकता है।

(घ) नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 1904.44 लाख रुपयों के केन्द्रीय घटक के साथ 98 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पर्यटक स्थलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने हेतु राज्य सरकार को विभिन्न मंचों में परामर्श भी दिया गया है।

कोयले पर रॉयल्टी का पुनर्निर्धारण

570. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त कोयला रॉयल्टी के पुनर्निर्धारण संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी रॉयल्टी की कब तक घोषणा करने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हाँ। रॉयल्टी दरों के संशोधन के मामले की जाँच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट में कोयले पर रॉयल्टी से संबंधित मामलों की सिफारिशों को समाविष्ट किया गया है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही रॉयल्टी की नई दरें अधिसूचित की जा सकती हैं।

उड़ीसा में पारिस्थितिकीय-पर्यावरण

571. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को पारिस्थितिकीय पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में पारिस्थितिकीय-पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या उड़ीसा की पारिस्थितिकीय-पर्यावरण गंतव्य के रूप में पहचान की गई है और इस उद्देश्य के लिए राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पारिस्थितिकीय-मैत्रीय पर्यटन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पारिस्थितिकीय पर्यटन का संवर्धन करता है। केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पारिस्थिति पर्यटन स्थलों के विकास के लिए उत्साहित करती है। इसके अलावा, पारिस्थिति की पर्यटन आकर्षणों का पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा और विदेश सहित देश में व्यापक प्रचार किया गया है।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल्डिहा-जिला बाड़मेर में ट्रेकिंग बेस कैम्प के विकास के लिए 45.00 लाख रु. स्वीकृत किए हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

572. श्री प्रबोध पण्डा : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और यह धनराशि किन-किन स्त्रोतों से जुटाई गई है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के बजट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि विनिर्दिष्ट की गई थी। निधियों का स्त्रोत हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर उपकर का 50 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत प्रस्तावों के मूल्य तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत प्रस्तावों के मूल्य और अवमोचित राशि को दर्शाता विवरण

	राज्य	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	अवमोचित राशि (करोड़ रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	195.01	195.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.95	40.95
3.	असम	75.00	75.00
4.	बिहार	149.90	149.90
5.	छत्तीसगढ़	93.58	92.41
6.	गोवा	5.00	5.00
7.	गुजरात	59.81	59.81
8.	हरियाणा	25.67	25.18
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00
10.	जम्मू कश्मीर	20.00	20.00
11.	झारखंड	110.18	110.05
12.	कर्नाटक	100.57	100.57
13.	केरल	19.71	19.71
14.	मध्य प्रदेश	217.64	217.64
15.	महाराष्ट्र	130.81	130.21
16.	मणिपुर	40.00	40.00
17.	मेघालय	34.95	34.95

राज्य		स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	अवमोचित राशि (करोड़ रुपए में)
18.	मिजोरम	19.93	19.93
19.	नागालैंड	19.75	19.75
20.	उड़ीसा	179.70	179.70
21.	पंजाब	24.66	24.66
22.	राजस्थान	140.35	140.09
23.	सिक्किम	13.16	13.16
24.	तमिलनाडु	153.49	99.25
25.	त्रिपुरा	24.75	24.75
26.	उत्तर प्रदेश	324.22	321.11
27.	उत्तरांचल	60.63	60.63
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	135.00
29.	अंडमान निकोबार	10.59	10.59
30.	दादर नागर हवेली	0	0
31.	दमन एवं दियू	5.00	5.00
32.	दिल्ली	5.00	0
33.	लक्षद्वीप	0	0
34.	पांडिचेरी	5.00	5.00
	कुल	2500.01	2435.00

वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क कोष को 60.00 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई।

[हिन्दी]

राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का आगमन

573. डा. जसवन्त सिंह यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटक राजस्थान आए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप राज्य से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगामन
1999	562685
2000	623100
2001	608283

(ख) विदेशी मुद्रा आय के राज्य-वार आ।कड़े नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

साबरीमाला मंदिर के लिए वन्य भूमि का दिक्परिवर्तन

574. श्री रमेश चेन्नितला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संयुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर भगवान अयप्पा के करोड़ों भक्तों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए ट्रावनकोर देवास्वम बोर्ड, साबरीमाला, केरल को वन्य भूमि सौंपने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) साबरीमाला में हृदयविज्ञान केन्द्र के निर्माण हेतु बोर्ड को कितने हेक्टेअर भूमि सौंपी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) श्री ओ. राजगोपाल, राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने पम्बा, पेरियार बाघ रिजर्व में जल शोधन संयंत्र के लिए 0.6 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 26.2.2002 की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ख) साबरीमाला में हृदयविज्ञान केन्द्र के निर्माण के लिए बोर्ड को कोई भी वन भूमि हस्तांतरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पम्बा-सन्निधानम मार्ग पर स्थित व्याख्या केन्द्र को हृदयविज्ञान केन्द्र के रूप में प्रयोग करने के लिए इसे उपांतरित व इसका उन्नयन किया गया है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों पर उपकर लगाना

575. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार किसानों को निर्यात संबंधी सेवाओं के बारे में एक ही स्थान पर सुविधाएं देने के अतिरिक्त रासायनिक उर्वरक और कीटनाशियों पर उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे अनुमानित कितनी धनराशि एकत्र होने की संभावना है; और

(घ) ऐसी धनराशि का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भू-जल स्तर में कमी

576. श्री रघुनाथ झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को भू-जल स्तर में तेजी से होने वाली कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भू-जल में होने वाली कमी को रोकने और उसके उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से यह पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट आई है। ऐसे विभिन्न राज्यों के जिले जहां पर भूजल स्तर में 4 मीटर (1981-2000) से अधिक की गिरावट वाले स्थान हैं, उनका नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन संबंधी आयोजना, वित्त पोषण और उनके कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। भारत सरकार भी विभिन्न स्कीमों के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा भूजल में गिरावट को रोकने तथा इसे उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए विभिन्न उपायों का विवरण इस प्रकार है :–

(i) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iv) 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से देश में "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन। कुओं का पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन इस स्कीम का अभिन्न अंग है। इस स्कीम के परिणाम बहुत उत्साहजनक पाए गए हैं।

विवरण

भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट वाले स्थानों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिलों के नाम (1981-2000)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ज़िले
आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी।
बिहार (झारखण्ड सहित)	धनबाद, पूर्वी सिंगभूम, दरभंगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले
छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, सतना, सिधी।
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर।
हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण), बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बगलकोट, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हवेरी, हासन, कोलार, मैसूर, चमराजानगर, रायचूर, शिमोगा, कपोल, तुमकुर, उत्तर कबड़।
मध्य प्रदेश	बेतूल, भिन्ड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खाण्डवा, खारगोन, मंदसौर, मोरेना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, बीद, बंबई, भुले, गढ़चिरौली, कोल्हापुर, नांदेड़, नासिक, ओस्मानाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलदाना, चन्द्रपुर, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, थाने, सतारा, सोलापुर, वर्धा, यावतमल।
उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जयपुर, कालाहांडी, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मल्कागिरी, मयूरभंज, नावापाड़ा, नौरंगपुर, सुंदरगढ़, सुवर्णपुर।
पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, नवांशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुनझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, उदयपुर।
तमिलनाडु	कोयंबतूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मद्रास, पुदुकोट्टई, शिवगंगाई, तंजावूर, थेनी, तिरूनेलवेली, तिरुवेल्लूर, तिरूवन्नामली, तिरूवरूर, तुतीकोरीन।
उत्तर प्रदेश (उत्तराचंल सहित)	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, उन्नाव।
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्दमान, मिदनापुर, उत्तर-24 परगना, पुरूलिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	महरौली, नजफगढ़ और शहरी खण्ड।
पांडिचेरी	पांडिचेरी।

वाहन प्रदूषण

577. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दो स्ट्रोक वाले ऑटो रिक्शा, डीजल बसों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और सी एन जी वाहनों को शुरू करने के बाद भी राजधानी में पिछले दस वर्षों में वाहन प्रदूषण में 64 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) के अनुसार 1991 से 1995 के दौरान दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता के रुख में सल्फर डाइ-आक्साइड (एसओ-2), नाइट्रोजन डाइ-आक्साइड (एनओ-2) तथा विविक्त कण पदार्थों (एस पी एम) के सान्द्रण में बढ़ोत्तरी का संकेत मिलता है जबकि 1995 से 2001 के दौरान घटोत्तरी का रुख देखा गया है बावजूद इसके कि वाहनों की संख्या और ईंधन की खपत में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) सरकार द्वारा राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों में चार पहिए वाले वाहनों के लिए भारत स्टेज-II मानदंड के नाम से ज्ञात यूरो-II मानदंडों के समान कठोर उत्सर्जन मानदंड अंगीकृत किया जाना, उचित अनुपात में गुणवत्ता वाले ईंधन की शुरूआत, ऑटो ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) का अंगीकृत करना तथा यातायात प्रबंधन शामिल हैं।

किसानों की दयनीय स्थिति

578- श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री राजो सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में कृषि उपज के मूल्य में गिरावट के चलते किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है और किसानों को अपनी उपज के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि आदान के बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि लागत को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में बिहार के केन्द्रों सहित कुछ चुनिन्दा केन्द्रों पर विशेष कृषि जिंसों के थोक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि नीति (एन.ए.पी.) में, अन्य बातों के साथ-साथ आदानों के कुशल उपयोग तथा उनकी सुनिश्चित उपलब्धता परिकल्पित है। चावल, गेहूं और मोटे अनाज की वार्षिक रूप से निर्मुक्त/अभिज्ञात किस्मों को लोकप्रिय बनाने और किसानों को अद्यतन उत्पादन प्रौद्योगिकी से परिचित कराने के लिए देश में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के मिनिकिट कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीज बैंक की स्थापना की गई है। कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार यूरिया, जो एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, का फार्म गेट निर्धारित करती है, जबकि विनियंत्रित उर्वरकों के मामले में यह डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरिएट आफ पोटाश और मिश्र उर्वरकों हेतु रियायत स्कीम के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य का उल्लेख करती है। सिंगल सुपर फास्फेट मामले में निर्देशक न्यूनतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं और इसमें मुख्य कृषि जिंसों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और उनकी खरीद शुरू करना, मंडी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन और आयातों को हतोत्साहित करने और निर्यातों को उत्साहित करने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग शामिल हैं।

कृषि जिंसों के थोक मूल्य का लगातार मानिटरन किया जाता है और बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आने की घटनाएं खरीद कार्य शुरू करने के लिए संबंधित नामित केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण को भेजी जाती हैं। यदि मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाते हैं, तो नामित केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण से अपेक्षित है कि वे मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए मंडी में हस्तक्षेप करें। हाल के वर्षों में कृषि जिंसों की रिकार्ड खरीद की गई है।

[हिन्दी]

वर्षा जल संचयन योजना

579. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रूफ टाप वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित करने के लिए इसे औद्योगिक स्थापनाओं के लिए अनिवार्य बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में कोई कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों के "अधिसूचित" क्षेत्रों, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नगर निगम, हरियाणा, गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश और गुड़गांव शहर और गुड़गांव जिला, हरियाणा के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों तथा विभिन्न संगठनों को अपने परिसर के अन्दर 31.3.2002 तक छत के वर्षा जल के संचयन संबंधी नीतियों की अनुपालना करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है।

(ख) और (ग) प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना करने की दृष्टि से प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्रों में लोगों को छत के वर्षा जल के संचयन के संबंध में तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और 12 जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे।

अफगानिस्तान और भारत के बीच उड़ान शुरू करना

580. श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा. अशोक पटेल :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान और भारत के बीच नियमित उड़ान शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोनों देशों के बीच कितनी उड़ानें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) नियमित उड़ानों के कब से शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) 25 जनवरी, 2002 को भारत सरकार तथा अफगानिस्तान सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हुए हस्ताक्षरों के अनुसार दोनों देशों की नामित एयरलाइनें विर्निदिष्ट मार्गों पर किसी भी प्रकार के विमान से प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह अधिकतम 1600 सीटें प्रचालित करने के हकदार होंगे।

इसके अतिरिक्त, ईरान की नामित एयरलाइन महन एयर को भी तेहरान से दिल्ली तक काबुल होते हुए प्रत्येक सप्ताह 2 सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है।

(च) वास्तविक प्रचालन का मुद्दा संबंधित एयरलाइन के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। वर्तमान में इंडियन एयरलाइन की काबुल के लिए सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में नेशनल रिवर एक्शन प्लान के तहत किए गए अध्ययन

581. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आज तक ब्यास, सतलुज, यमुना नदियों और मंडी जिले में रिवालसर झील का पुनरुद्धार करने के लिए और हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र परीक्षण प्रयोगशाला की स्वच्छता सर्वेक्षण आदि के बारे में अनेक संस्थाओं द्वारा कितने अध्ययन किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार के पास धनराशि के आबंटन हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ग) अब तक धनराशि आबंटित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों के लिए कब तक धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

1. हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी में प्रदूषण भार के मूल्यांकन के लिए 78.60 लाख रुपए का प्रस्ताव, जो 1994 में प्राप्त हुआ था।

2. ब्यास नदी के किनारे 11 नगरों में प्रदूषण निवारण के लिए 78.41 करोड़ का प्रस्ताव, जो 2000 में प्राप्त हुआ था।

सतलुज नदी के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नदी क्षेत्र की जल गुणता निर्धारित मानदण्डों की सीमा में थी। ब्यास नदी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को सही लागत के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 70 : 30 की लागत हिस्सेदारी के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाना था। दसवीं योजना के दौरान मंत्रालय, प्राथमिकता एवं राशियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राज्यों में कार्य आरम्भ करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार से यमुना नदी एवं रिवालसर झील के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कोयला खानों में महिला कामगार

582. श्री विकास चौधरी :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में अनुषंगी कम्पनी-वार कितनी महिला कामगार काम कर रही हैं;

(ख) क्या महिला कामगारों की संख्या में कोई कमी की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अनुकम्पा के आधार पर महिला अभ्यार्थियों को काम पर रखना बन्द कर दिया है;

(च) यदि हाँ, तो आज की तारीख के अनुसार ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के पास ऐसे अभ्यार्थियों के कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ऐसी महिला अभ्यार्थियों को रोजगार दें?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कंपनी-वार संख्या नीचे दी गई है :

कंपनी	30.6.2001 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9084
भारत कोकिंग कोल लि.	8380
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	5941
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3566
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3276
महानदी कोलफील्ड्स लि.	902
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	420
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	286
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	143
दानकुनी कोल काम्पलेक्स	21
कोल इंडिया लि. (मु.)	180
जोड़	32199

(ख) जी, हां। 1.4.2000 को 33871 की तुलना में 30.6.2001 को महिला कर्मचारियों की संख्या घटकर 32199 हो गई।

(ग) और (घ) कोयला उद्योग में काम खतरनाक प्रकृति का है और इसलिए महिला कर्मचारियों को रोजगार देने की सीमित गुंजाइश है। तथापि, भूमिगत प्रचालनों में तथा दूसरी और तीसरी पाली में उनको नियोजित करने पर प्रतिबंध है। इन कारणों से महिला कर्मचारियों का लिया जाना, उनके पति की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित रोजगार तक ही सीमित है।

(ङ) जी, नहीं। सी.आई.एल. और ई.सी.एल. ने अनुकम्पा के आधार पर महिला उम्मीदवारों को नियोजित करने पर रोक नहीं लगाई है हालांकि महिला उम्मीदवारों को रोजगार के बदले आर्थिक मुआवजा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसका भुगतान अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने तक किया जाता है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

नारियल उत्पादक संकट में

583. श्री के. मुरलीधरन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में नारियल उत्पादक नारियल, नारियल खोपड़ा और नारियल तेल के बढ़ते आयात के कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो नेफेड के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य

योजना के तहत नारियल खोपड़ा की खरीद पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार को ज्ञात है कि हाल ही के वर्षों में नारियल, खोपरे तथा नारियल तेल के दामों में गिरावट आई है और इसका एक कारण देश में पामोलिन का भारी मात्रा में आयात है। बहरहाल, सरकार ने आर.बी.डी. पामोलिन पर आयात शुल्क 85% तक बढ़ाने तथा कच्चे पाम आयल पर इसे 65% तक बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने वर्ष 2000 मौसम के दौरान केरल में 85,410 मी. टन खोपरे की खरीद की है। वर्ष 2001 मौसम के दौरान खोपरे की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है।

[हिन्दी]

गोवध पर प्रतिबंध

584. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया है और किन राज्यों में गोवध जारी है;

(ख) क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व गोवध को निषिद्ध करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गोवध पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) राज्य नीति के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 48 में उल्लिखित है कि "राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर नस्लों के संरक्षण और उन्नयन, और गाय तथा बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भारवाही गोपशुओं की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाएगा।"

तथापि, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के तहत तथा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 246 (3) में निहित है कि गोपशु संरक्षण एक ऐसा मामला है जिसके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को ही है। संगत प्रविष्टि अर्थात् संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 15

उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गाय और इसकी संतति की हत्या पर रोक/प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है :

राज्य :– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर।

संघ शासित प्रदेश :– अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गाय और इसकी संतति की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया है;

राज्य :– अरूणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।

संघ शासित प्रदेश :– लक्षद्वीप।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मत्स्य उत्पादन

585. श्री के.पी. सिंह देव :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की विशाल संभावना है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा में काफी गुंजाइश है। राज्य के पास 1.44 लाख टन की समुद्री संसाधन क्षमता है जिसमें से वर्तमान उत्पादन 1.23 लाख टन प्रतिवर्ष है। राज्य में लगभग 9000 है. खारा जल क्षेत्र है जो झींगा पालन के लिए उपयुक्त है तथा 1,14,839 है. तालाब और टैंक हैं जो ताजा जल जलकृषि के लिए उपयुक्त हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य की योजनागत स्कीमों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जैसे कि दो घटकों के साथ समुद्री मात्स्यिकी का विकास नामत: (1) पारंपरिक यानों का मोटरीकरण (2) 20 मीटर से कम छोटे यांत्रिकृत मत्स्यन

यानों को आपूर्तित एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति, (ख) बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाह, (ग) ताजा जल जलकृषि का विकास और (घ) समेकित तटवर्ती जलकृषि।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 2400 नावों को एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए राजसहायता दी गई है और 1540 नावों को मोटरीकरण के लिए स्वीकृत किया गया है। 7460 है. ताजा जल क्षेत्र तथा 125 है. खारा जल क्षेत्र को मत्स्य/झींगा पालन के तहत लाया गया है। इस अवधि के दौरान 679.62 लाख रुपए की राशि केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी की गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खजुराहो के निकट सर्वेक्षण

586. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तस्कर कथित रूप से खजुराहो के निकट मूर्तियों का उत्खनन करते हुए पाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खजुराहो के निकट सम्पूर्ण क्षेत्र का अब सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब तक सर्वेक्षण पूरा करने और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए छिपे खजाने को उजागर करने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) खजुराहो के आसपास के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों से किसी ऐसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) 1980 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खजुराहो के आसपास के क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। पुरातत्व महत्व के 18 स्थल नोट किए गए थे। इनमें सतृधारा तथा बीजामंडल का उत्खनन क्रमशः 1980-1986 तथा 1998-2000 के बीच किया गया था। अन्य टीलों के उत्खनन पर सोच-विचार नहीं किया गया है क्योंकि वे भावी अनुसंधान के लिए परिरक्षित हैं।

विमानपत्तन की भूमि का अतिक्रमण

587. श्री वाई.वी. राव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ शहरों में विमानपत्तनों का अतिक्रमण किए जाने की सूचना है,

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आये ऐसे मामलों के विवरण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसा अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई अड्डों पर अतिक्रमण की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है।

(ग) ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने और/अथवा उनका पुनर्वास करने की दिशा में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ यह मामला उठाया है, हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग/चारदीवारी बनाई गई है और अतिक्रमणकर्ताओं से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि के संरक्षण के लिए ब्रीचों की मरम्मत की है/पुल बनाए गए हैं; अतिक्रमणकर्ताओं पर निरंतर नजर रखने तथा परिसीमा में आसान अभिगम्यता हेतु चारदीवारी के साथ मोटरेबल रोड का निर्माण, मुंबई में जारी मारी (रफीक नगर) क्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमणकर्ताओं की शिफ्टिंग/हटाने/पुनर्वास करने का कार्य राज्य सरकार की मदद से प्रगति पर है। मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर बसे अतिक्रमणकर्ताओं से सुरक्षा संबंधी खतरा है उनकी पहचान की जा रही है ताकि उनको महाराष्ट्र सरकार की सहायता से साल्ट पान एरिया में शिफ्ट किया जा सके, इसी तरह एलजीबीआई हवाई अड्डा गुवाहाटी में डैग नं. 220 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग एक एकड़ भूमि को उचित कानूनी प्रक्रिया और पीपीई बेदखली कार्यवाही करने के बाद अतिक्रमणकर्ताओं से मुक्त कराया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा परिरक्षित मंदिर

588. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाँधी :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा परिरक्षित मंदिरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार प्रत्येक मंदिर के रख-रखाव की वार्षिक लागत कितनी है;

(ग) क्या घोरन तहसील में शेगाँव में स्थित मंदिर दयनीय स्थिति में है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस मंदिर के परिरक्षण और रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित मंदिरों की मंडलवार संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य की घोरन तहसील के शेगाँव में स्थित मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। अत: यह मंदिर, इसके अनुरक्षण के निर्मित्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

विवरण

क्र.सं. नाम	मंडल का संख्या	मन्दिरों की	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	110	5,91,100	8,36,495	2,69,310
2.	औरंगाबाद	99	14,37,981	10,50,674	9,57,485
3.	बंगलौर	129	61,47,419	76,30,707	98,95,146
4.	भोपाल	103	1,02,64,449	96,17,542	78,76,410
5.	भुवनेश्वर	68	42,32,635	50,81,709	55,96,724
6.	कलकत्ता	41	17,45,333	22,34,334	14,00,399
7.	चंडीगढ़	27	48,10,511	46,59,382	39,23,422
8.	चेन्नई	103	76,64,005	74,66,167	76,97,958
9.	दिल्ली	--	--	--	--
10.	धारवाड़	36	34,56,163	39,89,945	41,18,476
11.	गोवा	2	51,836	1,78,773	2,95,539
12.	गुवाहाटी	28	2,15,500	5,59,300	7,45,900
13.	हैदराबाद	136	40,59,649	47,41,678	67,59,066
14.	जयपुर	54	30,99,730	54,94,435	47,21,051
15.	लखनऊ	104	41,66,967	26,91,265	29,47,493
16.	पटना	4	95,967	1,14,311	4,75,938
17.	श्रीनगर	30	24, 25, 210	31, 21, 603	33, 00, 606

1	2	3	4	5	6
18.	त्रिसूर	16	36,87,119	37,89,986	42,44,480
19.	बड़ोदरा	39	16,07,883	20,18,402	27,26,818
	जोड़	1129	5, 97,59,453	6,52,76,708	6,79,52,221

[अनुवाद]

व्यापक कृषि विकास परियोजना

589. श्री दिन्शा पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार, अल्कली मिट्टी का उद्धार, तटीय खारापन प्रवेश रोकथाम योजनाओं सहित अनेक व्यापक कृषि विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) गुजरात राज्य की "सरस्वती और शत्रुन्जी नदी बेसिन में समेकित विकास कार्यक्रम के जरिए पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार" पर परियोजना प्रस्ताव जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के अधीन वित्तीय सहायता हेतु परियोजना पर विचार करने के लिए सिफारिशों सहित आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

"गुजरात राज्य में क्षारीय मृदा के सुधार" और "सौराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में लवणता प्रवेश की रोकथाम हेतु अग्रणी परियोजना" पर संशोधित परियोजना प्रस्तावों की जांच की गई है तथा योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेज दिए गए हैं।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना से गन्ने की फसल को अलग करना

590. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की फसल को इससे निकालने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के संबंध में समीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने की फसल के मामले में योजना को ऐच्छिक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समीक्षा में गन्ने की फसल को निकालने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी ऋण प्रणाली का पुनरुद्धार

591. श्री ई. अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में सहकारी ऋण प्रणाली का क्या योगदान है;

(ख) क्या सरकार का विचार सहकारी ऋण प्रणाली का पुनरुद्धार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 2000-01 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सहायता में सहकारी प्रणाली का योगदान 41% था।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली के पुनरुद्धार हेतु उपायों पर सुझाव देने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया, जिसे "कपूर समिति" के नाम से भी जाना जाता है। कपूर समिति द्वारा यथा संस्तुत पुनरुद्धार पैकेज को कार्यरूप देने के लिए भारत सरकार ने वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में चयनित राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया है।

उड़ीसा में मैनग्रोव का विनाश

592. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के केन्द्रपारा जिले में भिटरकनिका नेशनल पार्क और उसके आस-पास में बसे ग्रामवासियों ने इस क्षेत्र में कृषि को बढ़ाने और मत्स्यपालन शुरू करने के लिए मैनग्रोव को नष्ट कर दिया था जैसाकि 6 जनवरी, 2002 के "दि इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चक्रवात से इन ग्रामीणों की रक्षा करने वाले मैनग्रोव को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भिटारकनिका राष्ट्रीय उद्यान और भिटारकनिका वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर लगभग 400 ग्राम स्थित हैं। कृषि एवं कृषि इतर उपयोग के लिए भूमि की मांग बढ़ने से इन क्षेत्रों में भारी जैवीय दबाव है और कच्छ (मैनग्रोव) वनों का दोहन हुआ है।

(ख) भिटारकनिका को 1975 में अभयारण्य और 1998 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भिटारकनिका में कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें अवक्रमित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति की पौधरोपण, पुनरुद्धार और सुरक्षा शामिल है। भिटारकनिका राष्ट्रीय उद्यान में और उसके चारों ओर गश्त तेज कर दी गई है और पारि-विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है ताकि कच्छ वनस्पतियों पर दबाव को कम किया जा सके। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 तथा उड़ीसा की अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के उपबंधों के अन्तर्गत राज्य में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को सी आर जैड-I के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत कृषि, मछलीपालन और निर्माण संबंधी गतिविधियां निषिद्ध हैं।

हैदराबाद से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

593. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज, स्विस एयर और सिंगापुर एयरलाइंस नामक कुछ अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने हैदराबाद के एक प्रमुख साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के रूप में विकसित होने के कारण विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों के लिए (लंदन-हैदराबाद) जेनेवा-हैदराबाद, सिंगापुर-हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानों को शुरू करने की इच्छा जाहिर की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) सिंगापुर सरकार अपनी नामित विमान कंपनी के लिए हैदराबाद को अतिरिक्त अवतरण स्थल बनाने हेतु अनुरोध करती रही है। तथापि, ब्रिटिश एयरवेज और स्विस एयर जिसने हैदराबाद तक वैमानिक प्रचालन करने में पिछले समय में अभिरुचि दर्शायी थी, ने इसका अनुसरण/अनुपालन नहीं किया है।

(ख) इस समय हैदराबाद इन एयरलाइनों के अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है। जब कभी भी संबंधित सरकारों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा विचार-विमर्श किया जाता है, तब उस क्रम में ऐसे अनुरोधों पर विचार किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु विशेष घटक योजना और आदिवासी उप-योजना के तहत धनराशि

594. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए वर्ष 1978 से विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के तहत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के तहत उनके मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं/कार्यक्रमों की शुरूआत से उनकी प्रकृति, क्षेत्र और लक्ष्य समूहों का उल्लेख करते हुए तैयार की गई/कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी धनराशि की मांग की गई और प्राप्त की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार की देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु विभिन्न योजना स्कीमें हैं। सभी स्कीमें अवसंरचना को सुदृढ़ करने और पर्यटन के प्रचार एवं विपणन तथा मानव संसाधन विकास के लिए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के अधीन निधियों का कोई अलग आबंटन नहीं होता। तथापि, अवसंरचना के विकास, जैसी स्कीमों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भी लाभ मिलता है, जिसके लिए निधियां, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित की जाती हैं।

मानव संसाधन विकास की स्कीम के अधीन, पर्यटन विभाग होटल प्रबंध संस्थानों तथा भोजन कला संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन संस्थानों में प्रवेश योग्यता तथा सरकार की नीति के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लागू आरक्षण के आधार पर दिया जाता है। जहां तक संस्कृति मंत्रालय का संबंध है, विशेष घटक योजना (एस सी पी) तथा आदिवासी उप-योजना (टी एस पी) के अधीन कोई विशिष्ट

योजनाएं/कार्यक्रम नहीं हैं। तथापि जनजातीय लोक कलाओं के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता से संबंधित एक योजना है। इस योजना के अधीन, जनजातीय लोक कलाओं के संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन करने के लिए वैयक्तिकों तथा संगठनों को धनराशि प्रदान की जाती है।

कर्नाटक में मछुआरों के लिए मकानों का निर्माण

595. श्री जी.जे. जावीया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 50 : 50 के आधार पर कर्नाटक में मछुआरों के लिए मकान बनाने के लिए योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना का विस्तार अन्य तटीय राज्यों तक करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 1997-98 के दौरान 85.00 लाख रुपए और 1999-2000 के दौरान 12.50 लाख रुपए की राशि जारी की थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। केन्द्र सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श मछुआरा गांवों का विकास घटक के साथ राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इस घटक के तहत अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र में पात्र मछुआरों को घर, पीने का पानी और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का यह दायित्व है कि वे इन सुविधाओं के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। एक मछुआरा गांव में 10 से कम घर नहीं होंगे। एक गांव में निर्मित किए जाने वाले घरों की संख्या के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। यह उस गांव में पात्र मछुआरों की संख्या पर निर्भर करेगी। तथापि, जहां तक संभव हो राज्य पात्र मछुआरों की संख्या के अनुपात में सभी गांवों के बीच घरों का समान वितरण सुनिश्चित करेगा। एक घर के निर्माण का कुर्सी क्षेत्रफल तथा लागत क्रमश: 35 वर्ग मीटर और 40,000 रुपए तक सीमित होगी। भूमि और निर्माण की सीमा अधिकतम सीमा को दर्शाती है। निर्माण की लागत राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच समान रूप से वहन की जाएगी। तथापि, संघ शासित प्रदेशों के मामले में सम्पूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

केन्द्रीय भंडार में अनियमितताएं

596. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री केन्द्रीय भंडार में अनियमितताओं के बारे में 19 नवंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निरीक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गयी है। रिपोर्ट की जांच के बाद, बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों के लिए पुनर्वास पैकेज

597. श्री अम्बरीश :
श्री कमल नाथ :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास घाटे में चलने वाली सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का पुनर्वासा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न योजनाओं में कोयले की अनुमानित मांग और वास्तविक उत्पादन के बीच के अंतर को भरने के लिए क्या उपाय किये जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सहायक कम्पनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं। घाटे में चल रही कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद ये कम्पनियां घाटे

में चल रही हैं इसलिए उनकी निवल आय ऋणात्मक हो गयी है। इन कम्पनियों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) को रूग्टा औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन सन्दर्भित किया गया है क्योंकि अधिनियम की धारा 3 (i) (o) के अर्थ में कम्पनियां रुग्ण हो गयी हैं। सरकार प्रत्येक कम्पनी को फिर से चालू करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को फिर से चालू करने के लिए कदम उठा रही है।

(ग) 10वीं और 11वीं योजनावधि के अन्त में कोयले की प्रक्षेपित मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 राज्य सभा में पुरःस्थापित किया है। संशोधनकारी विधेयक में कोयला तथा लिग्नाइट के नए ब्लाकों में गैर-ग्रहीत कोयला खनन को चालू करने तथा कोयला और लिग्नाइट के संसाधनों के अन्वेषण के लिए भी भारतीय कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई अनियमितताएं

598. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत देश में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनियमितता की जाती है तो क्या सरकार उन पर नजर रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कितने गैर-सरकारी संगठन अनियमितता में शामिल हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में इस मंत्रालय के अधीन कोई गैर-सरकारी संगठन कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरक्षित रिक्तियों का बकाया

599. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक् और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गई बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत 4 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में कपास का उत्पादन

600. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कपास के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसानों को कपास का पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) गुजरात में कपास उत्पादन में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 में निम्न विवरणानुसार गिरावट आई है :-

वर्ष	उत्पादन (170 किलोग्राम की '000 गांठें)
1998-99	3903.0
1999-2000	2085.6
2000-2001	1161.4

(ख) वर्ष 1999 तथा वर्ष 2000 के मानसून मौसम के दौरान गुजरात में वर्षा कम हुई, जिससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण राज्य में कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ग) चालू मौसम के दौरान गुजरात में कपास की कुछ किस्मों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे रहे और भारतीय कपास निगम, जो केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है, गुजरात में खोले गए 33 खरीद केन्द्रों के माध्यम से कपास की लगातार खरीद कर रहा है और इसने 26.2.2002 तक कपास की 170 किलोग्राम प्रत्येक की 199745 गांठों की कुल खरीद की है। खरीद की कार्रवाई चल रही है।

(घ) सरकार ने कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) आयात रोकने के लिए आयात शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% करना (दिनांक 9.1.2002 से लागू),

(ii) प्रत्येक मौसम में कपास की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना,

(iii) भारतीय कपास निगम के माध्यम से मूल्य समर्थन प्रचालन करना,

(iv) कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रमाणित बीजों की आपूर्ति, विपणन के आधारभूत ढांचे में सुधार एवं मौजूदा जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के उद्देश्य से 593 करोड़ रु. के कुल आबंटन से चार उप मिशन वाले एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मशीनरी का आयात

601. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा मशीनरी/उपकरणों के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है;

(ग) क्या ये मशीनरी/उपकरण देश में भी उपलब्ध थे; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे आयात के पीछे कौन-से कारक हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा मशीनरी/उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा सहित खर्च की गई राशि और देश में आयात के कारणों सहित मशीनरी/उपकरणों की उपलब्धता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मशीनरी/ उपकरण	खर्च की गई राशि (रुपए) *	विदेशी मुद्रा (एफ.ओ.बी.)	क्या देश में उपलब्ध है	आयात के कारण
1998-99				
फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर	4,26,30,267	यूएस डालर 609630 1 डालर = रु. 42.10	हां	प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई। न्यूनतम तकनीकी-वाणिज्यिक निविदाकर्ता को आदेश दिए गए।
10 क्यू.मी. इलै. रोप शावेल	12,19,00,000	यूएस डालर 22,00,000 1 डालर = रु. 42.10	हां	-वही-
320 एच.पी. डोजर	7,92,81,000	यूएस डालर 13,60,521 1 डालर = रु. 42.10	हां	-वही-
कुल	24,38,11,267	यूएस डालर 41,70,151 रु. 17,55,63,357		

मशीनरी/ उपकरण	खर्च की गई राशि (रुपए) *	विदेशी मुद्रा (एफ.ओ.बी.)	क्या देश में उपलब्ध है	आयात के कारण
विश्व बैंक				
10 क्यू.मी. इलै. शावेल, 120 टी. डम्पर, 250 एम.एम. ड्रिल, 300 के.वी. व्हील डोजर, 600 के.वी. क्रावलर डोजर	11872890,000 (सी.आई.एफ. मूल्य)	यूएस डालर 184693051.92 + जापानी येन 7440751395	हां	**चूंकि अधिप्राप्ति विश्व बैंक ऋण से की गई थी, शर्तों और निबंधों के अनुसार वैश्विक निविदा आमंत्रित की जानी थी। अधिप्राप्ति न्यूनतम तकनीकी - वाणिज्यिक आधार की की गई।**
1999-2000				
स्वत: श्वसन उपकरण	1,68,61,785	डीएम 6,38,704 1 डीएम = रु. 24	भारत में उपलब्ध नहीं	भारत में अनुपलब्धता के कारण
उपर्युक्त के लिए यूनिवर्सल टेस्टर	15,89,394	डीएम 38,104 1 डीएम = रु. 24	-वही-	-वही-
1999-00 हेतु जोड़	1,84,51,179	डीएम 6,76,808 रु. 1,62,43,392		
2000-01				
460 एच.पी. व्हील डोजर	7,80,00,000	यूएस डालर 12,03,600 1 डालर = रु. 46.54	भारत में उपलब्ध नहीं	भारत में अनुपलब्धता के के कारण
श्वसन उपकरणों के परीक्षण हेतु कम्प्यूटरीकृत परीक्षण यंत्र	35,56,198	डीएम 85,256 1 डीएम = रु. 24	-वही-	-वही-
स्वत: श्वसन उपकरण	1,20,71,500	डीएम 4,57,254 1 डीएम = रु. 24	-वही-	-वही-
रासायनिक प्रकार का सेल्फ रेस्क्यूअर	46,71,744	डीएम 1,12,000 1 डीएम = रु. 24	-वही-	-वही-

मशीनरी/ उपकरण	खर्च की गई राशि (रुपए) *	विदेशी मुद्रा (एफ.ओ.बी.)	क्या देश में उपलब्ध है	आयात के कारण
फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर	5,23,08,580	यूएस डालर 6,46,691 1 डालर = रु. 46.54	हां	प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई। न्यूनतम तकनीकी-वाणिज्यिक निविदाकर्ता को आदेश दिए गए।
2000-01 हेतु जोड़	15,06,08,022	यूएस डालर 18,50,291 रु. 8,61,12,543 डीएम 6,54,510 रु. 1,57,08,240 कुल . रु. 10,18,20,783		

* रु. के आंकड़ों में रुपए में परिवर्तित एफ.ओ.बी. मूल्य जमा शुल्क जमा भाड़ा और बीमा शामिल है।

टिप्पणी :

हैम की मात्रा :-

1998-99 : 10 क्यू.मी. शावेल-1,320 एच.पी. डोजर-9

2000-01 : 460 एच.पी. व्हील डोजर-4

10 क्यू.मी. शावेल - 22, 120 टी डम्पर-160, 250 एम.एम. ड्रिल - 34, 300 के.वी. व्हील डोजर-35,

600 के.वी. क्रावलर डोजर-5

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

602. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से दिसंबर 2001 के दौरान प्याज, चीनी, लहसुन, चावल, गेहूँ आदि जैसे कृषि पर आधारित उत्पादों के आयात/निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में वर्तमान समय में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि आधारित उत्पादों के आयात को रोका जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) प्याज, चीनी, लहसुन, चावल एवं गेहूं के आयात व निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादों सहित 300 संवेदनशील वस्तुओं के आयात की मानिटरिंग करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को कोई कठिनाई न आए, सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयात मानिटरन के लिए एक समुचित तंत्र स्थापित किया है और सरकार विश्व व्यापार संगठन के संबद्ध विभिन्न उपायों जिनमें बंधित स्तर के भीतर अनुप्रयुक्त टेरिफ का समुचित निर्धारण एवं कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत एंटी डम्पिंग तथा उसके बराबर शुल्क लगाना एवं सुरक्षात्मक कार्रवाई करना शामिल है, के माध्यम से स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

इन उपायों के अंग के रूप में, वर्ष 2001-2002 के दौरान, खाद्य तेलों (अपरिष्कृत तथा परिष्कृत दोनों), चाय, कॉफी, खोपरा एवं नारियल तथा कुछ अन्य कृषि जिन्सों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। इस समय दुग्ध पाउडर तथा मांस एवं मुर्गे पर क्रमशः 60% तथा 100% की दर से बढ़ा हुआ आयात शुल्क प्रभारित किया जाता है।

विवरण-I

मात्रा (मी.टन) मूल्य (लाख रुपये)

विभिन्न कृषि उत्पादों का आयात

	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 (अक्तूबर, 2001 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूँ	1803700	116478.26	1365967	77434.69	4224	287.45	1351	83.84
चावल	6654	540.65	34991	2994.82	13203	1779.00	62	5.98
चीनी	900471	111122.49	1181183	111079.9	30612	3136.2	26529 2001-02 (अगस्त 2001 तक)	3242.56
प्याज	3799	604.45	–	–	–	–	–	–
लहसुन	5189	929.55	11636	1962.13	2984	514.19	2224	451.10

मात्रा (मी. टन) मूल्य (लाख रुपये)

विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात

	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 (अक्तूबर, 2001 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूँ	1763	135.79	4	0.26	879480	44422.54	1236077	65986.70
चावल (बासमती)	597793	187690.2	638382	178033.83	848919	214194.32	297491	95492.82
चावल, बासमती के अलावा	436588	440364.53	1257793	134558.38	683194	78415.76	420507	49300.70
चीनी	12735	1735.93	12890	1813.5	331184	42773.53	1042193 2001-02 (अगस्त, 2001 तक)	12361.00
प्याज	219943	20368.61	268395	25960.15	350479	31597.07	204795	15438.87
लहसुन	3592	407.57	8066.03	1025.03	4443	516.36	198	45.3

विवरण-II

कृषि सांख्यिकी प्रभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

केवल सरकारी प्रयोग के लिए
22.01.2002 की स्थिति के अनुसार
(मिलियन मी. टन)

वर्ष 2001-02 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान

फसल	मौसम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 अंतिम	लक्ष्य 2001-02	2001-2002@ (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
चावल	खरीफ	66.32	66.37	65.24	70.72	72.60	67.88	71.32	72.53	72.72	77.48	73.74	77.98	78.70
	रबी	7.97	8.31	7.62	9.58	9.21	9.10	10.41	10.01	13.36	12.20	11.53	14.02	12.35
	कुल	74.29	74.68	72.86	80.30	81.81	76.98	81.73	82.54	86.08	89.68	84.87	92.00	91.05
गेहूं	रबी	55.14	55.69	57.21	59.84	65.77	62.10	69.35	66.35	71.29	76.37	68.76	78.00	73.06
ज्वार	खरीफ	8.33	5.71	9.38	7.28	5.87	5.66	6.99	4.96	5.28	4.82	4.67	6.15	4.20
	रबी	3.35	2.39	3.43	4.13	3.10	3.67	3.95	2.57	3.13	3.87	3.05	3.35	4.01
	कुल	11.68	8.10	12.81	11.41	8.97	9.33	10.94	7.53	8.41	8.69	7.72	9.50	8.21
बाजारा	खरीफ	6.89	4.67	8.88	4.97	7.16	5.38	7.87	7.64	6.95	5.78	7.06	6.95	6.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मक्का	खरीफ	8.96	6.96	8.94	8.53	7.64	8.34	9.18	9.43	9.54	9.71	10.48	10.00	10.60
	रबी		1.10	1.05	1.07	1.24	1.19	1.59	1.39	1.61	1.80	1.59	2.00	1.84
	कुल	8.96	8.06	9.99	9.60	8.88	9.53	10.77	10.82	11.15	11.51	12.07	12.00	,12.44
रागी	खरीफ	2.34	2.58	2.53	2.60	2.34	2.50	2.34	2.09	2.61	2.29	2.74	2.40	2.34
छोटे	खरीफ	1.19	0.88	0.87	0.92	0.80	0.78	0.73	0.64	0.67	0.62	0.60	0.65	0.53
	कदन्न													
जौ	रबी	1.64	1.70	1.51	1.31	1.73	1.51	1.46	1.68	1.54	1.45	1.43	1.50	1.58
मोटा	खरीफ	27.71	20.80	30.60	24.30	23.81	22.66	27.11	24.76	25.05	23.22	25.55	26.15	24.48
	अनाज													
	रबी	4.99	5.19	5.99	6.51	6.07	6.37	7.00	5.64	6.28	7.12	6.07	6.85	7.43
	कुल	32.70	25.99	36.59	30.81	29.88	29.03	34.11	30.40	31.33	30.34	31.62	33.00	31.91
अनाज	खरीफ	94.03	87.17	95.84	95.02	96.41	90.54	98.43	97.29	97.77	100.70	98.89	104.13	103.18
	रबी	68.10	69.19	70.82	75.93	81.05	77.57	86.76	82.00	90.93	95.69	86.36	98.87	92.84
	कुल	162.13	156.36	166.66	170.95	177.46	168.11	185.19	179.29	188.70	196.39	185.25	203.00	196.02
तूर	खरीफ	2.41	2.13	2.33	2.69	2.14	2.31	2.66	1.85	2.71	2.69	2.26	2.90	2.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अन्य खरीफ दलहन	खरीफ	3.00	2.29	3.30	2.69	2.52	2.27	2.83	2.44	2.43	2.12	2.21	3.10	2.79
चना	रबी	5.36	4.12	4.42	4.98	6.44	4.98	5.57	6.13	6.80	5.12	3.52	6.00	4.49
अन्य रबी दलहन	रबी	3.49	3.48	2.77	2.95	2.94	2.75	3.19	2.55	2.97	3.48	2.68	3.00	3.39
कुल दलहन	खरीफ	5.41	4.42	5.63	5.38	4.66	4.58	5.49	4.29	5.14	4.81	4.47	6.00	5.27
	रबी	8.85	7.60	7.19	7.93	9.38	7.73	8.76	8.68	9.77	8.60	6.20	9.00	7.88
	कुल	14.26	12.02	12.82	13.31	14.04	12.31	14.25	12.97	14.91	13.41	10.67	15.00	13.15
कुल खाद्यान्न	खरीफ	99.44	91.59	101.47	100.40	101.07	95.12	103.92	101.58	102.91	105.51	103.36	110.13	108.45
	रबी	76.95	76.79	78.01	83.86	90.43	85.30	95.52	90.68	100.70	104.29	92.56	107.87	100.72
	कुल	176.39	168.38	179.48	184.26	191.50	180.42	199.44	192.26	203.61	209.80	195.92	218.00	209.17

[अनुवाद]

संकर चावल उगाया जाना

603. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में संकर चावल उगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान संकर चावल उगाने के लिए उस राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए ही संकर चावल किस्मों का विकास किया गया है।

(ग) और (घ) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश में संकर चावल के विकास के लिए कार्य कर रहा है। 9 चावल संकरों को आशाजनक पाया गया है जिनके कार्यनिष्पादन को रिकार्ड करने के लिए बहु स्थानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के लिए किसी भी संकर चावल किस्म को अभी तक अधिसूचित/निर्मुक्त नहीं किया गया है, अत: विकासात्मक कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

604. श्री राजैया मल्याला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों और विधिक निकायों के प्रबंधन मंडल के प्रमुख/मुख्य कार्यकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक, सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय से पर्याप्त संख्या में तैनात/नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त/विधिक निकायों में उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त/तैनात किया गया; और

(घ) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं और उक्त अवधि के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति

605. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनको रोजगार प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारों की अनुमानित संख्या 9 मिलियन के लगभग थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (9 मिलियन में से) रखी नहीं गई है। तथापि योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या (कुल जनसंख्या में से) 26% के लगभग थी।

(ख) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है और इसे 10वीं योजना तथा उससे आगे के लिए प्रबोधनीय उद्देश्य माना गया। 10वीं योजना की विकास नीति में उन क्षेत्रों के द्रुत विकास पर बल दिया जाएगा, जहां उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा रोजगार सृजन में बाधक नीतिगत कठिनाइयों के समाधान की सम्भावना है।

सरकार रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 1.12.97 से चल रही है, जिसमें गरीबों को भी लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

परियोजनाओं/योजनाओं की पर्यावरण और वानिकी स्वीकृति

606. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री अनन्त नायक :
श्री राजो सिंह :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत/शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/उद्योगों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई और उनका राज्य-वार और परियोजना-वार कितना उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं/योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपलब्धि हासिल हुई और उक्त अवधि के दौरान धनराशि की कमी, कम उपयोग करने/उपयोग न करने के परियोजना/योजनावार क्या कारण है;

(ङ) दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं / योजनाओं / उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं और पर्यावरण और वानिकी स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और ये किस वर्ष से लंबित है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन प्रस्तावों को परियोजना-वार कब तक स्वीकृत और पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1994 की प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अन्तर्गत उद्योग, थर्मल पावर खनन और अवसंरचना परियोजना सैक्टर में कुल 368 विकासात्मक स्कीमों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। इसी प्रकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 2343 प्रस्तावों को वानिकी मंजूरी प्रदान की गई थी। चूंकि इन प्रस्तावों की विस्तृत सूची लंबी होगी इसलिए अनुमोदित प्रस्तावों का वर्ष और वार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूदी दी गई है उनके लिए आवश्यक राशियों की व्यवस्था संबंधित परियोजनाओं के प्रस्तावकों द्वारा करनी है। पर्यावरणीय/वानिकी मंजूरी प्रदान करते समय मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्तों की मानीटरिंग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है।

(च) इस समय पूरी सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी प्रदान करने के लिए क्रमशः 129 और 467 प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं। 25 फरवरी, 2002 तक लम्बित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) सामान्यतया पूरी सूचना प्राप्त होने पर परियोजनाओं पर 90 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क. पर्यावरणीय मंजूरी

क्रम सं.	राज्य	1999	2000	2001
1.	आंध्र प्रदेश	12	16	16
2.	असम	01	01	-
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	04	02	01
4.	अरूणाचल प्रदेश	-	04	01
5.	बिहार	01	03	04
6.	छत्तीसगढ़	-	-	04
7.	दिल्ली	-	01	-
8.	गोवा	05	05	05
9.	गुजरात	05	06	09
10.	हरियाणा	02	01	04
11.	हिमाचल प्रदेश	01	02	02
12.	झारखण्ड	-	-	-
13.	कर्नाटक	08	09	10

क्रम सं.	राज्य	1999	2000	2001
14.	केरल	02	02	05
15.	मध्य प्रदेश	01	03	01
16.	मणिपुर	-	-	-
17.	महाराष्ट्र	07	16	17
18.	मेघालय	-	-	02
19.	मिजोरम	-	-	02
20.	उड़ीसा	01	02	02
21.	पंजाब	03	03	02
22.	राजस्थान	12	08	05
23.	सिक्किम	01	-	-
24.	तमिलनाडु	21	19	30
25.	त्रिपुरा	-	-	01
26.	उत्तर प्रदेश	04	07	08
27.	उत्तरांचल	-	-	01
28.	पश्चिम बंगाल	01	04	02
29.	अन्य	-	04	02
	कुल	92	128	136

ख. वानिकी मंजूरी

क्रम सं.	राज्य	1999	2000	2001
1.	आंध्र प्रदेश	11	15	09
2.	असम	21	07	03
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	03	06	10
4.	अरूणाचल प्रदेश	10	04	26
5.	बिहार	-	01	04
6.	चण्डीगढ़	02	03	04
7.	छत्तीसगढ़	10	05	01
8.	दादर एवं नागर हवेली	22	14	14
9.	दिल्ली	-	01	-
10.	गोवा	02	01	03
11.	गुजरात	83	92	56
12.	हरियाणा	53	41	27
13.	हिमाचल प्रदेश	38	50	20
14.	झारखण्ड	03	03	03
15.	कर्नाटक	18	25	15
16.	केरल	04	08	07
17.	मध्य प्रदेश	11	30	16
18.	मणिपुर	01	01	-
19.	महाराष्ट्र	67	68	54
20.	मेघालय	06	10	11
21.	मिजोरम	04	05	02
22.	उड़ीसा	18	14	05
23.	पंजाब	80	104	81
24.	राजस्थान	29	16	15
25.	सिक्किम	03	13	14
26.	तमिलनाडु	24	15	09
27.	त्रिपुरा	30	44	15
28.	उत्तर प्रदेश	19	41	23

क्रम सं.	राज्य	1999	2000	2001
29.	उत्तरांचल	174	276	232
30.	पश्चिम बंगाल	03	02	-
	कुल	749	915	679

विवरण-II

25 फरवरी, 2002 को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ी हुई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	मंजूरी के लिए पड़े हुए प्रस्ताव पर्यावरणीय	वानिकी
1.	आंध्र प्रदेश	16	19
2.	असम	02	-
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	03	-
4.	अरूणाचल प्रदेश	-	04
5.	बिहार	01	03
6.	चण्डीगढ़	-	01
7.	छत्तीसगढ़	04	05
8.	दादर एवं नागर हवेली	-	04
9.	दिल्ली	-	05
10.	गोवा	03	03
11.	गुजरात	05	39
12.	हरियाणा	02	11
13.	हिमाचल प्रदेश	-	51
14.	झारखण्ड	-	08
15.	कर्नाटक	10	31
16.	केरल	03	04
17.	लक्षद्वीप	05	-
18.	मध्य प्रदेश	04	22
19.	मणिपुर	-	-
20.	महाराष्ट्र	22	83
21.	मेघालय	-	01
22.	मिजोरम	-	01
23.	उड़ीसा	09	25
24.	पंजाब	02	97
25.	राजस्थान	08	11
26.	सिक्किम	-	-
27.	तमिलनाडु	24	04
28.	त्रिपुरा	-	01
29.	उत्तर प्रदेश	02	08
30.	उत्तरांचल	-	23
31.	पश्चिम बंगाल	02	03
	अन्य	02	-
	कुल	129	467

कोयला माफिया

607. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कोयला माफिया उपभोक्ताओं से प्रति रेक लाखों रुपये की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कोयला माफियाओं को हटाकर इस संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों के पास आज की तारीख तक इस बात की कोई सूचना नहीं है कि कोयला माफिया उपभोक्ताओं से प्रति रेलवे रेक के लिए लाखों रुपयों की मांग कर रहे हैं। फिर भी, अनियमितताओं को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :-

(1) अनियमितता के विशिष्ट मामलों की सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक अनुषंगियों के सतर्कता विभागों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। जहां अनियमितता का आरोप सिद्ध होता है वहां दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं तथा दण्ड लगाया जाता है।

(2) सीबीआई, जहां अनियमितता के गंभीर मामले उनकी जानकारी में आते हैं उनमें अपने आप भी जांच प्रारंभ करती है। उनकी जांच के आधार पर, या तो अभियोजन चलाए जाते हैं, या विभागीय कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं।

(3) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित नॉन-कोर क्षेत्र में लिंक्ड उपभोक्ताओं के पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की मदद से एक अभियान शुरू किया गया है।

(4) कोयले के परिवहन में लगी भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों की कार्य-प्रणाली को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(5) राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके डिलीवरी आर्डर के दुरूप्रयोग तथा बहुप्रयोग को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं।

(6) भरे हुए रेकों को रेलवे वे-ब्रिजों तक सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा में ले जाना तथा लम्बे रेलवे ट्रैकों में जहां वैगनों को लूटने के लिए संभावना होती है, रेल में सुरक्षा बल के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करना।

(7) चोरी और उठाईगिरी के कार्य में पकड़े गये परिवहन वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना।

कदाचारों को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं :-

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा कोयला कंपनियों के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गहन पेट्रोलिंग करना।

(2) राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना।

(3) अवैध कोयला डिपो पर सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा छापे मारना।

(4) सुरक्षा कार्मिकों द्वारा अचानक जांच करना/छापे मारना।

(5) बदमाशों को स्थानीय पुलिस के हवाले करना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संग्रहालय में भ्रष्टाचार

608. डा. संजय पासवान : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 2002 को 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र में "सर्वोच्च न्यायालय की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी में भी घपला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सर्वोच्च न्यायालय की चल प्रदर्शनी के लिए आयुक्त नियुक्त करने तथा चेन्नई में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए भुगतान करने के संबंध में तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

609. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) आबंटित धनराशि के उपयोग न किए जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यय न की गई/अप्रयुक्त कुल राशि राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या कुल जिला समाहर्ताओं ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को बैंकों के चालू खाते में रखा है जिससे राजकोष के ब्याज की हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्यों की स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति के जारी होने के बावजूद भी कुछ मामलों में कार्य नहीं शुरू किए गए;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए/प्रस्तावित किए गए हैं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग करने हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जिलाध्यक्षों से प्राप्त सूचना के अनुसार सांसद स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत 1796 करोड़ रुपए, 2445 करोड़ रुपए तथा 2410 करोड़ रुपए क्रमशः 31.03.2000, 31.03.2001 तथा 31.01.2002 तक अप्रयुक्त बचे थे। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों, किए गए व्यय, अप्रयुक्त शेष तथा जारी की गई निधियों के प्रतिशत उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) सभी जिलाध्यक्षों को परामर्श दिया गया है कि वे योजना की निधियों को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खाते में रखें।

(ङ) और (च) योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य किए जाते हैं तथा उन्हें जिलाध्यक्षों द्वारा संबंधित राज्यों की स्थापित क्रियाविधि का पालन करते हुए कार्यान्वित किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्वीकृत, कार्यान्वित तथा निष्पादनाधीन कार्यों का ब्यौरा जिला मुख्यालयों में उपलब्ध है।

(छ) राज्य सरकारों/जिलाध्यक्षों को योजना के दिशा निर्देशों का दृढ़ता से पालन करने का परामर्श दिया जाता है।

विवरण-I

31.3.2002 तक

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
1.	आंध्र प्रदेश	40345	25948.1	14396.9	64.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	1815	1315.6	499.4	72.5
3.	असम	12905	8848.6	4056.4	68.6
4ण	बिहार	4621	30541.5	15668.5	66.1
5.	गोवा	1665	1041.3	623.7	62.5
6.	गुजरात	25185	14075.7	11109.3	55.9
7.	हरियाणा	9175	6710.6	2464.4	73.1
8.	हिमाचल प्रदेश	4885	3599.6	1285.4	73.7
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3350	1264.4	2085.6	37.7
10.	कर्नाटक	28050	18056.5	9993.5	64.4
11.	केरल	17595	9789.9	7805.1	55.6
12.	मध्य प्रदेश	36975	25962.4	11012.6	70.2
13.	महाराष्ट्र	43025	23771.9	19253.1	55.3
14.	मणिपुर	2165	1823.9	341.1	84.2

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
15.	मेघालय	1815	1583.1	231.9	87.2
16.	मिजोरम	1460	1214.1	245.9	83.2
17.	नागालैंड	1260	1110.0	150.0	88.1
18.	उड़ीसा	20250	11051.0	9199.0	54.6
19.	पंजाब	11705	6323.4	5381.6	54.0
20.	राजस्थान	22875	13721.3	9153.7	60.0
21.	सिक्किम	1610	1407.6	202.4	87.4
22.	तमिलनाडु	44485	32622.6	11862.4	73.3
23.	त्रिपुरा	1965	844.1	1120.9	43.0
24.	उत्तर प्रदेश	78045	53501.6	24543.4	68.6
25.	पश्चिम बंगाल	31685	19961.1	11723.9	63.0
26.	अंडमान निकोबार	405	327.1	77.9	80.8
27.	चंडीगढ़	555	320.4	234.6	57.7
28.	दादर नागर हवेली	605	242.8	362.2	40.1
29.	दमन एवं दीव	505	429.6	75.4	85.1
30.	दिल्ली	7395	4239.5	3155.5	57.3
31.	लक्षद्वीप	655	217.2	437.8	33.2
32.	पांडिचेरी	1060	254.8	805.2	24.0
	कुल	501680	322121.3	179558.7	64.2

विवरण-II

31.3.2001 तक

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
1.	नामित सांसद	7740	4462.6	3277.4	57.7

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
2.	आंध्र प्रदेश	58185	40386.5	17798.5	69.4
3.	अरूणाचल प्रदेश	2765	1798.1	966.9	65.0
4.	असम	18785	13336.8	5448.2	71.0
5.	बिहार	52520	34269.6	18250.4	65.3
6.	गोवा	2265	1580.8	684.2	69.8
7.	गुजरात	33175	20977.6	12197.4	63.2
8.	हरियाणा	13515	10165.0	3350.0	75.2
9.	हिमाचल प्रदेश	6485	4773.9	1711.1	73.6
10.	जम्मू कश्मीर	5400	2568.6	2831.4	47.6
11.	कर्नाटक	36800	25805.7	10994.3	70.1
12.	केरल	26075	13955.3	12119.7	53.5
13.	मध्य प्रदेश	38150	26775.0	11375.0	70.2
14.	महाराष्ट्र	59965	33542.8	26422.2	55.9
15.	मणिपुर	2865	2146.6	718.4	74.9
16.	मेघालय	2215	1880.2	334.8	84.9
17.	मिजोरम	2010	1715.4	294.6	85.3
18.	नागालैंड	1960	1510.0	450.0	77.0
19.	उड़ीसा	28640	16474.2	12165.8	57.5
20.	पंजाब	16705	8175.2	8529.8	48.9
21.	राजस्थान	32945	22649.3	10295.7	68.7
22.	सिक्किम	1900	1654.1	245.9	87.1
23.	तमिलनाडु	56685	46891.6	9793.4	82.7
24.	त्रिपुरा	2665	1014.2	1650.8	38.1
25.	उत्तर प्रदेश	103090	69709.2	33380.8	67.6
26.	पश्चिम बंगाल	48605	26342.9	22262.1	54.2
27.	अंडमान निकोबार	505	327.1	177.9	64.8
28.	चंडीगढ़	655	392.9	262.1	60.0
29.	दादर नागर हवेली	955	536.9	418.1	56.2

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
30.	दमन एवं दीव	705	471.4	233.6	66.9
31.	दिल्ली	9295	6039.8	3255.2	65.0
32.	लक्षद्वीप	755	716.4	38.6	94.9
33.	पांडिचेरी	2010	655.0	1355.0	32.6
34.	छत्तीसगढ़	13845	9466.2	4378.8	68.4
35.	उत्तरांचल	5575	3910.2	1664.8	70.1
36.	झारखंड	13030	7872.1	5157.9	60.4
	कुल	709440	464949.2	244490.8	65.5

विवरण-*III*

31.3.2002 तक

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
1.	नामित सांसद	10210	7120.8	3089.2	69.7
2.	आंध्र प्रदेश	70085	52494.2	17590.8	74.9
3.	अरूणाचल प्रदेश	3415	2801.7	613.3	82.0
4.	असम	22435	16374.8	6060.2	73.0
5.	बिहार	64615	45286.4	19328.6	70.1
6.	गोवा	2815	1955.7	859.3	69.5
7.	गुजरात	40625	28752.5	11872.5	70.8
8.	हरियाणा	16815	14225.4	2589.6	84.6
9.	हिमाचल प्रदेश	7735	5736.5	1998.5	74.2
10.	जम्मू कश्मीर	7750	4345.1	3404.9	56.1
11.	कर्नाटक	44790	33689.7	11100.3	75.2
12.	केरल	32575	20143.6	12431.4	61.8
13.	मध्य प्रदेश	46540	36306.2	10233.8	78.0
14.	महाराष्ट्र	75165	50021.7	25143.3	66.5
15.	मणिपुर	3415	2878.7	536.3	84.3
16.	मेघालय	2915	2550.2	364.8	87.5
17.	मिजोरम	2410	2465.3	55.3	102.3

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (लाख रुपए)	किया गया व्यय (लाख रुपए)	अव्ययित शेष (लाख रुपए)	अवमोचित राशि के उपयोग का %
18.	नागालैंड	2410	2310.0	100.0	95.9
19.	उड़ीसा	35170	21051.0	14119.0	59.9
20.	पंजाब	21295	14054.7	7240.3	66.0
21.	राजस्थान	41095	32186.1	8908.9	78.3
22.	सिक्किम	2400	1937.7	462.3	80.7
23.	तमिलनाडु	66735	56606.3	10128.7	84.8
24.	त्रिपुरा	3515	1725.3	1789.7	49.1
25.	उत्तर प्रदेश	127340	94010.1	33329.9	73.8
26.	प. बंगाल	58805	36995.9	21809.1	62.9
27.	अंडमान निकोबार	705	615.4	89.6	87.3
28.	चंडीगढ़	905	476.2	428.8	52.6
29.	दादर नागर हवेली	1105	776.9	328.1	70.3
30.	दमन एवं दीव	1205	1058.3	146.7	87.8
31.	दिल्ली	10195	7090.7	3104.3	69.6
32.	लक्षद्वीप	805	755.4	49.6	93.8
33.	पांडिचेरी	2410	1620.9	789.1	67.3
34.	छत्तीसगढ़	16745	12842.8	3902.2	76.7
35.	उत्तरांचल	7625	5438.5	2186.5	71.3
36.	झारखंड	16675	11774.9	4900.1	70.6
	कुल	871450	630475.7	240974.3	72.3

यूरो मानदंड

610. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरो-I, यूरो-II यूरो-III और यूरो-IV में में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में यूरो मानदंडों से मेल खाने वाली वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) मानदंडों के पालन करने हेतु मोटर वाहन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2005 तक यूरो-III वाहन ईंधन (पेट्रोल और डीजल) के उत्पादन के लिए तेल-शोधक कारखानों के उन्नयन हेतु कितना अतिरिक्त निवेश किए जाने की आवश्यकता है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) यूरो-I, यूरो-II, यूरो-III और यूरो-IV उत्सर्जन मानकों सहित निर्धारित सैट मानकों के अनुपालन में ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी की प्रगामी प्रगति और ईंधन की अनुपातिक बेहतर गुणवत्ता पर आधारित हैं। यूरोपियन संघ का वर्ष 2005 से यूरो-iv मानक लागू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए ऑटो ईंधन विनिर्दिष्टता और ईंधन प्रौद्योगिकियों को अंतिम रूप दिया जाना और उनका मूल्यांकन किया जाना है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में चार पहिए वाले वाहनों के

लिए यूरो-II मानकों के समान भारत स्टेज-II के नाम से ज्ञात उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। भारत में दुपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में यूरोप से भी अधिक कठोर विनिर्दिष्ट मानदंड हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सिएस) के अनुसार ऑटो उद्योग को मानदंडों के पालन हेतु लगभग 25,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

(घ) वर्ष 2005 तक यूरो-III वाहन ईंधन (पेट्रोल और डीजल) के उत्पादन के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर आतंकवाद का प्रभाव

611. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर का महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग आतंकवादी गतिविधियों के क़ारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और खत्म होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जम्मू और कश्मीर में पर्यटन उद्योग पर आतंकवादी गतिविधियों के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग जम्मू और कश्मीर की परियोजनाओं के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में 1212,56 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 43 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तथापि, पर्यटन उद्योग का पुनरोद्धार पूर्णरूपेण राज्य में सामान्य स्थिति की वापसी पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

जैव सुरक्षा प्रोटोकाल

612. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव विविधता सम्मेलन के तत्वाधान में जैव संबंधी प्रोटोकाल के प्रारूप में समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जैव सुरक्षा प्रोटोकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते में क्या रवैया अपनाया गया?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जैव विविधिता सम्मेलन के तत्वाधान में जैव सुरक्षा कार्टेजेन प्रोटोकाल पर बातचीत की गई और इसे अपनाया गया। भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रोटोकाल में आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप सजीव आपरिवर्तित आर्गेनिजम के सुरक्षित अंतरण, हथालन और प्रयोग के क्षेत्र में बचाव की व्यवस्था है जिसका संरक्षण और जैव विविधता के सतत उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जोखिमों और ट्रांस बाऊंडरी आवाजाही को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा।

(ग) चर्चा के दौरान भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर एहतियाती सिद्धान्त, एडवांस इनफोर्मड एग्रीमेंट, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने पर जोर दिया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना

613. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 33% वनाच्छादन के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना (एन.एफ.ए.पी.) बन्द कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त योजना को कुछ अन्य मंत्रालयों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में 'हीरमा' ताप विद्युत संयंत्र को स्वीकृति

614. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हीरमा ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वीकृति के पूर्व शर्त के रूप में प्रदूषण संकट और समस्या के निदान संबंधी उपाय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य और क्षेत्र के निवासियों की राय पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) मैसर्स कंसोलीडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एशिया (सी ई पी ए) लिमिटेड, की जिला जरसुगुडा, उड़ीसा में 6x720 मैगावाट कोल आधारित थर्मल पावर परियोजना को परियोजना के कारण पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए परिकल्पित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अपर्याप्त होने के कारण इसे पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना की समीक्षा जब की जाएगी तब संभावित प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों को तैयार करते समय राज्य के संबंधित विभागों और उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

केरल में पारिस्थितिकी-पर्यटन परियोजना

615. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केरल के लिए कितनी पारिस्थितिकी-पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) केरल में थेन्माला पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजना नामक एक पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजना सरकार द्वारा अनुमोदित है।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केरल में थेन्माला पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाओं के लिए अग्रलिखित योजनाएं स्वीकृत की हैं :-

योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
ट्रेकिंग एवं चट्टानारोहण उपकरणों की प्राप्ति	1999-2000	7.15
शेनदुरूने वन्यजीव अभ्यारण्य जलाशय में एक डबल हुल बोट की खरीद	2000-2001	31.75

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

616. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री एस. अजय कुमार :
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :
श्री जार्ज ईडन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल प्रौद्योगिकी मिशन गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी गई है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से सभी नारियल उत्पादक राज्यों में, नौवीं योजना के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2001-02 के दौरान नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गई है। नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्कीम में प्रौद्योगिकी के विकास, कीटों/कृमियों तथा रोग प्रबंध के क्षेत्र में प्रदर्शन तथा स्वीकरण, प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण और मण्डी अनुसंधान तथा संवर्धन से संबंधित मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी स्कीम के उद्देश्य हैं :-

(i) बहुत से चल रहे सरकारी कार्यक्रमों में नारियल के विकास के क्षेत्र में समाभिरूपता तथा सहयोग स्थापित करना ताकि इन कार्यक्रमों के सभी पहलुओं का समेकन किया जा सके,

(ii) उत्पादन, कटाई पश्चात् एवं खपत श्रृंखला में सभी सम्पर्कों पर पर्याप्त, समुचित, समय पर तथा समवर्ती ध्यान देना सुनिश्चित करना,

(iii) नारियल के विकास के लिए विद्यमान निवेश तथा सृजित बुनियादी ढांचे से आर्थिक, पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक लाभों को बढ़ाना,

(iv) कुशल रोजगार सृजन के लिए आर्थिक रूप से वांछित विविधीकरण तथा मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देना, और

(v) मिशन प्रणाली में अन्तरों पर ध्यान देने के लिए प्रदर्शन एवं संवर्धन के जरिए सहभागिता प्रस्ताव का प्रयोग करके प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना।

(ग) वर्ष 2001-2002 के पिछले तीन महीनों के दौरान, इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कुल धनराशि 400,00 लाख रुपये है। तदनुसार, इस प्रयोजनार्थ 400.00 लाख रु. की राशि अलग से रखी गई है। इस स्कीम को दसवीं योजना के दौरान भी कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2002-03 के लिए 2000.00 लाख रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) इस स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। नारियल विकास बोर्ड ने इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु पहले ही प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी है तथा "पारिचालनात्मक दिशा-निर्देश" जारी किए हैं। इस स्कीम के तहत परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाने तथा धनराशि निर्मुक्त किए जाने से पहले, अनुपूरक अनुदान के अंतिम बैच में सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति अपेक्षित है क्योंकि यह स्कीम नई सेवा के प्रावधान के अंतर्गत आती है। बहरहाल, वित्त मंत्रालय ने सिद्धांततः इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

पशु प्लेग समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

617. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशु प्लेग समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक पशु प्लेग के राज्यवार कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) पशु प्लेग समाप्त करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) पशु प्लेग की पिछली घटना सितम्बर, 1995 में तमिलनाडु में बताई गई थी। इस समय देश 1 मार्च, 1998 से पशु प्लेग से अनन्तिम रूप से मुक्त है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के तहत 48 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। चालू वर्ष (2001-2002) के लिए परिव्यय 11 करोड़ रुपए है।

पर्यटकों के आगमन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक

618. डा. बी.बी. रमैया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटकों के आगमन पर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा प्रयास शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाधा उत्पन्न करने वाले इन कारकों के कारण होने वाली हानि का आकलन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका समाधान करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में बड़ी संख्या में शोधक उपाए किए हैं, जो नीचे दिए गए हैं-

* हवाई अड्डों पर बेहतर गुणवत्ता सुविधाएं प्रदान करना।

* राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि सुरक्षा में सुधार के लिए पर्यटन कानून और पर्यटक पुलिस का गठन करें। गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि जैसी कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही अपेक्षित कार्रवाई की है।

* लचीली वीजा प्रणाली।

* यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र/संरक्षित क्षेत्र परमिट में छूट।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यात्रा व्यवसाय तथा पर्यटन से जुड़ी अन्य सुविधाओं के बारे में विचार-विमर्श करके पर्यटन नीति तैयार करके बाधाओं को रोकने का प्रयत्न कर रही है जिससे देश में पर्यटन के विकास में आने वाली सभी बाधाओं से बचा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गुरुवार, 7 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 मार्च, 2002/16 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी॰एल॰एस॰–48/22/5/2002
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008 द्वारा मुद्रित।